लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th S
LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

...AMENT L...
73(8)
16-1-74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 55, शुक्रवार, 11 मई, 1973/21 वैशाख, 1895 (शक)
No. 55 *Friday, May* 11, 1973 *Vaisakha*, 21, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1061	विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी	Smuggling of Hallucinatory drugs into India by foreign nationals .	1-3
1066	नियंत्रिक मूल्य वाले कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in production of controlled Cloth	3-7
1067	भारत सहायता संगठन की बैठक	Meeting of Aid India Consortium .	7-8
1068	नागरिक उड्डयन मण्डल (सी० ए० बी०) के प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा इयर इंडिया के विरुद्ध युवक किराया टिकट अधिक आयु के यात्रियों को बेचने का आरोप	Charge of selling Youth fare tickets to over-age passengers levelled against Air India by Civil Aeronautics Board's (CAB) Bureau of Enforcement . . .	8-9
1069	सफाई कर्मचारियों का जीवन बीमा	Life Insurance of Safai Karamcharis	9-11
1072	गैर-सरकारी तथा राष्ट्रीकृत बकों का कार्य-निष्पादन	Performance of Private and Nationalised Banks . . .	11-14
1075	आई०सी०आई० और यूनियन कार्बाइड द्वारा धन भेजा जाना	Remittances by I.C.I. and Union Carbide . . .	14-17
अल्प-सूचना प्रश्न		Short Notice Question	
7	दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Rural Areas of South 24 Parganas, West Bengal . .	17-22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers to Questions

ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1062	जनवरी-फरवरी, 1973 में चाय के निर्यात में कमी	Decline in export of tea in January-February, 1973	22
1063	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोयला उद्योग को ऋण सुविधाएं देना	Extension of credit facilities by R.B.I. to coal Industry . . .	22-23
1064	बर्मा के साथ वायु सेवा करार	Air Pact with Burma	23
1065	पोलैंड को आम का निर्यात	Export of Mangoes to Poland	23
1070	पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स की विस्तार योजना	Expansion Plan of Indian Airlines proposed to be listed in Fifth Plan	23-24
1071	अमरीकी व्यापार समुदाय द्वारा भारतीय मार्केट में समान प्रवेश अधिकारों की मांग	US business community seeking equal access to Indian Market .	24
1073	भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता	Financial Aid by India to neighbouring Countries . .	24
1074	धवन अध्ययन दल के प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक एवरो विमान का प्रयोग बन्द करना	Discontinuance of use of Avro Aircraft till submission of report by Dhawan Study Team . . .	25
1076	लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का कुवैत को निर्यात	Export of items manufactured by Small Scale Industries to Kuwait	25
1077	सूती कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्थान की स्थापना	Setting up of a separate financial institution for modernisation of cotton textile mills . . .	26
1078	बिहार काटेन मिल्स, पटना का विस्तार करने के लिये लाइसेंस	Licence for expansion of Bihar Cotton Mills, Patna . . .	26
1079	एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को भारतीय पूंजी का निर्यात	Export of Indian Capital to developing countries in Asia and Africa	26
1080	अफ्रीका के नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के साथ भारत का व्यापार संबंध	India's trade relations with newly independent African countries .	27

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

9990	अध्यापन उपकरणों सम्बन्धी विभाग के कोषाध्यक्ष पर हमला	Assault on Cashier of Department of Teaching Aids . . .	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9991	मेहता प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of income tax by Mehta Printing Press, Ujjain . .	28
9992	विदेशी सहयोगियों द्वारा चलाए जाने वाले होटल के प्रबन्ध अथवा संचालन में सहयोग संबंधी समझौते के बारे में निर्णय	Decision on collaboration agreements involving management or operation of a hotel by foreign collaborators	28
9993	अमरीका की हिल्टन्स एण्ड शेरेटन होटल्स कारपोरेशन का डी०एल०एफ० होटल, दिल्ली के साथ सहयोग करार	Collaborations Agreement with Hiltons and Sheraton Hotels Corporation, USA with DLF Hotel, Delhi	28-29
9994	दिल्ली में पर्यटकों के लिये होटलों में उपलब्ध स्थान	Hotel accommodation available in Delhi for tourists . . .	29
9995	विदेशी सहयोग से होटलों की स्थापना करने के संबंध में हुए समझौते	Agreements Reached for setting up Hotels with Foreign Collaboration	29-30
9996	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति	Appointment of candidates belonging to S.C. and S.T. in Public Sector Undertakings .	30-31
9997	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि-उद्योगों को दिया गया ऋण	Amount of loan provided to Agro-Industries by Agricultural Refinance Corporation . . .	31
9998	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार	Business completed by Life Insurance Corporation of India .	31
9999	बिहार से केन्द्रीय करों की वसूली	Collection of Central Taxes from Bihar	31
10000	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन-शुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर डिप्टी कलक्टर की नियुक्ति के लिये चयन	Selection for appointment of Deputy Collector to special pay Posts in Central Customs and Excise Department	31-32
10001	मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के कार्यलय में अधिकारियों और कर्मचारियों में पारी से तबादले	Rotational transfers of staff and Officers in the Office of Chief Controller of Imports and Exports	32
10002	कारों का आयात	Import of Cars	33.34
10003	5 लाख रुपये या इससे अधिक की सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा सम्पत्ति कर की अदायगी	Payment of Wealth Tax by persons in possession of wealth valued Rs. 5 lakhs and above . . .	34
10004	पूर्वी जर्मनी से आयातित वस्तुओं का मूल्य	Value of goods imported from E. Germany	34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10005	पश्चिम जर्मनी से आयातित सामान का मूल्य	Value of goods imported from West Germany	34-35
10006	आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया द्वारा केन्द्रीय करों का भुगतान	Payment of Central Taxes by Organisation of Pharmaceutical producers of India . .	35-36
10007	कोयला उद्योग में और पूंजी लगाना	Fresh investment in coal industry .	36
10008	अन्य देशों में संयुक्त सलाहकार सेवायें स्थापित करने के लिये भारत और फ्रांस के बीच सहयोग सम्बन्धी करार	Collaboration agreement with France for setting up joint Consultancy Services in Third Countries	3o
10009	एल्यूमीनियम फोस्फाइड का आयात	Import of Aluminium Phosphide .	36-37
10010	तमिलनाडु में फिल्म उद्योग मे लगे व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपनी आय का ब्यौरा बताना	Voluntary Disclosures by Film people of Tamil Nadu . .	37
10011	कलकत्ता स्थित वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक के कार्यालय में उच्च श्रेणी क्लर्कों और निम्न श्रेणी क्लर्कों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of UDCs/LDCs in the office of Director General Commercial Intelligence and Statistics Calcutta . . .	37
10012	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय, कलकत्ता के महानिदेशक के कार्यालय में अनुसूचित जाति के अपर• डिवीजन क्लर्कों की वरीयता	Seniority of Scheduled Caste UDCs in the Office of Director General Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta . .	38
10013	गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अनेक अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र देना	Resignation of Large number of Officers of I. M. P. E. C. during the last Three Years . . .	38
10014	सेवन्टी परसेंट हंगेरियन क्रेडिट अनयूटीलाइज्ड शीर्षक वाला समाचार	News item entitled Seventy per cent Hungarian Credit Un-Utilised .	38
10015	पांचवीं योजना के लिये ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K. for Fifth Plan	39
10016	भिलाई कारखाने में मध्य प्रदेश के लोगों के साथ नौकरियों के मामले में भेदभाव बरतना	Discrimination in Matter of Jobs meted out to people of Madhya Pradesh in Bhilai Plant . .	39
10017	अखिल भारतीय शांति तथा एकता संगठन द्वारा जाली नियंत्रण पत्र तैयार किया जाना	Preparation of Fake Invitations by All India Peace and Solidarity Organisation . . .	39-40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10018	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone .	40
10019	कम विकसित क्षेत्रों को राज्य वित्त निगम के सेवा के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर की टिप्पणी	Observation of Governor of R.B.I. regarding State Financial Corporation's Service to less Development Regions	40-41
10020	चाय बोर्ड के कलकत्ता कार्यालय में नियुक्त जन सम्पर्क अधिकारी	PROs appointed in Calcutta Office of Tea Board . . .	41
10021	रूई निगम के लिये रूई की खरीद में राज्य सरकार द्वारा कथित अनियमितताएं	Alleged Irregularities by State Government in purchase of Cotton for Cotton Corporation :	42
10022	बैंक आफ बड़ौदा की जामनगर तथा जूनागढ़ शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृति के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना	Non Observance of prescribed procedure in regard to grant of Loans by Branches of Bank of Baroda Jamnagar and Junagarh .	42-43
10023	तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाना	Distortions in report of Third Pay Commission . .	43
10024	संसद् को पेश किए गए वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों में मतभेद	Discord among the Members of Third Pay Commission regarding Pay Commission's Report presented to Parliament . .	43
10025	मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती के क्षेत्र में कमी	Decline in area of Cultivation of opium in Mandsaur District of Madhya Pradesh . . .	44-45
10026	पोस्त का उत्पादन	Production of Poppies	45-46
10027	चाय में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट	Large Scale Adulteration of Tea	46
10028	कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये अनुमति	Permission to Companies for raising their Capital	47
10029	अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई करने संबंधी रासायनिक निर्यातकों की मांग	Chemical Exporters demand for supply of Raw material at International Price	47-48
10030	ईराक को अशोधित तेल के भुगतान का तरीका	Form of payment to Iraq for Crude Oil	48
10031	मारुति लिमिटेड, हरियाणा के शेयरधारियों पर बकाया आयकर की राशि	Arrears of Income Tax Outstanding against the share holders of Marauti Limited, Haryana .	48
10032	पाठक समिति द्वारा राज्य उपक्रमों का पुनर्विलोकन	State Undertakings reviewed by Pathak Committee . . .	49-50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10033	तस्करी के माल का जब्त किया जाना	Seizure of Smuggled Goods .	50
10034	बड़ौदा के सदाली गांव में रूई का जल जाना	Burning of Cotton in sadali Village of Baroda	50
10035	केरल में "क्रेडिट फार कैश्यू" (काजू के लिये ऋण)	Credit for Cashew Industry in Kerala	50-51
10036	कर अपवाचन के लिये ठाकरे कम्पनी समूह के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Thackersay Group of Companies for Evasion of Income-Tax . .	51
10037	राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से कच्चे माल के वितरण के लिये सहायता की नई पद्धति का बनाया जाना	New system of Assistance evolved by STC for distribution of Raw Materials through State Small Indurtries Corporations . .	51-52
10038	विदेश यात्रा टिकटों और निमन्त्रण-पत्रों की बिक्री	Sale of Foreign Travel Tickets and Invitations	52
10039	पालम हवाई अड्डे पर तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किए गए विदेशी	Foreigners arrested at Palam Airport for Smuggling . . .	52
10040	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद के वरिष्ठ स्टाफ द्वारा रक्षा लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum presented by senior staff of CDA (P) Allahabad to CGDA	52-53
10041	पालम हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वागत तथा विदाई के प्रबंध	Arrangements for Reception and send off of Important Dignitaries at Palam Airport . . .	53-54
10042	स्टेनलैस स्टील का आयात	Import of Stainless Steel .	54
10043	वेतन तथा भत्ते के रूप में 1,500 रु० प्रति मास से अधिक कमाने वाले सैनिक अधिकारी	Military Officers Drawing more than Rs. 1500 as pay and Allowances Per month . . .	54
10044	कपड़ा मिलों की स्थिति का खराब होना तथा मिलों में श्रमिकों का शोषण	Deteriorating condition of Textile Mills and Exploitation of Labour of Mills	55
10045	कलकत्ता महानगर निकाय प्राधिकरण को सहायता देने में विश्व बैंक की रुचि	World Banks interest in Aid for Calcutta Metropolitan Development Authority . . .	55
10046	कलकत्ते के आसूचना अधिकारियों द्वारा दरभंगा जिले में नकदी धन तथा जवाहरात बरामद करना	Seizure of cash and Jewellery by Calcutta Intelligence Officials in Darbhanga District . .	55-56
10047	विदेशी ऋणों का भुगतान	Repayment of Foreign Debt .	56-57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10048	पांचवीं योजना के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा नये हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up new Airports by Indian Airlines during Fifth Plan	57
10049	अमरीका और चीन के सम्बन्धों में सुधार के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव	Adverse effect on Indian Exports as a result of Improvement in Relations between USA and China .	57
10050	पांचवीं योजना के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में होटल खोला जाना	Opening of a Hotel in each State by ITDC during Fifth Plan . .	58
10051	अभ्रक का उत्पादन	Production of Mica .	58
10052	बंगला देश को मिलों में बने और हथकरघा वस्त्रों का निर्यात	Export of Textile and handloom fabrics to Bangladesh . .	58-59
10053	मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore	59
10054	वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया द्वारा विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों को सम्मानार्थ रियायती टिकट या नि:शुल्क पास देना	Complimentary Concessional tickets or the passage to personnel of various organisations by Indian Airlines or Air India during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 . .	59
10055	लघु एककों को वित्तीय सहायता देने के लिये राष्ट्रीकृत बैंकों को निदेश	Directions to Nationalised Banks to provide financial assistance to Small Scale Units . . .	60
10056	सामान्य बीमा व्यापार के कर्मचारियों की मजूरी और सेवा की शर्तें	Wages and Service Conditions of General Insurance Employees .	60
10057	नागदा स्थित बिड़ला मिल्स को स्टेपल फाइवर बनाने के लिये लाइसेंस दिया जाना	Licence for manufacture of staple Fibre to Birla Mills, Nagda .	61
10058	स्टेपल फाइवर बनाने वाले कारखाने	Factories manufacturing staple Fibre	61
10059	भारत के रिजर्व बैंक की तुलना में वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के कृत्य	Functions of Banking Department in the Ministry of Finance *vis a vis* Reserve Bank of India .	62
10060	एशियन क्लीयरिंग यूनियन तथा एशिया रिजर्व बैंक की स्थापना	Establishment of Asian clearing Union and Asian Reserve Bank	62
10061	बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणी II, III तथा IV पदों के रिक्त स्थान	Vacancies of Class II, III and IV in Nationalised Banks in Bihar .	63
10062	बिहार में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये पंचवर्षीय योजना	Five Year Plan for Development of Tourist Centres in Bihar .	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10063	नायलन धागे के उत्पादन के बारे में नायलन कातने वालों, नायलन बुनने वालों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच हुई बातचीत	Talks held between Nylon Spinners, Weavers and STC regarding Production of Nylon Yarn . .	63
10064	एशियाई विकास बैंक में कार्य कर रहे भारतीय नागरिकों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Indian Nationals working in the Asian Development Bank . .	63-64
10065	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा और एवरो विमानों के लिये क्रयादेश देना	Order placed for more Avros by Indian Airlines . . .	64
10066	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with EEC	65
10067	भारत के रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC recommendations regarding the working of Reserve Bank of India	65
10068	वित्तीय संस्थानों के लिये एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना करना	Setting up of a Holding Company for Financial Institutions .	65-66
10069	वित्तीय एजेन्सियों के अनुभव का पुनर्विलोकन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी दल का गठन	Setting up of a working group by RBI to review the experience of Financing Agencies . . .	66
10070	शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक के पद का समाप्त किया जाना	Abolition of Post of Director, Central Hindi Directorate of Ministry of Education	66-67
10071	श्रीलंका को केन्दु के पत्तों का निर्यात	Export of Kendu Leaf to Sri Lanka	67
10072	"न्यू कांइड टूरिज्म टू ब्रिंग, इंडिया यू० एस० क्लोजर" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	Press Report regarding "New Kind of Tourism to bring India, US Closure"	67
10073	इन्डोनेशिया के साथ व्यापार के नये आधार	New Basis for Trade with Indonesia	68
10074	जेम्स फिल्ले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	James Finlay and Company, Calcutta	68
10075	होटल और शिविर स्थल बनाने की योजना	Scheme to set up hotels and Camping Sites	68
10076	राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, क्लर्कों तथा जूनियर आफिसरों की भर्ती	Recruitment of Class IV Staff, Clerks and Junior Officers in Nationalised Banks	69
10077	विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय भवनों का निर्माण	Construction of Office Building by Branches of various Banks in Rural Areas	69-70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES.
10078	हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई धनराशि	Amount given by RBI for Cooperative Banks in Himachal Pradesh .	70-71
10079	स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग	Use of Regional Languages in Nationalised Banks and State Bank of India . . .	71
10080	1-3-1973 को अमरीका के साथ व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade with USA as on 1-3-73 . . .	71-72
10081	खिलौना उद्योग के निर्यात प्रधान एककों की स्थापना	Setting up of Export Oriented Units of Toy Industry . . .	72
10082	बंगलादेश शरणार्थी सहायता सम्बन्धी शुल्कों का राज्य सरकारों द्वारा वापस दिया जाना	Withdrawal by State Governments of Levies for Relief to Bangladesh Refugees . . .	72-73
10083	कपड़ा बनाने वाली मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery .	73
10084	हथकरघा उद्योग के विकास के लिये बिहार राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि	Increase in Financial Assistance to Bihar State for the development of Handloom Industry . .	73
10085	अर्ध निर्मित चमड़े के निर्यात के लिये कोटा पद्धति लागू करना	Introducing quota system for export of semi-Finished Leather .	74
10086	निर्वाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zones . . .	74
10087	जापान को लोह-अयस्क के निर्यात से सम्भावित आय के समक्ष खनिज तथा धातु विकास निगम द्वारा अग्रिम सुरक्षात्मक उपाय	Forward cover taken by MMTC against anticipated earnings from exports of Iron Ore to Japan .	75
10088	भारतीय कम्पनियों पर विदेशी नियंत्रण	Foreign control on Indian Companies	75-76
10089	मछली पकड़ने वालों को समुद्र से प्राप्त हुए उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय का दिया जाना	Giving of export Earnings on Marine Products to Fisherman .	77
10090	मध्य श्रेणी के पर्यटन के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Middle Class Tourism	77
10091	जीवन बीमा निगम द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पूंजी निवेश	Investment of LIC in Public Limited Companies . . .	77
10092	रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में हवाई अड्डे के निर्माण की योजना	Plan to build Airport at Ratnagiri (Maharashtra) . . .	78
10093	वर्तमान करेंसी संकट का जापान के साथ भारत के व्यापार पर प्रभाव	Impact of Current Currency Crisis on India's Trade with Japan .	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10094	अनाज के थोक व्यापार सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था के खर्चों को पूरा करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना	Providing of Financial Assistance by Nationalised Banks to meet the Expenses of the Administrative machinery concerned with Whole Sale Grain Trade .	78
10095	अनुभवी बैंक कर्मचारियों की कमी	Shortage of Experienced Bank Personnel . . .	78-79
10096	मध्य प्रदेश में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा व्यावसायिक कर का भुगतान	Payment of Professional Tax by Central Government Employees Working in Madhya Pradesh .	79
10097	पांच लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर बकाया आयकर	Arrears of Income Tax against Individuals having an Income of over Rs. Five Lakhs . .	79
10098	एयर इण्डिया द्वारा 1972 में टिकट सम्बन्धी विनियम (टिकटिंग रेग्यूलेशन) का उल्लंघन किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Violation of Ticketing Regulation by Air India in 1972	79-80
10099	गत एक वर्ष में पर्यटन विभाग की कारों से आय तथा उन पर किया गया व्यय	Income from and Expenditure on Cars belonging to Tourism Department during last one year	80
10100	गुलाब के फूलों का निर्यात	Export of Rose Flowers	80
10101	1972 में फलों का निर्यात	Export of Fruits during 1972	81
10102	बैंकों द्वारा सहकारी संस्थाओं को दिया गया ऋण जिसके वसूल होने की आशा नहीं है	Unrecoverable Loans provided by Banks to Cooperative Institutions	81
10103	विदेशों को भेजे गये उच्च शक्ति प्राप्त व्यापार शिष्टमंडल	High power Trade Delegation sent to Foreign Countries .	81
10104	रसायनों और अन्य समवर्गी उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Chemicals and Allied Products . . .	81-82
10105	पांचवीं योजना की अवधि के लिये कपड़ा सम्बन्धी नीति बनाने हेतु कार्यकारी दल की नियुक्ति	Appointment of Working Group to Work out Textile Policy for Fifth Plan period . . .	82-84
10106	विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों को भारतीय व्यापारियों को बिक्री	Sale of Foreign owned Tea Estates to Indian Businessmen . .	84
10107	हांगकांग के साथ व्यापार का परिमाण	Volume of Trade with Hong Kong	84-85

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES.
10108	बाजार से ऋण लेने के लिये विभिन्न राज्यों को दी गई अनुमति	Market loans borrowings allowed to various States .	85-86
10109	नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्रों का आयात	Import of synthetic Clothes from Nepal	86-87
10110	चम्पारन (बिहार) में टूरिस्ट सेन्टर खोलने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Tourist Centre in Champaran (Bihar) .	87
10111	राज्यों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण	Central Debt outstanding against States	87
10112	बिहार के चम्पारन जिले में जूट मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mill in Champaran District (Bihar) . .	88
10113	फ्रांस के साथ व्यापारिक समझौते का नवीकरण	Renewal of Trade pact with France	88
10114	उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण वाले स्थानों के नाम	Names of places of tourist attraction in Orissa	88-89
10115	उड़ीसा के पर्यटन विभाग द्वारा एक बुद्ध मन्दिर छम्भ कीर्ति और एक हिन्दू मन्दिर को सुरक्षित रखना	Preservation of Dhamma Kirti Budhist Temple and a Hindu Temple by Tourism Department of of Orissa	89
10116	चिल्का लेक उड़ीसा में "पारिकुडो गाडा" तथा कालीजय मन्दिर का पर्यटक-केन्द्रों के रूप में विकास	Development of 'Parikudo Gada and Kalijaye Temple' in Chilka Lake (Orissa) as Tourist Centres	89-90
10117	भारत-बर्मा व्यापार में व्यापार गिरावट	Decline in Indo-Burma Trade .	90
10118	एशियाई विकास बैंक की बैठक में भारत द्वारा भाग न लिये जाने का प्रभाव	Impact of India's non-participation in the meeting of Asian Development Bank . . .	90
10119	रूई के धागे के मूल्य और वितरण पर सांविधिक नियंत्रण	Statutory control on prices and distribution of cotton Yarn .	91
10120	ब्रिटेन के औद्योगिक एककों का भारत में स्थानातरण	Shifting of Units of U. K's Industry to India	91
10121	कपड़े की कमी को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to deal with cloth Famine	91-92
10122	उड़ीसा में उद्योगों/व्यक्तियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Industries/Individuals in Orissa	92-93
10123	उड़ीसा में गोपालपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना	Development of Gopalpur in Orissa as a Tourist Centre	93-94
10124	भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन	Change in Purchase Procedure of Cotton by C.C.I	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10125	घरेलू उपयोग के विद्युत उपकरणों के मूल्य पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in excise duty on prices of Domestic Electrical Appliances	94
10126	दिल्ली की एक फर्म के सहयोग से कुवैत में स्याही का उत्पादन करने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of an Ink Manufacturing Factory in Kuwait in collaboration with a Delhi Firm . .	94
10127	अलब मलक बदर ट्रस्ट, नागपुर की चल और अचल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य	Assessment of Value of Movable and Immovable Property of Alab-E-Malak Badar Trust, Nagpur	95
10128	कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा कपड़े के एक व्यापारी के मकान और दुकान पर छापा मारना	Raid by Income Tax Authorities on the House and Business premises of Cloth Dealer in Kanpur .	95
10129	होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत होटल उद्योग को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Hotel Industry in Bihar under Hotel Development Loans . . .	95
10130	देश में पर्यटक सेवा केन्द्र	Tourist Service Centres (Parytak Sewa Kendra) in the country	96
10131	विदेशों में पर्यटकों के लिये विभिन्न भाषाओं में प्रचार सम्बन्धी सामग्रियों की पुस्तिकाएं भेजना	Languages in which Tourist Publicity material is sent Abroad	96
10132	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा हिन्दी भाषा में लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences in Hindi Language by Central Excise Department .	96
10133	मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात द्वारा जारी किये गये लाइसेंस	Licences by Chief Controller of Imports/Exports . . .	96-97
10134	इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विमान यात्रियों को समाचार-पत्र और पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध करना	Newspapers and Periodicals made available to Air Travellers by Indian Airlines .	97
10135	सोवियत संघ तथा चैकोस्लोवाकिया को निर्यात में कमी	Decline in Exports to USSR and Czechoslovakia . . .	97
10136	बोइंग विमानों की उड़ान के समय कम्पन के कारण रक्तचाप बढ़ जाने सम्बन्धी शिकायतें	Complaints regarding increase in Blood pressure due to Vibration Boeings while on Flight . .	97
10137	भारत और अमरीका के बीच व्यापार	Trade between India and U.S.A.	97-98
10138	पश्चिम बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tobacco Growers of West Bengal . .	98
10139	पश्चिम बंगाल में तम्बाकू उत्पादकों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Tobacco Growers in West Bengal .	98-99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10140	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण में कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना	Absorption of employees in International Airports Authority .	99-100
10141	पंजाब को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Punjab .	100
10142	वित्तीय नीतियों का सरकारी उपक्रमों पर प्रभाव	Impact of Fiscal Policies on Public Undertakings . . .	100
10143	"यू०एस०ट्रेड आब्जेक्टिव फेल्द-सेज एडी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report entitled "US trade objective failed says aide" .	101
10144	"एशियन क्लीयरिंग यूनियन" के गठन में विलम्ब	Delay in formation of Asian Clearing Union	101
10145	पंजीकृत निर्यातकों द्वारा नमूनों के आयात के लिये और निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी करना	Issuing advance licences to exporters and for import of samples by registered exporters . .	102
10146	अखिल भारतीय शान्ति और एकता संगठन से आयकर की वसूली	Realisation of Income-Tax from All India Peace and solidarity organisation	102
10147	देश में बुनकर केन्द्रों और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या	Number of Weaver Centres and Institutes of Handloom Technology in the country . . .	102-103
10148	हथकरघा सूती उत्पादों का निर्यात	Export of handloom cotton products	103
10149	औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लेने वाली कपड़ा मिलों के नाम	Cotton textile mills which obtained loan from industrial Finance Corporation	103-105
10150	1971–72 तथा 1972–73 के दौरान "इफाफे" को निर्यात	Exports to ECAFE during 1971-72 and 1972-73	105-106
10151	विशाखापत्तनम नगर का दर्जा बढ़ाना	Up-gradation of Visakhapatnam City	106
10152	नेपाल से आयात किये जाने वाले पटसन के माल पर शुल्क की दरें	Rate of Levies on import of Jute Goods from Nepal . .	106
10153	22 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में हुई ट्रेविल एजेंटस एसोसियेशन की वार्षिक बैठक	Annual Convention of Travel Agents Association, held in New Delhi on 22-3-73	107
10154	बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of closed and sick Tea Estates	107-108
10155	पटसन व्यापार पर डालर अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of dollar devaluation on Jute Trade	108
10156	नार्दर्न इंडिया काटन टैक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन की नई दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Northern India Cotton Textile Mills Association, held at New Delhi	108

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10157	राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांककों की सेवा शर्तें	Terms and conditions of Surveyors and Loss Assessores of Nationalised General Insurance Companies	109
10158	कलकत्ता के सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अश्लील साहित्य और अश्लील फिल्मों का पकड़ा जाना	Seizure of Pornographic Literature and blue films by Calcutta	109
10159	संकटग्रस्त जूट मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये समिति बनाना	Setting up of a Committee to Improve the working of sick Jute Mills	110
10160	नई दिल्ली में पर्यटन के लिये व्यावहारिक योजना और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित विचार गोष्ठी	Seminar on Physical Planning and Area Development held in New Delhi	110
10161	पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होना	Substantial increase in country's export during the Fifth Plan Period	110
10162	केन्द्रीय सरकार की बजट व्यवस्था में परिवर्तन	Changes in budgetary system of Central Government . .	110-113
10163	केन्द्रीय सरकार की लेखा बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. Recommendations on accounting and budgeting procedure of Central Government . .	113
10164	भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में बातचीत	Talks on Economic Cooperation between India and Poland .	113-114
10165	भारतीय रूई निगम द्वारा वर्ष 1970 से 1973 तक रूई की गांठों की खरीद	Purchase of Cotton Bales by CCI from 1970 to 1973 . . .	114
10166	राजस्थान टैक्सटाइल हैंड प्रोसेसर्ज एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Rajasthan Textile Hand Processors Association	114
10167	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हरियाणा में उद्योगों को दी गई राशि	Amount advanced to the Industries in Haryana by Industrial Financial Corporation	114-115
10168	इटली के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures with Italy .	115
10169	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies	115-116
10170	राज्य आवास डोर्बों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by LIC to State Housing Boards	116-117
10171	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या	Number of employees working in the Nationalised Blanks	117-118
10172	वर्ष 1972–73 के दौरान काजू का निर्यात	Export of Cashew-nuts during 1972-73	118-119

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10173	केरल में किसानों को दिये गये बैंक ऋण	Bank Loans given to Farmers in Kerala	119
10174	भारत में चोटी के 100 व्यक्तियों द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income Tax by Top 100 Individuals in India . .	119
10175	बैंकों में भ्रष्टाचार	Corruption in Banks .	119
10176	वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक के कार्यालय में विभिन्न श्रेणियां के पदों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण	Reserved Vacancies for Scheduled Castes/Tribes in various categories of posts in the Office of D.G.C.I& S	120
10177	इण्डियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं के स्थान पर पुरुष एटेंडेंट नियुक्त करने का प्रताव	Proposal to appoint Air-Hosts or Male Attendants instead of Air-Hostesses in Indian Airlines	120
10178	भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्य इंजीनियर की सेवा अवधि बढ़ाना	Extension granted to Chief Engineer of I.T.D.C. . . .	120—121
10179	गिरिडीह तथा कोडारमा (बिहार) में अभ्रक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Mica Factory at Giridih and Kodarma Bihar)	121
10180	वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films during 1972-73	121
10181	निर्यात प्रोत्साहन पाने के उद्देश्य से वस्तुओं की काल्पनिक तथा मिथ्या बिक्री	Fictitious and bogus sale of goods for the purpose of taking export incentives	121—122
10182	सालमिश्री (औरचिड) के पौधे तथा फूलों का निर्यात	Export of orchid both plant and flowers	122
10183	चिथड़ों के आयात का कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर प्रभाव	Effect of Import of rags on textile Hosiery Industry . . .	122—123
10184	चमड़ा विकास निर्यात निगम	eather Development Export Corporation	123
10185	विद्युत सप्लाई में कटौती करने के कारण कपड़ा उद्योग में जनघंटों की हानि	Loss of Man hours in Textile Industry due to Power cut . .	123
10186	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारतीय संस्कृति के चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों का प्रदर्शन	Display of pictures and portraits of Indian Culture at International Airports . . .	123
10187	होली मना रही युवतियों के चित्रों वाले पर्यटन विज्ञापन	Tourist Advertisement exhibiting pictures of Girls engaged in Holi Festivals	123 224

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10188	श्रीलंका द्वारा उड़ीसा वन निगम से केन्दुपत्तों की खरीद	Purchase of Kendu Leaf by Sri Lanka from Orissa Forest Corporation	124
10189	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भत्तों को तर्क संगत बनाने के लिय एक क्षेत्रीय समिति की स्थापना	Setting up of a Regional Committee for Rationalisation of the Scales of Allowances in Public Sector Enterprises	124
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	125-129
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	129-130
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill .	130
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions . .	130
	(एक) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes	130
	(दो) 27वां प्रतिवेदन	(ii) Twenty-seventh Report	130
	विशेषाधिकार समिति चौथा प्रतिवेदन	Committee on Privileges Fourth Report	130
	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति पांचवां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Fifth Report . .	130
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति 10वां प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from the sittings of the House Tenth Report . . .	131
	सभा का कार्य	Business of the House	131-134
	श्री के० गोपाल, संसद सदस्य की एक आंख की दृष्टि समाप्त हो जाने के बारे में वक्तव्य श्री आर० के० खाडिलकर	Statement re Loss of vision in an eye of Shri K. Gopal, M.P. Shri R. K. Khadilkar . . .	134-135
	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पुरः-स्थापित नियम 377 के अतर्गत मामले	Coal Mines (Nationalisation) Bill —*Introduced* Matter under Rule 377	135
	लोक सभा संकल्प की क्रियान्विति के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	Motion re Reference of matter to Committee of Privileges about implementation of Lok Sabha Resolution	136
	मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Statutory Resolution re Proclamation in relation to the State of Manipur and Manipur State Legislature (Delegation of Powers) Bill	136-142

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	137—138
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	139
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	139—141
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	141
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	141—142
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma	142
पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में संकल्प वापस लिया गया	Resolution re Industrial Development of Eastern Region—*Withdraw*	143—152
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	143
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	143—144
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mahapatra	144
श्री जे० माता गोहर	Shri J. Matha Gowher	144—145
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	145
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	145—146
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	146
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	146—147
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	147
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	147
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	147—148
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	148—149
श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य	Shri Chaplender Bhattacharyyia	149
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	149—151
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	151
किसान डाक्टरों के बारे में संकल्प	Resolution re Peasant Doctors	
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote	151—152
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	
पांचवीं योजना के तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों का सहयोग	People's Participation in Preparation and Implementation of Fifth Plan	152
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	152—153
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	154—155

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 11 मई, 1973/21 वैशाख, 1895 (शक)
Friday, May 11, 1973/Vaisakha 21, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

AL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी

*1061. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस बारे में अब तक कितनी सफलता मिली है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) विदेशी राष्ट्रकों द्वारा भारत में मादक-द्रव्यों के तस्कर-आयात के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

(ख) एल०एस०डी०, एल०एस०डी०-25, डी० एम० टी०, एस० टी० पी०, डी०ई०टी०, मैसकेलाइन आदि जैसे मादक द्रव्यों का, औषधीय अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी सीमित उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग को छोड़ कर, भारत में आयात निषिद्ध कर दिया गया है।

तस्कर-व्यापारियों के बारे में गुप्त-सूचना इकट्ठी की जाती है। जिन व्यक्तियों पर निषिद्ध मादक-द्रव्य ले जाने का सन्देह होता है उनकी सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

श्री रणबहादुर सिंह : प्राय: कहा जाता है कि यद्यपि विशुद्ध मादक द्रव्यों की देश में तस्करी नहीं की जाती है फिर भी यह सर्वविदित है कि देश में नेपाल की सीमा से अपरिष्कृत रूप में इन द्रव्यों की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है। क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है और यदि हो, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री के० आर० गणेश : प्रश्न, तकनीकी रूप से, मादक द्रव्यों के विषय में पूछा गया है। उत्तर के भाग (ख) में मैंने जिन द्रव्यों का उल्लेख किया है वे ऐसे सामान्य द्रव्य नहीं है जो नशीली औषधियों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। इसीलिए यह उत्तर दिया गया है कि हमें कोई सूचना नही मिली है । परन्तु जहां तक नशीली औषधियों का प्रश्न है सरकार को इस बात का पता है कि इनकी नेपाल की सीमाएं से तस्करी हो रही है और इसे रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए गये हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : नेपाल की सीमा से ऐसे द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री के० आर० गणेश : नेपाल की समस्त सीमा पर प्रतिबन्धात्मक कलक्टरी के अन्तर्गत कार्य चल रहा और राज्य सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी तथा सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क विभागों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है और आवश्यक, उपकरण पर्याप्त मात्रा में प्रदान कर दिये गए हैं। नियमित रूप से देख भाल की जाती है। इस उद्देश्य के लिए सीमा-सुरक्षा दल के कर्मचारियों से भी सहायता ली जा रही है।

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : क्या सरकार को पता है अथवा उन्होंने इन आधुनिकतम तथा मादक द्रव्यों के उचित उपयोग का पता लगाने के लिये प्रयास किये हैं।

अध्यक्षमहोदय : आधुनिकतम

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : मेरे पहले साथी ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या नेपाल की सीमा से तस्करी हो रही है और मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि नेपाल की सीमा से ऐसा हो रहा है। परन्तु मंत्री महोदय ने जिन द्रव्यों के नाम लिए हैं, डी एम टी, एस टी० पी आदि वे आधुनिकतम हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्म क्या है ?

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : क्या सरकार इन द्रव्यों का उचित उपयोग जानती है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से किस प्रकार उठता है। मूल प्रश्न तस्करी रोकने के सम्बन्ध में है। यदि आप आधुनिकतम द्रव्यों के विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिये स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मोहनराजकलिंगारायर : सीमा क्षेत्रों की अपेक्षा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे हवाई अड्डों से तस्करी अधिक होती है ।

एक माननीय सदस्य : और मद्रास ?

श्री मोहनराज कलिंगारायर : हाँ और मद्रास। मद्रास के छोड़े जाने के लिये खेद है। क्या मंत्री महोदय को ऐसी नियमित तस्करी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? उन्होंने कितने मामले पकड़े हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० आर० गणेश : अब प्रश्न मादक द्रव्यों तक सीमित नहीं रहा है। जहां तक मादक द्रव्यों का प्रश्न है, मैंने बताया है हमने ऐसे बहुत कम मामले पकड़े हैं ; इसी लिये मैंने यह कहा है कि इनकी बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं हो रही है। जहां तक द्रव्यों तथा नशीली औषधियों का सामान्य प्रश्न है, इन हवाई अड्डों से बहुत से मामले पकड़े गये हैं इस में देश से तस्करी किये जाने वाले मामले भी हैं। हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक अफीम पैदा होती है। विश्व के उत्पादन की 80 प्रतिशत भारत में होती

है जो औषधियों के रूप में तथा अन्य उपयगों के रूप में प्रयुक्त होती है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बड़ी सख्त निगरानी रखी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल मादक द्रव्यों के विषय में उत्तर दे रहे हैं।

श्री के० आर० गणेश : सभी मादक द्रव्यों के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं·······

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय प्रश्न के विस्तार से दूर चले जाते हैं तो मैं चर्चा को प्रश्न के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं ला सकता। प्रश्न मादक द्रव्यों के विषय में पूछा गया है। यदि आपके पास केवल ऐसे द्रव्य के बारे में जानकारी है तो उसे आप बता सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : इन मादक द्रव्यों के हमने केवल दो मामले पकड़े हैं। इसके अतिरिक्त और कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री एस० बी० गिरि : मंत्री महोदय ने कहा है कि तस्करी रोकने के उपाय करने पर भी तस्करी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तस्करी रोकने के उपाय करने पर भी नेपाल सीमा से कितने, कुल कितनी धन राशि के मूल्य के सामान की तस्करी हुई ?

श्री के० आर० गणेश : तस्करी की राशि की मात्रा बताना कठिन है।

श्री के० लकप्पा : विदेशी राष्ट्रिकों, विशेषतया हिप्पियों द्वारा भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी से एक स्थिति पैदा हो रही है जो देश के मनुष्यों के मस्तिष्कों को दूषित कर रही है। क्या देश में हिप्पियों द्वारा की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और वे कदम क्या हैं ?

श्री के० आर० गणेश : हिप्पियों के विरुद्ध कार्यवाही तभी की जायेगी जब वे देश के काननों तथा औषधनियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि नेपाल से दिल्ली में अपरिष्कृत मादक द्रवों की तस्करी की जाती है कि और तत्पश्चात इन द्रव्यों को परिष्कृत करके विश्वविद्यालय प्रागणों में बांटा जाता है?

श्री के० आर० गणेश : क्योंकि आप क्रांति के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं अतः इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के उत्पादन में कमी

*1066. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** :

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन 1973 की प्रथम तिमाही में लक्ष्य से कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी हाँ।

(ख) उत्पादन में कमी का कारण यह है कि मिलों को मई, 1968 की कीमतों पर, जिन्हें अलाभप्रद बताया गया है, नियंत्रित कपड़ा बेचना होता है और अक्तूबर 1972 से बिजली की कटोतियाँ भी इसका कारण हैं।

इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने प्रत्येक मिल को अनुदेश जारी किए हैं कि वे 30 जून 1973 तक, जुलाई 1972 से दिसम्बर 1972 और जनवरी 1973 से मार्च 1973 की अवधि के दौरान नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में हुई अपनी कमी को पूरा करें। इस कमी को पूरा न करने पर एक रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से जुर्माना लगेगा। जुर्माने के रूप में एकत्र की गयी निधियों में से, उन मिलों को जो अपने दायित्व से अधिक नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने का आफर देंगी, 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रोत्साहन-सहायता उस नियंत्रित कपड़े पर दी जाएगी जिसका उत्पादन वे अपने दायित्व से अधिक करेंगे। यह आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्रीमहोदय ने उत्पादन वृद्धि के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दिसम्बर 1972 से आज तक उत्पादन में प्रत्येक माह कितनी कितनी वृद्धि हुई है। क्या मंत्रीमहोदय के पास कोई आंकड़े हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जनवरी, 1973 मे 140 लाख वर्ग मीटर, फरवरी में 150.40 लाख वर्ग मीटर, मार्च के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं परन्तु फिर भी उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है क्योंकि हमारे हिसाब से प्रत्येक तिमाही में, 500 लाख वर्ग मीटर अर्थात् प्रति वर्ष में 20 करोड़ वर्ग मीटर उत्पादन होना चाहिए था। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति में असफलता मिली है। जुलाई 1972 से दिसम्बर 1972 तक केवल 16 करोड़ 40 लाख वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य के अनुसार 20 करोड़ वर्गमीटर होना चाहिए था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निर्धारित लक्ष्य का केवल 82 प्रतिशत उत्पादन हुआ। इस प्रकार कपड़ा मिलें अपेक्षित लक्ष्य पूरा करने में असफल रही हैं।

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी : मंत्रीमहोदय ने कहा है कि वह उन मिलों पर जुर्माना करेंगे जिन्होंने अपने दायित्व पूरे नहीं किये हैं। परन्तु यदि ये मिलें बिजली की कटौती के कारण ऐसा नहीं कर सकी हैं तो भी क्या उन पर जुर्माना किया जाएगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां। यह जुर्माना हमने नहीं किया है। भारतीय कपड़ा मिल संघ ने ऐसा निर्णय किया है, क्योंकि बिना किसी सरकारी सुझाव के ही वे स्वयं यह समझते हैं कि बिजली की कटौती के कारण उत्पादन कम होने तथा दायित्वों के पूरा न किये जाने में कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य के प्रश्न के लिए मेरा उत्तर स्वीकारात्मक है। दायित्वों को पूरा करने के मामले में बिजली की कटौती के हिसाब से उत्पादन ह्रास की दर अनुचित है।

Shri Jagannath Mishra : The Hon. Minister has said that there has been a nominal decline in the production of the Controlled cloth. But in February and April only 7 bales have been supplied to a particular place against the requirement of 100 bales and even in this short quantity Dhotis and Saris were not supplied at all. Does it not reflect the huge decline in the production of Controlled cloth? The Hon. Minister has given price fixation as the only reason for the decline

in cloth production and has pointed out that the production declined because the prices fixed were those which were prevailing in 1968. May I know whether the fixation of the prices is the only reason of the Shortfall in production or there are other reasons as well if there are other reasons also, What are those and what action Government propose to take in this regard?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कुछ दूसरे कारण भी हैं, परन्तु बताए गए दायित्वों को पूरा न करने के संदर्भ में कोई भी कारण उचित नहीं है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि मिलें जुर्माना अदा कर रहीं हैं और दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा उसे न पूरा करने के लिए उसके लिए जुर्माना देना उन्हें रुचिकर है क्योंकि जुर्माना देने में उन्हें लाभ है। हम इस स्थिति से अवगत हैं और इस सम्बन्ध में कदम उठाने जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the cloth Mills are not allowed to produce the cloth below the quality of No. 24 Yarn because the manufacture of that quality of cloth has been prescribed for powerlooms and Handlooms. Despite of this cloth Mills are not leaving that type of cloth for the Powerlooms and Handlooms and they are manufacturing it. Mills are not producing controlled cloth because it is not more profitable. At present shops for the distribution of Controlled cloth are not inadequate numbers and the poor people do not get controlled cloth at Cheaper rates. May I know the action Government propose to take to ensure supply of controlled cloth in more quantity to the people to ensure adequate supply of yarn from the Mills to the Powerlooms and Handlooms and that the Mills do not manufacture that coarse cloth which has been prescribed for Handlooms and Powerlooms.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न यह है कि सरकार हथकरघों तथा अभ्यव्यक्तियों, गरीब बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रही है। इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न जो इस समय हमारे सम्मुख से है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि सरकार बहुत बड़ी जनता के उपयोग में आने आने वाले घटिया किस्म के कपड़े की सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उत्तरदायी मिलों द्वारा निर्धारित दायित्वों के पूरा न कर सकने की बात से सरकार बहुत चिन्तित है। हमने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से कहा है कि वे इस मामले को देखें। वे मामले पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी सिफारिशें प्राप्त होने की संभावना है। क्यों कि समस्या बहुत बड़ी तथा गम्भीर है इसलिए मैंने इस बीच वाणिज्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में योजना आयोग औद्योगिक विकास, तथा वित्तमंत्रालय के अधिकारियों और वस्त्र आयुक्त की एक समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति मूल ढांचे पर विचार करेंगी और न्यायोचित मूल्यों को सुझाव देगी। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपना प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में अर्थात् शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें क्योंकि जैसाकि वित्तमंत्री ने सदन में बताया है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हम दृढ़ हैं इसलिए हम इसे अधिक समय नहीं देना चाहते। हम वित्त मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुए हैं, जो भी तथ्य और आंकड़े हमारे पास हैं उन के अनुसार मूल्य ढांचा अनुचित है और लोगों को जो कपड़ा मिल पाता है वह बहुत कम है। हम शीघ्र ही समस्या का समाधान करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, my question has not be replied. I have asked about the action Government propose to take against them. The Government have taken over certain mills, even there they are not following the rules.........

Mr. Speaker, : Commetary distrubs each and every thing. this was a good question to which a very good reply was given.........

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I have asked whether the Government propose to take any strong action against the mills, including even those which have been taken over by them who are not following the rules?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि वर्तमान नियमों तथ परिस्थितियों के अन्तर्गत मिल मालिक नियम्रों का उल्लंघन करने से प्रसन्न हैं, वे जुर्माना देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें उत्पादन की अपेक्षा जुर्माना देना लाभदायक है। हम कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तथा सम्बद्ध प्रश्न पूछा है आप उन्हें क्या दंड देने जा रहे हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दायित्वों का उल्लंघन अत्यावश्यक वस्त्र अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है जो राज्य सरकारों का विषय है। मुझे आशा है कि वे इस सम्बन्ध में दृढ़ कार्यवाही करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय के द्वारा बताये गए कारणों आदि के बावजूद, मिल मालिकों का कहना है कि मूल्य अलाभप्रद हैं। क्या सरकार ने इसकी जांच की है और पता लगाया है कि क्या उनके इस दावे में कोई औचित्य है? दूसरे क्या उन्होंने राज्य सरकारों से जुर्माने की राशि बढ़ाने का सुझाव दिया है? तीसरे, और यह बात बहुत महत्व की है कि मिलें अपने लक्षित उत्पादन से कम माल जारी किया गया दिखाती है। इस माल को वापिस मिल में ला कर पूरा कपड़ा बदल दिया जाता है। सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है? हमें इसका ठोस और निश्चित उत्तर अपेक्षित है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा मैंने पहले कहा कि कारण चाहे अनेक हों परन्तु जैसा उन्होंने किया है वह उचित नहीं है। हमने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को भी इस मामले की जांच करने को कहा है। परन्तु उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना हमने एक बहुत उच्चशक्तिप्राप्त समिति बनाई है जो इन अनेक और गम्भीर मामलों की जांच करेगी। उनकी रिपोर्ट आने तक, जिसे हमने उन्हें शीघ्रातिशीघ्र देने के लिए कहा हुआ है, हम भी इसकी जाच करेंगे।

श्री भगवत झा आजाद : यह समिति किस लिए? उनके निर्देशपद क्या हैं जबकि हमें पता है कि उन्होंने घोटाला किया है? क्या यह मिल मालिकों की सहायता करेगी या जनता की?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: : जनता की।

श्री आर० एस० पाण्डे : इस प्रकार के नियंत्रित कपड़े को लाने का मूल उद्देश्य यही था कि गरीब जनता को यह उपलब्ध हो। फिर सरकार को इस कपड़े का कोटा बढ़ाने में क्या कठिनाई है ताकि मिलें इस प्रकार के कपड़े का अधिकाधिक उत्पादन करें और क्या सरकार मंहगे कपड़े का उत्पादन घटा कर नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन बढ़ाएगी ताकि गरीबों को यह उपलब्ध हो सके?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सुझाव काफी ठोस है और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नीति निर्धारण में इस पर सदा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मैं सदस्य महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि माननीय वित्तमंत्री ने अपने बजट में उस लम्बे रेशे वाली कपास पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया है जो सूडान और मिश्र से

मगाई जाती है और जिससे बढ़िया कपड़ा बनता है। इससे इन्हें मोटे कपड़े के उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलेगा । उनके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि जी हां, हमारा दृष्टिकोण यही है कि गरीबों के उपयोग वाला कपड़ा ही अधिक मात्रा में तैयार हो।

श्री आर० एस० पांडे : : श्रीमन्, मैं आपका आश्रय चाहता हूं। 20 करोड़ गज कपड़े का लक्ष्य हमारा है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें वृद्धि करेगी, यदी हां, तो कितनी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे उत्तर से स्पष्ट ही है कि उनका सुझाव ठोस है, अतः हमारी नीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही।

अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे क्योंकि दो प्रश्नों में ही आधा घंटा लग चुका है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे तो प्रश्न पूछने का अवसर ही नही दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कभी कभी ही ऐसा होता है।

अगला प्रश्न।

Meeting of Aid India Consortium

*1067. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a meeting of Aid India Consortium is going to be held in paris in the current month;

(b) whether Government of India will send their representative to attend the meeting; and

(c) if so, a brief account of the proposals which will be placed by India in the said meeting for acceptance?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) : भारत सहायता संघ की बैठक पैरिस में 14 और 15 जून, 1973 को होगी। भारत सरकार का प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेगा । बैठक में भारत के आर्थिक विकास की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और 1973-74 के राजस्व वर्ष के लिए सहायता सम्बन्धी भारत की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा । भारत के प्रस्तावों में, मोटे तौर पर, दोनों प्रकार की आवश्यकताओं अर्थात् अनुरक्षण आयातों के लिए परियोजना-भिन्न आवश्यकताओं तथा पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों की परियोजना गत आवश्यकताओं को लिया जाएगा।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Sir, I want to know the reason for postponement of the meeting of Aid India Consortium Scheduled for 1st of March till 14-15th June?

Secondly, I want to know the names of countries likely to attend that meeting?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस संगठन की बैठक भारत के लिए सामान्यतया जून मास में ही होती है। इसका नेतृत्व विश्व बैंक करता है और इसमें लगभग सभी विकसित देश भाग लेते हैं।

Shri Mahadeepak Singh Shakya: The hon. Minister has not Stated the names of such countries?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे देश हैं, आस्ट्रिया, बैल्जियम, कनाडा, डैनमार्क, फ्रांस, जर्मनी (पश्चिम), इटली, जापान, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन ब्रिटेन और अमरीका।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : I want to know the Countries before whom the proposal, regarding aid requirements and maintenance imports would be submitted and whether Government would accept aid with strings or they would ensure to obtain the same without strings?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में हमारी एक निश्चित नीति है और यदि हमें बिना राजनीतिक शर्तों के उचित शर्तों के साथ भी ऋण मिले तो हम सामान्यतया उसे स्वीकार कर लेते हैं।

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या उक्त संगठन के सदस्य देश वहां से आयात की शर्त के साथ सहायता देते हैं या हम मिले ऋण को कहीं भी प्रयुक्त कर सकते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अधिकांश सहायता की यही शर्त होती है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या इस प्रकार प्राप्त होने वाली सहायता विश्व बैंक के माध्यम से मिलेगी या ये देश व्यक्तिगत रूप से देंगे? दूसरे क्या इस सहायता से हमें अपनी विदेशी सहायता पर निर्भरता समाप्त करने वाले कार्यक्रम पूरे करने में मदद मिलेगी जिनका उल्लेख योजनामंत्री किया करते हैं कि वह उन्हें पांचवीं योजना में पूरा करना चाहते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक उक्त संगठन को दिए गए वचनों का संबंध है, कुछ वचन चर्चा के दौरान दिए जाते हैं परन्तु अन्ततः जब मंजूरी या सहायता देने का समय आता है तब ये सरकारी तौर पर द्विपक्षीय आधार पर होते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध विदेशी सहायता के संबंध में हमारी आय नीति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पांचवीं योजना के अन्त तक इसका आकार शून्य हो जाए, और हम इस वर्ष और इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।

Charge of selling youth fare Tickests to Over-Age Passengers levelled Against Air India by Civil Aeronautics Board's (CAB) Bureau of Enforcement

*1068. **Shri Shiv Kumar Shastri**† : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be
Shri Bhagirath Bhanwar : pleased to state:

(a) whether Civil Aeronautics Board's (CAB) Bureau of Enforcement has charged Air India with selling youth fare tickets to the over-age persons in illegal manner;

(b) whether a charge has also been levelled against Air India that they have sold 93 tickets at reduced rates on flights between London and New York;

(c) whether Air India is the only Airlines against which such a charge has been levelled; and

(d) if so, the facts of the matter and the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b): The U.S. Civil Aeronautics Board has alleged that Air India infringed in certain ticketing regulations and wrongly agreed to pay some extra commission to a travel agency in order to persuade passengers to fly by Air India. The complaint itself, however, indicates that this extra commission was not in fact paid.

(c) The information is not available.

(d) Air India is preparing its reply to the complaint and its stand is that it has not violated the Federal Aviation Act.

Shri Shiv Kumar Shastri : Sir, the nature of the complaint shows that such complaints are common by the Civil Aeronautics Board against various airlines. So, I want to know whether efforts have been made that uniform rules are applied to all and passengers are attracted towards each airlines without mutual pulls and pushes? If so, the results thereof?

Dr. Karan Singh : Sir, each country has its own Civil Aviation Authority and whenever they feel that rules are being violated, they take action in the matter—this is so throughout the world.

Regarding fares, IATA is, trying for resolving the differences in fares and these attempts are yet on.

Shri Shiv Kumar Shastri: One aspect is not clear from his reply. They had not paid to the agency which made efforts to draw some passengers, perhaps negotiations were initiated. This should be clarified. Secondly, whether we get adequate number of passengers according to the capacity of our planes? If not, the extent of Seats going vacant and the loss being suffered thereby?

Dr. Karan Singh : Sir, this is one specific case which is before the Civil Aeronautics Board and the Air-India is preparing its case for defence.

I could not follow the Second part of the Question. Every Airline wants that its planes should run with full capacity and Air-India has good image in the world at present.

Shri Shiv Kumar Shastri : Suppose you have a plane with a capacity of 100 seats, I wanted to know whether it goes full or whether some seats remain unoccupied?

Dr. Karan Singh : There are hundreds of flights some some go full and some not. We do try that all go full.

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि एयर-इण्डिया अपना सफाई पक्ष तैयार कर रहा है, तो क्या उक्त संस्था के लिए यह अनुचित नहीं है कि वह प्रैस में उसे बदनाम करने वाला ब्यान दे जबकि सक्षम न्यायालय में मामला लम्बित है ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में मुझे मालूम नहीं है कि प्रेस को किसने सूचना भेजी। परन्तु यही तो इस धन्धे का जोखिम है। परन्तु मामला लम्बित होने पर भी यदि कोई पक्ष प्रेस में गया है तो मुझे इतना अवश्य कहना है कि एयर इण्डिया की विश्व में अच्छी साख है।

Life Insurance of "Safai Kramcharis"

*1069. **Shrimati Savitri Shyam :**

Shri Shanker Dayal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the new-item published in the 'Nav Bharat Times' of 19th April, 1973 to the effect that the 'Safai Karamcharis' are not insured by the Life Insurance Corporation of India because they can easily fall victim to diseases; and

(b) if so, the action being taken by Government to remove this ban?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi): (a) Yes, Sir.

(b) The Life Insurance Corporation accepts proposals on the lives of sweepers and scavengers (Safai Karamcharis) at ordinary rates under most Plans of Insurance except where the risk involved is high, such as that from poisonous gases in manholes and other accidents underground.

Smt. Savitri Shyam : Sir, I want to know under what article of the Constitution or clause of L.I.C rules Social Security is not being provided to those who do more risky jobs—whether they work in man-holes or clear night-soil and they are discriminated against?

Smt. Sushila Rohatgi : Sir, as is clear form the reply, there is no discrimination as such and all scavenging staff enjoy L.I.C. facilities at standard premium rates except where the risk involved is high, such as those where poisonous gases are emitted from maholes and under ground drainage, the necessary security is provided as in Bombay, where there is a special squad which periodically inspects them. It may also be stated that there has not been even a single mishap during the last five years. There has been no such discrimihation despite risky nature of work and insurance has been done on normal rates of premium. Where the risk involved in more, these rates are decided on merit.

Smt. Savitri Shyam : Sir, as a woman, I would request her to try to amend the relevant Act if there is any discrepancy in this regard as according to her reply it only covers cases where the risk involved is very much and she would also try to improve upon the belief among Ministers to maintain the *Status-quo.*

Smt. Sushila Rohatgi: I believe this allegation is baseless that Ministers like to maintain *Status-quo.*

Secondly, policy-holders are at the same footing, be they men or women. However, we want to extend special facilities to the labour and other weaker sections of society in view of its changing pattern. That is why L.I.C. has itself withdrawn the special rates of premia in respect of Sweepers who had to pay at the rate two or four rupees per thousand rupees.

Smt. Savitri Shyam : I agree that life and the risk involved is equal for both sexes, even then I request and urge that all workers should be compulsorily covered by L.I.C.

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि अधिकांश सफाई कर्मचारी अनुसूचित जातियों के होते हैं और इस विचार से क्या इस का अर्थबोनस जैसे मामलों में अनुसूचित जातियों को समान अवसर से वंचित करना नहीं है क्योंकि वे तथाकथित अनुत्पादक कर्मचारी हैं, उन्हें बोनस नहीं दिया जाता है और उनको यद्यपि बीमा सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है और वे रोगी भी हो सकते हैं? क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही करेगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे यह समझ में नहीं आया कि बोनस का प्रश्न इसके साथ कैसे सम्बद्ध है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसी के जीवन को कोई विशेष खतरा न हो, सामान्य दर लागू होते हैं। जब कोई विशेष ख़तरा होता भी है, तो उस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और यदि विशेष दर से प्रीमियम लेना उचित न समझा जाए तो उनसे सामान्य दर ली जाती है। किसी भी मामले में 5 रुपए से 7.50 रुपए प्रति हजार से अधिक प्रीमियम नहीं लिया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पूछा था कि क्या अधिकांश कर्मचारी अनुसूचित जातियों के नहीं हैं? क्या यह असंगत प्रश्न है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सच है कि इनमें अधिकांश लोग समाज के कमजोर वर्गों के हैं और इसीलिए हमने अपने सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और यह निर्णय किया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर, जब सरकार ने महात्मा गान्धी के सिद्धान्त को ध्यान में रख कर विधि और सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में समानता की नीति स्वीकार की है, जब मन्त्री महोदय ने सभा में स्वीकार किया है कि जोखिम के मामले में भेद-भाव आवश्यक है, क्या सरकार इस नीति को तत्काल बदलेगी और इस बात को सुनिश्चित बनायेंगी कि इन सफाई कर्मचारियों को जीवन बीमा के लाभ उपलब्ध हों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने यह नहीं कहा कि कोई भेद-भाव किया जाता है। पता नहीं उन्होंने यह कैसे समझ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : सफाई कर्मचारियों को आसानी से रोग हो सकता है और उसके परिणामस्वरूप उन्हें जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए मेरे विचार में उन्हें बीमा करवाने के अधिक अवसर दिए जाने चाहिएं ताकि वे अपने परिवारों के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह एक सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon'ble Minister has stated that there is no discrimination but in case it is true, I would like to know the number of safai Karmacharis who have been insured?

Mr. Speaker : This does not relate to the main question.

Shri Phool Chand Verma : The function of the life Insurance Corporation is to do insurance work and it is but natural that they should cover backward classes who serve others at the risk of their own lives but L.I.C. is neglecting them, as it is evident from the Hon'ble Minister's reply. Will she consider this matter seriously and introduce any amendment that any person, who is resident of India, irrespective of his profession, and wants to get himself insured then the insurance agencies will not refuse to insure him?

Shrimati Sushila Rohatgi : I have listened to the views of the hon'ble member carefully and the L.I.C. has taken this decision keeping in view these very principles. I would like to inform him that in 356 occupations out of a total of 391 occupations extra payment has been stopped by L.I.C. due to which it has to suffer a loss to the tune of Rs. 40, 50 lakhs. There are some other occupations also but L.I.C. being a commercial institution has to see as to how this loss is to be made up.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या जीवन बीमा निगम का मुख्य लक्ष्य लाभ अर्जित करना है? यदि नहीं तो क्या उन्हें उन लोगों का बीमा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं देनी चाहिएं जिनके व्यवसाय में जीवन का ख़तरा होता है ताकि अन्य लोग स्वच्छ रह सकें? क्या सरकार सफाई कर्मचारियों के बारे में इस निर्णय पर पुनः विचार करेगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जीवन बीमा निगम इन लोगों का बीमा करने से इन्कार नहीं करता। इनमें से अधिकांश लोगों का बीमा मानक दरों पर किया गया है। केवल उन मामलों में, जहां ख़तरा अधिक रहता है, क्योंकि हमने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है, इस कारण उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का बोझ अन्य लोगों पर नहीं डाला जा सकता। इसलिए जिन लोगों का जीवन अधिक खतरे में रहता है, यदि वे अधिक प्रीमियम देने पर सहमत हों जो 7 रुपए 50 पैसे प्रति हजार से अधिक नहीं होगा, तो वे अपना बीमा करवा सकते हैं।

गैर-सरकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन

*1072. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 तथा 1971-72 के **वर्षों** में राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में गैर-सरकारी बैंकों का जमा राशियों में वृद्धि करने और ऋण देने सम्बन्धी कार्य निष्पादन बेहतर रहा;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कार्य निष्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और दोनों के कार्य-निष्पादन में इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने का नहीं है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : 1970-71 तथा 1972 के वर्षों में मार्च में अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा तथा अग्रिमों की रकमें नीचे दी गयी हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	जमा रकमें			अग्रिमों की रकमें		
	मार्च के अन्तिम शुक्रवार को			मार्च के अन्तिम शुक्रवार को		
	1970	1971	1972	1970	1971	1972
सरकारी क्षेत्र के बैंक	4227 (84.1)	4968 (84.1)	5981 (84.2)	3338 (84.1)	3953 (84.4)	4406 (83.7)
निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक	801 (15.9)	938 (15.9)	1126 (15.8)	632 (15.9)	731 (15.6)	858 (16.3)
जोड़ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5028 (100.0)	5906 (100.0)	7106 (100.0)	3970 (100)	4684 (100)	5263 (100)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल की तुलना में प्रतिशत शेयर के द्योतक हैं) ।

जैसा कि इन आंकड़ों से प्रकट होगा, निजी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में केवल वर्ष 1971-72 में सुधार हुआ, वह भी केवल अग्रिमों के सम्बन्ध में। दोनों क्षेत्रों के तुलनात्मक हिस्सों में परिवर्तन सीमांतिक है इसलिए दोनों क्षेत्रों के तुलनात्मक कार्य के सम्बन्ध में कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इस सम्बन्ध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों का हिस्सा बढ़कर 84.3 प्रतिशत हो गया तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों का हिस्सा घटकर 15.7 प्रतिशत हो गया।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर आवश्यक निर्देश, मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त आदि जारी किए जाते हैं।

श्री समर गुह : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि में से कितनी धन-राशि छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों और अपना काम करने वाले उद्यमकर्ताओं को दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गैर सरकारी बैंकों के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में और बैंक शाखाओं आदि के प्रसार के बारे में मैंने इस सभा में कई बार आंकड़े दिए हैं। यदि माननीय सदस्य उन आंकड़ों को ध्यान से देखें, जो मैंने गत 2-3 महीनों के दौरान दिए हैं, तो उन्हें यह आंकड़े मिल जायेंगे। शाखाओं का व्यापक रूप से विस्तार किया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि जब बैंक पहले-पहल किसी ग्रामीण क्षेत्र में शाखा स्थापित करता है तो उसे अपनी गतिविधियों को समेकित करने में कुछ समय लगे। निश्चय ही उसमें कुछ धन-राशि जमा हुई है। परन्तु अग्रिम धन-राशि लेने और उसका प्रयोग करने में कुछ समय तो लगेगा ही। इसलिए यद्यपि जमा धन-राशि में वृद्धि हुई है। अग्रिम धन-राशि के बारे में अधिक प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण निर्बंधनकार्य व्यापार प्रक्रियाएं नहीं है।

श्री समर गुह: मैं जानना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में, विशेषकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जमा-राशि और अग्रिम धन-राशि का ब्यौरा क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अग्रिमों में 84.3 प्रतिशत की बृद्धि और गैर-सरकारी क्षेत्र में अग्रिमों के घट कर 15.7 प्रतिशत रह जाने के क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उद्देश्य समाज सेवा है। उन्हें व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गतिविधियों का प्रसार न्यायोचित सिद्ध होता है।

श्री समर गुह : ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े का ब्यौरा क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आंकड़ों तो नहीं बता सकता परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों ने जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, उससे यह कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने केवल नगरीय क्षेत्रों में अग्रिम धनराशि दी है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know whether the hon'ble Minister is aware that the nationalised banks are functioning withing a radius of 10 miles ? They have not been able to cover five lakh villages and there is not a single bank in several blocks in North Bihar. So will the hon'ble Minster give an assurance that something will be done in respect of these areas ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उत्तर बिहार में भी बैंकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई नई शाखायें खोली गई हैं। जहां तक दस मील की दूरी का संबंध है, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है क्योंकि यदि बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को ऋण दिया जाता है तो वह उसके उचित प्रयोग पर निगरानी रख सके, यह कोई आवश्यक नियम नहीं है।

श्री यमुनाप्रसाद मंडल : वे इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं।

3—400LSS/73

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसको सुनिश्चित करने का प्रयत्न करूंगा कि इसको ऋण न देने का बहाना न बनाया जाय।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether no guidelines have been laid down with regard to the opening of branches in rural areas? Because there was a Syndicate Bank in our village and now a branch of State Bank has been opened there. In case the work has been increased, another branch of the Syndicate Bank could have been opened instead of State Bank. Syndicate Bank pleads that State Bank should have not been put up as their rival.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस कार्य के संबंध में समुचित समन्वय है, रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई शाखा नहीं खोली जा सकती और रिजर्व बैंक अधिक बैंक खोलने के के बारे में संबंधित क्षेत्र की आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षमता को ध्यान में रखता है। अतः मुझे विश्वास है कि इस पहलू पर विचार किया गया होगा। कोई व्यक्ति मनमर्जी से कोई बैंक नहीं चला सकता।

श्री जगन्नाथराव जोशी : वहां एक बैंक पहले से काम कर रहा है। वह अपनी एक और शाखा खोल सकता है। वहां स्टेट बैंक की शाखा क्यों खोली गई?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस में कोई गलत बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां एक बैंक है वहां दूसरा बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही शाखा होनी चाहिये। वहां दूसरी शाखा भी खोली जा सकती है। (**व्यवधान**) इससे अच्छी प्रतियोगिता होगी।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that where there were private banks there was no Tube-well, tractor or a truck in rural areas and now all these things are available in those areas after nationalisation of banks? May I also know whether hon'ble Minister would issue instructions to the banks to adopt liberal attitude to help the small businessmen, farmers and industrialists ?

Shri Yeshwantrao Chavan : Yes, Sir.

आई० सी० आई० और यूनियन कार्बाइड द्वारा धन भेजा जाना

*1075. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० आई० और "यूनियन कार्बाइड" ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवर, कुल कितना धन विदेशों को भेजा;

(ख) : उन्हें इतनी अधिक राशि विदेश भेजने की अनुमति देने के क्या कारण हैं, और

(ग) उन्होंने भारत में ऐसी कुल कितनी राशि का निवेश किया जो विदेशों से लाई गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक विवरण लोक सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1969–70 से 1971–72 तक के वर्षों में आई० सी० आई० (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तथा यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड के मामले में

निम्नलिखित प्रेषणाओं की अनुमति दी है :--

(लाख रुपयों में)

	लाभांश (शुद्ध)	अधिकार शुल्क	तकनीकी जानकारी	जोड़
आई० सी० आई० (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड				
1969–70	24.16	शून्य	शून्य	24.16
1970–71	24.16	शून्य	शून्य	24.16
1971–72 . . .	12.08	शून्य	शून्य	12.08
यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड				
1969–70 .	43.26	1.92*	50.74*	95.92
1970–71	71.58	शून्य	80.43**	152.01
1971–72 . . .	97.02	0.23	41.04	138.29

*आंकड़े कैलेण्डर वर्ष 1969 से संबंधित हैं ।

**आंकड़े कैलेण्डर वर्ष 1970 से संबंधित हैं ।

(ख) जहां तक लाभांशों के प्रेषण का संबंध है, सरकार की नीति यह रही है कि इन के प्रेषण के लिये विविध रूप से अनुमति दी जाए बशर्ते कि उनके संबंध में भारतीय करों की अदायगी कर दी गयी हो । अधिकार-शुल्कों और तकनीकी जानकारी शुल्कों की प्रेषणायें, सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित करारों के अनुसार की जाती है ।

(ग) 1947 से आई० सी० आई० ब्रिटेन ने आई० सी० आई० (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिये 84.50 लाख रुपये की राशि प्रेषित की थी । 1927 में भारतीय कम्पनी की 15.50 लाख रुपये की सम्पूर्ण पूंजी की मालिक ब्रिटेन की मुख्य कम्पनी थी । क्योंकि 1927 से 1947 के बीच की अवधि में ब्रिटेन और भारत के बीच कोई विदेशी मुद्रा संबंधी कोई नियंत्रण नहीं था इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उक्त अवधि में भारतीय कम्पनी में निवेश के लिये ब्रिटेन की कम्पनी द्वारा कितनी रकम लायी गयी थी ।

1947 से यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन आफ अमेरिका ने यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड में निवेश के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से 261.25 लाख रुपये की राशि प्रेषित की थी । 1947 में, भारतीय कम्पनी की 57.85 लाख रुपये की सम्पूर्ण पूंजी, अमेरिका की मुख्य कम्पनी के पास थी । यह मालूम नहीं है कि 57.85 लाख रुपये की उक्त राशि में से कितनी राशि अमरीकी कम्पनी द्वारा प्रेषित राशियों से पूरी की गयी थी ।

Shashi Bhushan : Mr. Speaker, I want to know to what extent the investment of I.C.I. and Union Carbide increased from 1966 to 1972 and what is the increase inprofit ratio and what amount has been repatriated by them. In the manner I. C. I. has been Indianised whether same orders have been issued from Indianisation of Union Carbide ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को देखेंगे तो वह आई० सी० आई० और यूनियन कार्बाइड के बारे में आंकड़े उसमें पायेंगे । उन्हें कितने लाभांश प्राप्त हुए तथा कितनी रायलटी मिली यह आंकड़े उसमें हैं। जहां तक उनके भावी कार्यक्रम का संबंध है, जैसा कि आपको पता है, इसके दो रास्ते हैं : (1) जब वे विस्तार के लिये कहते है, इस बारे में हमने पहले से नियम निर्धारित किए हैं। और इस निश्चित रूप से उन्हें अपना इक्वेटी घटाने को कह सकते हैं।

दूसरे, यह विधेयक सभा के समक्ष है अर्थात, विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक····

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्बाध रूप से धन-भेजना आश्चर्यजनक·····

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निर्बाध रूप धन भेजना—निश्चय ही यह आज की नीति है परन्तु जहां तक इक्वेटी भाग लेने का संबंध है, सभी ऐसी विदेशी कंपनियों जिनके 40 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, की कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिये उनके मामलों का पुनः अध्ययन किया जायेगा ।

Shashi Bhushan : Is it a fact that the sphere in which both these companies are monopolist and Indian **monopolist** businessmen do not come in competition with them and in spite of that they have made expansion in various spheres with your permission. Why have you permitted them to enter other spheres, such as fisheries etc.?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उसीलिये मैंने कहा कि हम निश्चय ऐसे अन्य मामलों पर ध्यान देंगे । यदि उत्पादन कार्यों के स्थान पर व्यापारिक कार्यों को हाथ में लेते हैं, तो इसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वक्तव्य में भेजे गये धन को तीन मदों में दिखाया गया है अर्थात्, लाभांश अधिकार शुल्क तथा तकनीकी जानकारी शुल्क । जहां तक यूनियन कार्बाइड का संबंध है उन्हें कितना धन मुख्यालय व्यय, व्याज, प्रबन्ध शुल्क चालू लाभांशों तथा संचित लाभांशों के नाम पर भेजने की अनुमति है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पूरे आंकड़े दे दिये हैं । मेरे पास पृथक पृथक आंकड़े नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं अपने प्रश्न को दुहरा दूं? मैंने इसका नोटिस दिया है क्योंकि इन्हीं मदों से धन विदेश चला जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कुल राशि के संबंध में है । इसमें पृथक पृथक आंकड़े नहीं मांगे गये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके पास पृथक पृथक आंकड़े भी होने चाहिएं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7।

श्री समर गुह : मैंने भी एक ऐसा ही प्रश्न तैयार किया है जिसके कई भाग हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं कि प्रश्न आपके नाम से हो । आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब हमने नियम 377 के अधीन मंत्री महोदय से व्यक्तव्य देने को कहा तब आपने उनसे वक्तव्य देने को कहा । श्रीमान, मेरा निवेदन है कि न केवल पश्चिम बंगाल पर अपितु समग्र देश पर विचार किया जाये....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मंत्री महोदय को इस बारे में लिख दिया है ।

श्री दीनेन भटाचार्य : कभी दिल्ली में भी है ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी

अ० सू० प्र०

7. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): मार्च 1973 से देश के सभी भागों से जिसमें दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, से कभी कभी मिट्टी के तेल की कमी की रिपोर्टें आती रहती हैं। इन कमियों का मुख्य कारण है। मार्च, 1973 से लागू जानबूझ कर लिया गया यह निर्णय कि देश में मिट्टी के तेल के उत्पादन को घटा कर तथा उसी अनुपात में डीजल आयल, हाई स्पीड डीजल आयल एवं लाइट डीजल आयल दोनों के उत्पादन को बढ़ाया जाये डीजल आयल व्यापक सूखे और बहुत अधिक बिजली की कटौतियों के कारण डीजल आयल की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। डीजल आयलों के अधिक उत्पादन की आवश्यकता पहले तो उठाऊ सिंचाई तथा वैकल्पिक बिजली उत्पादन के प्रयोजनों के लिये पड़ती थी किन्तु इस समय फसल काटने, कूटने उसकी ढुलाई और बिजली के उत्पादन के लिये इसकी आवयकता पड़ती है। यह निर्णय कच्चे तेल एवं शोधित तेल की विश्व-व्यापी कमी के कारण किया गया। डीजल आयल और मिट्टी के तेल जिन्हें संयुक्त रूप से मिडल डिस्टिल्लेटस कहा जाता है के आयात के लिये भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के दलों का विदेशों में भेज कर सभी संभव प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं। इन उपायों द्वारा मार्च 1973 से 154000 टन मिडल डिस्टिल्लेट्स का आयात हो सका है या उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है। स्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जा रहा है और मिट्टी के तेल की वर्तमान 20 प्रतिशत कटौती का जून में आंशिक रूप से तथा जुलाई में पूर्णत: समाप्त करने का विचार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बहुत सी बातें ली हैं। 1971 में '35.94 लाख मिट्टी टन मिट्टी का तेल उपलब्ध था और 1972, 1973 के आंकड़े 36.47 और 39.01 लाख मिटर टन हैं। पिछल तीन वर्ष में कितना तेल आयात किया गया ? आयात कर्त्ताओं के नाम क्या हैं ? कितना स्थानीय उत्पादन हुआ ? भारत की अनुमानित अधिकतम मांग कितनी है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी आंशिक रूप से आयात कर्त्ताओं पर निर्भरता के कारण है।

श्री देवकान्त बरुआ : श्रीमान्, 1973 के दौरान सामान्य हालात में मिडल डिस्टिल्लेट्स की मांग 116 लाख टन होगी जबकि इसका कुल उत्पादन अनुमानतः 103 लाख टन होगा। 13 लाख टन की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा। कमी में वृद्धि हो गई है जोकि निम्न कारणों से, अनुमानतः 21 लाख टन होगी :

(क) व्यापक सूखे की स्थिति जिसके कारण उठाऊ सिंचाई के लिए अधिक डीजल तेल का उपयोग हुआ ;

(ख) बिजली में अधिकाधिक कटौती जिसके कारण डीज़ल आयल का विद्युत उत्पादन के लिये अधिक उपयोग करना पड़ा।

इस 21 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिये अभी तक 17 लाख टन आयात के करार किये जा चुके हैं। इस प्रकार 4 लाख टन के अभाव की पूर्ति नहीं की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आयातकर्त्ता कौन है ?

श्री देवकान्त बरुआ : भारतीय तेल निगम मुख्य आयात कर्त्ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्य कौन कौन से हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : हमने कुछ तेल कम्पनियों को आयात के लिये कहा है परन्तु यह कार्य भारतीय तेल निगम के माध्यम से होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितना कहां ?

श्री देवकान्त बरुआ: इस्सो और बर्मा शेल हैं। परन्तु उनकी मात्रा बहुत कम है। सभी आयात भारतीय तेल निगम के माध्यम से होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, उपमंत्री डा० दलबीर सिंह ने 27-2-73 को हमें बताया था कि मिट्टी के तेल की कुल उपलब्धि पर्याप्त है तथा काले बाजार में कितना भी तेल लिया जा सकता है और कलकत्ता में एक छापे द्वारा 5000 लिटर तेल पकड़ा गया था, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष में कुल कितने छापे मारे गये उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी करके और उसके 20 प्रतिशत को डीजल में परिवर्तित करने का निर्णय मार्च में हो लिया गया था। जहां तक वितरण का संबंध है यह सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और राज्य सरकारें समुचित वितरण के उपाय कर रही हैं।

श्री ज्योतिमय बसु : आप राज्यों की राजधानियों में जाइये तथा उनके अतिथि बनें।

श्री देवकान्त बरुआ : नहीं। राज्यों की राजधानियों में, सिवाय कलकत्ता के, नहीं जाता हूं। वहां पर भी मैं पश्चिम बंगाल सरकार का अतिथि नहीं बनता।

श्री डा० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने बताया कि मिट्टी के तेल की कमी का एक कारण तो उसका 3–4 कार्यों के लिये उपयोग किया जाता है। मिट्टी के तेल को अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

मंत्री महोदय ने बताया कि मिट्टी के तेल का अधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यह खाद्य के समान एक आवश्यक वस्तु है। इसलिये सरकार ने गरीब लोगों का अनहित करके डीजल के उत्पादन का निर्णय क्यों लिया ?

श्री देवकान्त बरुआ : श्रीमान्, यह बड़ा कठिन और विषय विकल्प है। कुल 80 लाख टन की वसूली में से 34 लाख पंजाब से लेनी पड़ती है, 13 लाख हरयाणा से तथा 18 लाख पश्चिम उत्तर प्रदेश से। यह तीन राज्य 80 लाख टन में से 65 लाख टन उपलब्ध करते हैं। इस प्रकार हमारे सम्मुख खाद्य की वसूली, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तेल के उपयोग को समाप्त करने में विकल्प है। इस समय हमने सोचा खाद्य वसूली इस देश के जीवन मृत्यु का प्रश्न है।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कि मिट्टी के तेल के उत्पादन का घटाना अनिवार्य था मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल पर निर्भर रहने वाले 80 प्रतिशत ग्रामीणों के लिये कौनसा विकल्प है ?

श्री देवकान्त बरुआ : एक समय तो 25% कटौती का निर्णय लिया गया था परन्तु हमने 20% की सामान्य कटौती की। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये हमने अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से कह दिया था कि उन्हें भारत से कोई तेल नहीं मिलेगा जो उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। हमने इन्डियन एयर लाइनस द्वारा अन्य उपयोगों में कमी कर दी है। इससे कुछ राहत मिली है और हम 25 % के स्थान पर 20% कटौती कर पाये हैं और वह भी मई से।

श्रीमन् हम डीजल आयल कहीं से भी खरीद नहीं सकते। यह उपलब्ध नहीं है। रूस से हमने 600000 टन का करार किया है जोकि हमें 4-5 महीनों में प्राप्त होगा। 300000 टन हम कुवैत से लाये हैं। परन्तु वह भी एक समय नहीं आएगा। जापान में विदूषण विरोधी कानू ों के कारण मिट्टी का तेल उद्योगों में उपयोग में लाया जा रहा है। यह भी एक कारण है।

अब हम साऊदी अरब से एक जून से 10 लाख टन का आयात करके उसे डीजल में परिवर्तित कर रहे हैं। इससे हमें 5 लाख टन प्राप्त हो जायेगा। इस स्थिति में जुलाई के लगभग सुधार हो जायेगा।

ज्यों ही फसल कटाई समाप्त हो जायेगी डीजल पर भार कम हो जायेगा और हम फिर तब मिट्टी के तेल की ओर ध्यान दे सकेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि मिट्टी के तेल की कमी को समाप्त कर लोगों की मांग को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय ने कदम उठाए हैं अथवा उठा रहे हैं। पर क्या कुछ नगरों में मिट्टी का तेल अधिक मूल्य पर बिकने के साथ-साथ मिल भी नहीं रहा है। मैं 24 परगना की ही बात नहीं कर रहा, यह दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है। अत्यन्त कठिनाई के बाद मुझे दो लिटर मिला है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि साधारण लोगों की स्थिति क्या होगी। पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालने के बजाय मैं यह जानना चाहता हूं कि कम से कम जमाखोरी समाप्त करने और उचित वितरण के लिए क्या पद्धत्ति अपनाई गई है ?

श्री देव कान्त बरुआ : जहां तक दिल्ली का प्रश्न है उसके कोटे में भी कटौती की गई थी, परन्तु दिल्ली बड़ी कठिन स्थिति में है। इसके एक और हरियाना तथा दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दोनों ही जगह डीजल और डीजल में मिलाने के लिए मिट्टी के तेल की अत्यधिक आवश्यकता है। दिल्ली में मिट्टी के तेल और डीजल पर बिक्री कर नहीं है जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 7 प्रतिशत बिक्री कर है। अत: इन दोनों क्षेत्रों में दिल्ली से मिट्टी का तेल और डीजल चोरी से ले जाया जाता है। हमने नगर परिषद् के सदस्यों से मिल कर कुछ निष्कर्ष निकाले। उनमें से एक निष्कर्ष यह था कि प्रत्येक कम्पनी के विक्रेताओं को दिल्ली प्रशासन का सप्लाई विभाग परमिट देगा और तेल कम्पनियां उसी के अनुरूप उन्हें माल सप्लाई करेंगी। तब सप्लाई विभाग उन पर अच्छा नियंत्रण रख सकेगा। दूसरे सप्लाई विभाग बिक्रेताओं

के ट्रकों की विशेष जांच करेगा कि कहीं डीजल आदि में मिलावट तो नहीं कीगई है। इस व्यवस्था को चालू करने में तेल कम्पनियां यथासम्भव सहायता देंगी। ट्रक को भरते समय वे उस पर भरी गई वस्तु का नाम लिख देंगी।

इसके अतिरिक्त हम दिल्ली में 12 स्थानों पर टैंक वैगनों के द्वारा मिट्टी के तेल का वितरण कर रहे हैं। इन स्थानों का निर्धारण हमने दिल्ली प्रशासन के परामर्श से किया है। प्रतिदिन यहां टैंक वैगन जाकर फुटकर तेल की बिक्री करता है तथा प्रत्येक आदमी दो लिटर तेल ले सकता है। इस प्रकार हम जन साधारण को तेल उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Keeping in view the shortage of Kerosene and diesel and reported wastage of petrol into persent Cars, whether government is thinking to put a Control over its consumption ? It is very necessary because rich people waste the petrol.

श्री डी० के० बरुआ : यह समस्या इतनी सरल नहीं है। पैट्रोल के मूल्य पर मिट्टी का तेल अथवा डीजल का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने उत्पादन की कमी का कारण डीजल बताया है। अभी हाल ही में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं और वायु सेना से अपने देश से ईंधन न लेने को कहा है। मैं नहीं समझता कि यह इससे किस प्रकार सम्बन्धित है।

क्या कुछ विदेशी कम्पनियों में मतभेद होने और कुछ निहित स्वार्थों वाले लोग जानकर मिट्टी के तेल की कमी बना रहे हैं तथा आयात करने से मना कर रहे हैं ?

क्या बिना बिजली वाले क्षेत्रों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का राशनिंग आरम्भ किया जायेगा ?

श्री डी० के० बरुआ : यह सही नहीं है कि तेल कम्पनियां पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही हैं। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, उन्होंने थोड़ा सा डीजल आयात किया था पर उसका वितरण उन्होंने नहीं बल्कि हमने किया था।

हमें अपने दूतावास से तार मिला है कि स्थानीय मांग के बढ़ जाने के कारण जापान ने मिट्टी का तेल सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

राशनिंग करने पर भी विचार किया गया था पर क्योंकि यह कमी बहुत थोड़े समय के लिए है, प्रशासन पर इसका अत्याधिक भार पड़ेगा। यह कमी अधिक समय तक नहीं होगी; केवल कुछ महीनों की बात है।

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय मन्त्री द्वारा एक उत्पाद के बजाय दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के उपाय से पूरी तरह सहमत हूं, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की चर्चा के अतिरिक्त पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण और उत्पादन पर चर्चा करने के लिए भी कुछ समय नियत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : पर यह सब सदस्यों पर निर्भर है।

श्री देव कान्त बरुआ : इस विषय पर चर्चा होने पर बहुत से तथ्यों का पता चल जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Before having a discussion on the high prices of essential commodities this House must know that how much Kerosene and sugar were supplied to different states during the last three months. In Bihar a bottle of kerosene is sold for Rs. 1·50.

Shri D. K. Barroah : I do not have figures in respect of all the state at the moment. But I have got the figures regarding Bihar. They were as under :

	1972	1973
January	15274	13,997
February	12831	11,669
March	12948	12,086

For May last the figures are not available for this year it is 10,872 tonnes.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is reducing.

Shri D. K. Barua : First 10 per cent cut was done and then 20 per cent. I have given the figures.

श्री राजा कुलकर्णी : मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह कमी किस सीमा तक अशोधित तेल के कम आयात के कारण हुई तथा किस सीमा तक दूकानदारों ने इस कमी का लाभ उठाया है, जिसके कारण जनसाधारण को अत्याधिक कठिनाई हो रही है?

श्री देव कान्त बरुआ : अशोधित तेल की कमी है और हम कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने सभी राज्यों को अनुदेश दिए हैं, सभी तेल कम्पनियों और भारतीय तेल निगम को सन्देश भेज दिए हैं, कि वे अधिक उत्पादन करें तथा इनका वितरण किफायत के साथ किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai: It has been told that there is shortage of kerosene in different parts of the country, whether hon. Minister has made any enquiry regarding the fact that this shortage is there because some persons want to earn more profit. Three years back the price of one litter was 40 paise, in 1971 it was 50 paise in 1970 it was 60 paise and now it is being sold at Rs. 1.50 per litter. Whether this increase in prices was due to the policy of the government or any limit of prices have been fixed ? If not, what steps are being taken to check the prices ? What steps are being taken to provide kersosene to poor people, who are the main users, on reasonable prices ? Are the government aware of the fact that there is lot of adulteration in petrol in rural areas and whether any enquiry is being done in this respect ?

Shri D. K. Barooah : The question is very long. We have not increased the prices, they are only blackmarketeers who are increasing the price. It is the responsibility of the state governments to take action in this respects. We are trying to remove the shortage during the coming three years. Car Owners would not like to spoil their cars by mixing kerosene. It is correct that adulteration is done in diesel. We are giving thorough attention to this problem.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मिट्टी के तेल की कमी के कारण जीवन की बहुत सी आवश्यकताए छिन्न-भिन्न हो गई हैं। यह कमी विभिन्न राज्यों में दुकानदारों ने जान कर की है, पर उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उन्हीं दुकानदारों को लाइसेन्स दिए गए हैं। उचित वितरण के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है तथा इस कृत्रिम कमी के सम्बन्ध में उसका क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री देवकान्त बरुआ : सरकारी नीति के कारण मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी की गई है। हमने तेल कम्पनियों से समान रूप से वितरण करने को कहा है। हमने राज्य सरकारों से उचित कारवाई करने को भी कहा है।

श्री पीलू मोदी : क्या देश में पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन करने की क्षमता है अथवा नहीं ? यदि अधिक क्षमता है तो फिर सरकार ने वर्तमान अथवा सम्भावित कमी को देखते हुए तथा लोगों की

मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक अशोधित तेल प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया, जिससे कि ये कम्पनियां पूरी क्षमता से कार्य कर सकें ?

श्री देवकान्त बरुआ : देश में कुछ समय से पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है। यह भी सही है कि कि अशोधित तेल प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तथा उसका मूल्य काफी बढ़ गया है। इसका मूल्य प्रति बेरल 128 रुपये था और कल ही सउदी अरब से खबर आई है कि अब यह 265 रुपये प्रति बैरल मिलेगा। यह तो अशोधित तेल की उपलब्धता पर निर्भर है। हम काफी ऊंचे मूल्य पर 10 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल खरीद रहे हैं। हम इसमें से 48 प्रतिशत मिट्टी का तेल और डीजल बनाएंगे। हम इसका उपयोग तेल शोधन कारखाने में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता में करेंगे।

जनवरी-फरवरी, 1973 में चाय के निर्यात में कमी

*1062. **श्री रानेन सेन :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी-फरवरी में भारत से चाय के निर्यात में 56 लाख किलोग्राम की कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1972 में चाय का उत्पादन 4519 लाख किलोग्राम था जब कि 1971 में यह उत्पादन 4333 लाख किलोग्राम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उचित अनुमान लगाने अथवा निर्यातों में प्रवृतियों का विनिश्चय करने के लिए दो महीने की अवधि बहुत कम है।

(ग) वर्ष 1971 में 4333 लाख किग्रा० की तुलना में वर्ष 1972 में भारत में चाय उत्पादन के संशोधित आंकड़े 4525 लाख किग्रा० निकलते हैं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोयला उद्योग को ऋण सुविधाएं देना

*1063. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोयला उद्योग को विशेष ऋण सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से; और

(ग) नांन-कोकिंग कोयला खानों को ये सुविधाएं देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां। 19 दिसम्बर 1972 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनुसूचित बैंकों को एक प्रपत्र जारी करके उनको यह परामर्श दिया है कि वे कोयला उद्योग को 19 जनवरी, 1972 को ऋण सीमा में दी गई छूट को जून 1973 के अन्त तक जारी रखें।

(ग) खान के मुख्य स्थान पर कोयला इकट्ठा करने और उत्पादन में कटौती होने के परिणामस्वरूप कोयला उद्योग के वित्तीय संसाधनों पर लगातार भार पड़ने का ध्यान रखते

हुए यह सुविधा बढ़ा दी गई थी। कोयला उद्योग द्वारा जिन समस्याओं का सामान्यतः सामना किया जा रहा था उन्हें ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस मामले में कोकिंग कोयले और कोकिंग-भिन्न कोयले की खानों में कोई भेद नहीं किया है।

बर्मा के साथ वायु सेवा करार

*1064. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बर्मा ने एक वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार तथा बर्मा की संघीय सरकार के शिष्टमंडलों की दोनों देशों के बीच एक विमान यातायात करार के पाठ (टेक्स्ट) पर समझौता करने के लिए नई दिल्ली में 9 से 18 अप्रैल तक बातचीत हुई थी। बातचीत अधूरी रही तथा यह तय किया गया कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऐसी तारीख की जो दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक हो बातचीत को आगे बढ़ाया जाए।

पोलैण्ड का आम का निर्यात

*1065. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोलैंड में भारतीय आमों की मांग है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस देश को आम निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) । (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : विगत कुछ वर्षों में पोलैंड को थोड़ी मात्रा में आम निर्यात किए गए हैं।

पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली इण्डियन एयरलाइंस की विस्तार योजना

*1070. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इण्डियन एयरलाइंस में किस किस प्रकार के विमान चल रहे हैं; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली इण्डियन एयरलाइंस की विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइंस के परिचालन में आजकल निम्न प्रकार के विमान हैं :—

1. बोइंग-737
2. कारवेल
3. वाइकाउंट

4. एच० एस०-748
5. एफ०-27
6. डी० सी०-3

इनके अतिरिक्त इण्डियन एयरलाइंस एयर इंण्डिया के बी-737 विमानों द्वारा भी कुछ सेवाएं परिचालित करती है।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस यातायात आवश्यकताओं, उपलब्ध विमानों के प्रकार तथा हवाई अड्डा सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजनावधि के दौरान अपनी विस्तार योजनाओं की जांच कर रही है।

अमरीकी व्यापार समुदाय द्वारा भारतीय मार्केट में समान प्रवेश अधिकारों की मांग

*1071. **चौधरी राम प्रकाश**

श्री आर० वी स्वामीनाथन्

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी व्यापार समुदाय ने भारतीय मार्केट में समान प्रवेश अधिकारों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय (क) एक प्रेस समाचार के अनुसार भारत में अमरीकी राजदूत ने 9 अप्रैल, 1973 को इंडो-अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स द्वारा उनके सम्मान में दिए गए स्वागत-समारोह में अपने भाषण में कहा था कि जिस किसी भी राष्ट्र का सं० रा० अमरीका के साथ व्यापार अधिशेष रहता है, उसे अब प्रत्याशा करनी चाहिए कि वे अब उसके बाजार में समान प्रदेश के अधिकार के लिए सक्रिय तथा ठोस रूप में इच्छुक हो सकते हैं जैसे कि उनके बाजारों में समान प्रवेश अधिकार, उन्हें प्राप्त हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा था कि सं० रा० अमरीका ने भारत के बाजार में "समान व्यवहार तथा समान प्रवेश अधिकार" की मांग की है।

(ख) भारत सरकार ने ऐसे कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं जिनका केवल सं० रा० अमरीका से होने वाले आयातों पर ही प्रभाव पड़े। गाट के अन्तर्गत सं० रा० अमरीका और भारत दोनों एक दूसरे को "परम मित्र राष्ट्र व्यवहार" दे रहे हैं।

भारत द्वारा पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता

*1073. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अपने कुछ पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में भारत से सहायता मिली है और इन देशों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) दो विवरण सभा-पटल पर रख दिए गए हैं जिनमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5051/73]।

आर्थिक सहायता कई प्रयोजनों के लिए दी गई है। स्थूल रूप से यह सहायता विभिन्न क्षेत्रों, पुनर्वास तथा राहत प्रयोजनों और भारत से औद्योगिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध की गई है।

Discontinuance of use of Avro Aircraft till submission of report by Dhawan Study Team

*1074. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether Avro aircraft will not be used till the submission of the report by the Dhawan Study team set up to make a high level examination of all spects of Avros (HS-748). ?

(The Minister of Tourism & Civil Aviation : Dr. Karan Singh) No, Sir.

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का कुवैत को निर्यात

*1076. **श्री के० मालन्ना :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत ने हाल ही में भारत में लघु उद्योगों द्वारा निर्मित अनेक वस्तुओं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं, कुवैत ने कितना माल खरीदा है और उससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई है; और

(ग) अन्य अरब देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : हमारे लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों का उन मदों में मुख्य स्थान रहा जिन्हें हाल ही में 7 से 17 फरवरी, 1973 तक कुवैत में हमारे द्वारा आयोजित एक भारतीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी के फलस्वरूप, भारतीय फर्मों को अब आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। लघु क्षेत्र को दिए गए आर्डरों सहित इन सभी आर्डरों के ब्यौरे अभी तक सारणीबद्ध नही किए गए हैं।

(ग) अरब देशों को हम अपने निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। उठाए गए ठोस कदमों में से कुछ ये हैं :—

1. मिस्र के अरब गणराज्य और सूडान के साथ संबद्ध भुगतान करारों सहित द्विव-पक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किया जाना ;
2. इराक के साथ 8 अप्रैल, 1973 को "आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर एक करार का हस्ताक्षरित किया जाना ;
3. इस क्षेत्र में आयोजित प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में सरकार द्वारा तथा निजी पार्टियों द्वारा भाग लिया जाना। इन भागीदारियों में हमारे अपरम्परागत निर्यातों की परियोजना मदों और साथ ही उन मदों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जो लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित की जाती है।
4. इस क्षेत्र में हमारे मिशनों की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भारतीय फर्मों द्वारा भाग लिया जाना; और
5. दोनों ओर से उच्च स्तरीय तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों द्वारा समय समय पर दौरे किया जाना।

सूती कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्थान की स्थापना

*1077. **श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन ने यह सुझाव दिया है कि सूती कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो०) डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Licence for expansion of Bihar Cotton Mills, Patna

*1078. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether Bihar Cotton Mills Limited, Fulwari Sharif (Patna) has requested him for a licence for the expansion of the factory ;

(*b*) if so, the broad outlines thereof; and

(*c*) Governments re action thereto ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (*a*) to (*c*). Bihar Cotton Mills Ltd., Phulwari Sharif (Patna), a composite mill with a capacity of 9,104 spindles and 169 looms, were granted an expansion licence in December 1956 for the installation of additional 4,000 spindles. The mills were unable to implement the expansion programme due to financial difficulties. The expansion licence was consequently revoked. The case was brought before the Licensing Committee at its meeting held in December, 1970 by the State Government. The Licensing Committee directed that since the expansion licence had been revoked, the mills could be asked to apply afresh. No application from the mills for expansion of their spindleage capacity has been received. But the State Government have been informed in April, 1973 that since under the declared policy of the Government expansion of spindleage upto the economic level of 25,000 spindles is permissible, the party could be asked to apply for expansion of their spindleage capacity which when received will be considered on its own merits.

एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को भारतीय पूंजी का निर्यात

*1079. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों और विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को भारतीय पूंजी के निर्यात को प्रोत्साहित किया है ;

(ख) भारत से पूंजी के उक्त निर्यात को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : (क) सरकार भारतीय उद्यमियों को विदेशों में संयुक्त उद्यमों में ईक्विटी-पूंजी में अपने भाग के रूप में, तकनीकी जानकारी, तथा ऐसी देशी नई मशीनरी तथा उपस्करों का, जिनकी फालतू उत्पादन क्षमता है और अधिकांशतः आंतरिक मांग पूरी हो जाती है, योगदान देकर औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सीमित रूप में प्रोत्साहन दे रही है। सामान्यतः नकद विनिधान की अनुमति नहीं दी जाती है।

(क़) ऐसे संयुक्त उद्ययमों को निर्यात संवर्धन के रूप में और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के साधन के रूप में अपनाया गया है।

अफ्रीका के नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध

1080. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के नव स्वतन्त्रता प्राप्तदेशों के साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध दृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ,

(ख) क्या उन के इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में इन देशों के साथ भारत के व्यापार में कोई वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : अफ्रीका के गैर-अरब देशों के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की सम्भाव्यताओं का लगातार पुर्नविलोकन किया जाता है ।

2. जो कदम उठाए गए हैं वे हैं : व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान करना, व्यापार करार करना, संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना, अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के साथ सामंजस्य स्थापित करना, विशेष क्षेत्रीय अध्ययन प्रारम्भ करना, आदि ।

3. निर्यात संवर्धन उपायों के परिणामस्वरूप, गत दो वर्षों में अफ्रीका के गैर-अरब देशों में भारत के निर्यात काफी बढ़े हैं । 1970-71 में 39.81 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे । 1971-72 में निर्यात बढ़ कर 52.61 करोड़ रु० के हो गए जिनमें 1970-71 के स्तर की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अध्यापन उपकरणों सम्बन्धी विभाग के कोषाध्यक्ष पर हमला

9990. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1973 को अध्यापन उपकरण विभाग (एन० सी० ई० आर० टी०) के कोषाध्यक्ष पर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा हमला किया गया था और उन्होंने उसकी नकदी भी छीनने का प्रयत्न किया था जिसे कोषाध्यक्ष के साथ जा रहे गार्डों द्वारा विफल कर दिया गया था; और

(ख) समाचारपत्रों 3 फरवरी, 1973 के पैट्रियट, हिन्दुस्तान (हिन्दी) और नवभारत टाइम्स (हिन्दी) में उपरोक्त घटना पर प्रकाशित समाचारों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने बताया है कि उनकी जांच पड़ताल से पता चला है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कोषाध्यक्ष पर कथित हमला बैंक क्षेत्र से बाहर हुआ था और बैंक का कोई कर्मचारी इस घटना में शामिल नहीं था ।

(ख) अपने ग्राहकों को अधिकाधिक नम्रता प्रदान करने के लिए, बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों और संघों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली मेरी बैठकों में, मैं भी ग्राहकों की कुशल और नम्र सेवा की आवश्यकता पर बल देता रहा हूं ।

Payment of Income Tax by Mehta Printing Press, Ujjain

9991. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 886 on 19th November, 1971 regarding payment of income tax by Mehta Printing Press Ujjain and Dainik Avantika and state :

(*a*) the date on which the Mehta Printing Press Ujjain was set up and the capital invested therein:

(*b*) whether the proprietors of the Press have mentioned the jobs undertaken for various firms in a paper submitted to the Ujjain Branch of State Bank of India and if so, the amount of profit declared therein;

(*c*) the amount of Income-tax outstanding against the Press and the Partners therein;

(*d*) whether the proprietors of the Press, worked under the name of Vikram Press from 1960 to 1964, under the name of Mohan Press from 1964 to 1st August, 1972 and have since started working under the name of Mehta Printing Press; and

(*e*) if so, whether Government propose to institute an enquiry in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) to (*e*) : The information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

विदेशी सहयोगियों द्वारा चलाए जाने वाले होटल के प्रबन्ध अथवा संचालन में सहयोग संबंधी समझौते के बारे में निर्णय

9992. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में विदेशी सहयोगियों द्वारा चला जाने वाले होटल के प्रबन्ध अथवा संचालन में सहयोग समझौते नहीं होने चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री डा० कर्ण सिंह : जी, हां, यद्यपि 4-स्टार और 5 स्टार वर्गों होटल परियोजनाओं के लिये विदेशी पूंजी-निवेश और सहयोग अनुमत है, सरकार की यह नीति है कि ऐसे सहयोग केवल उसी सीमा तक अनुमत किये जाने चाहियें जहां तक कि इससे परियोजना को विदेश में प्रचार और विदेशी सहयोगियों से आरक्षण आदि के रूप में विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हों।

विदेशी पूंजी-निवेश और सहयोग की अनुमति के मुख्य आधार इस प्रकार हैं:—

(i) विदेशी सहयोगी द्वारा पूंजी-निवेश भारतीय कम्पनी की इक्विटी के 20% तक सीमित होना चाहिये।

(ii) विदेशी सहयोगी को उनकी विशिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिये उचित पारिश्रमिक लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(iii) इसी प्रकार जब होटल का परिचालन प्रारंभ हो जाये तो विदेशी सहयोगी को प्रोत्साहन, बिक्री और आरक्षण सुविधाओं के लिये कमरों की संख्या अथवा आय (रेवेन्यू) के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर वार्षिक शुल्क की अदायगी होनी चाहिये।

(iv) होटल का प्रबन्ध पूर्णतया भारतीय पक्ष के हाथ में होना चाहिये।

अमरीका की हिल्टन्स एण्ड शैरेटन होटल्स कारपोरेशन का डी० एल० एफ० होटल, दिल्ली के साथ सहयोग करार

9993. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री हिल्टन्स होटल्स कारपोरेशन आफ यू० एस० ए० के सहयोग से बम्बई में एक होटल के निर्माण कार्य में प्रगति के बारे में

1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्टन्स के साथ बहुत वर्ष पूर्व स्वीकृत किये गये सहयोग संबंधी करार बम्बई और दिल्ली में बनाए जाने वाले होटलों के लिए अब भी चालू है; और

(ख) अमरीका की शैरेटन होटल्स कारपोरेशन का डी० एल० एफ० होटल, दिल्ली के साथ करार किस रूप में चालू है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) । (क) जी, नहीं । मेट्रोपोलिटन होटल्स लिमिटेड और हिल्टन इन्टरनेशनस यू० एस० ए० के बीच बम्बई में एक होटल स्थापना के सम्बन्ध में सहयोग की अनुमति अब लागू नहीं रह गई है । इस मामले में अनुमत की गई शर्तें जिन में विदेशी सहयोगी द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना भी शामिल था, अब भारत में किसी भी स्थान के होटलों पर लागू नहीं होती हैं ।

(ख) डी० एल० एफ० लिमिटेड, नई दिल्ली, और शीराटन इन्टरनेशनल यू० एस० ए० के बीच सहयोग प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई थी ।

दिल्ली में पर्यटकों लिए होटलों में उपलब्ध स्थान

9994. **श्री बनमाली पटनायक:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को ठहराने के लिए होटलों में कितने स्थान उपलब्ध हैं तथा इस संबंध में वास्तविक मांग कितनी है :;

(ख) दिल्ली में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए यहां तीन और पांच स्टार वाले होटलों की स्थापना करने हेतु और अधिक भूमि का आवंटन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने पर्यटकों के आने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) अभी दिल्ली में अनुमोदित होटलों की धारिता 2511 कमरो की है और ऐसा अनुमान है कि 1975 तक 2661 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी ।

(ख) दिल्ली में होटल निर्माण के लिए स्थलों का आवंटन करने के लिए क्रियाविधि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) एक नमूने के रूप में किये गये सवक्षण से पता चलता है कि भारत आने वाले पर्यटकों में से 60 % दिल्ली की यात्रा करते हैं, अतः यह अनुमान है कि 1974, 1975 तथा 1976 में दिल्ली की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2,76,000, 3,17,000 तथा 3,65,000 हो जायेगी ।

विदेशी सहयोग से होटलों की स्थापना करने के संबंध में हुए समझौते

9995. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री विदेशी सहयोग से होटलों के निर्माण के संबंध में 1972 के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के संबंध में 2 मार्च, 1973 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होलीडे इन्स इन्क,

अमेरिका और होटल की स्थापना के बारे में उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित अन्य दो विदेशी सहयोगियों के साथ हुए समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 1972 के दौरान अनुमोदित किए गए विदेशी सहयोग के दो समझौते अड्यार गेट होटल प्रा० लि० मद्रास व होलीडे इन्स इन्कार्पोरेटेड, यू० एस० ए० के बीच तथा उत्तर देश होटल्स एण्ड रेस्टोरैंट्स लि० , वाराणसी व रेमेडा इन्स इन्कार्पोरेटेड, यू० एस० ए० के बीच थे । ये समझौते सदस्यता के आधार पर हैं जिनके अन्तर्गत विदेशी सहयोग कर्ता होटल की आयोजना, निर्माण तथा सजावट में अपनी व्यावसायिक, शिल्पी, इंजीनियरी तथा सजावट संबंधी सेवाएं भारतीय पक्षों को उपलब्ध कराते हैं और जब होटल कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो अपनी विज्ञापन एवं विक्रय अभिवृद्धि संबंधी सेवाएं तथा होटल के लिए आरक्षणों (रिज़र्वेशनों) की बुकिंग संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं । होटल का वास्तविक प्रबंध भारतीय पक्ष के अधिकार में होता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

9996. श्री ए० एस० कस्तूरे : श्री वाई० एस० महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च पदों की सूची में ए० बी० सी० डी० के ग्रेड-वार पदों की संख्या कितनी है;

(क़) कितने पदों पर आम उम्मीदवार हैं तथा कितने पद अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पास हैं और मंजूरशुदा संख्या में उनकी अलग-अलग प्रतिशतता क्या है; और

(ग) विभिन्न उपक्रमों में इन सूचियों में नाम शामिल किये जाने तथा नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जाते हैं तथा उन्हें क्या रियायतें दी जाती हैं ताकि वे इन सूचियों में सम्मिलित हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : विभिन्न सूचियों में उच्च पदों की संख्या इस प्रकार है :—

सूची	वेतनमान	पदों की संख्या
क	3500-125-4000 रुपये	13
ख	3000-125-3500 रुपये	54
ग	2500-100-3000 रुपये	92
घ	2000-100-2500 रुपये	51

(ख) और (ग) उच्च पदों पर नियुक्तियां व्यक्ति की अर्हताओं, अनुभव और पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए पूर्णतः उसकी उपयुक्तता के आधार पर की जाती है । इन वर्गों में किसी जाति के लिए पद सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं ।

सरकारी उद्यमों में उच्च स्तर से नीचे के अन्य पदों के सम्बन्ध में सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ग I, II, III, और IV के पदों का निर्धारित प्रतिशत सुरक्षित रखने के लिए उद्यमों को निदेश जारी कर दिये हैं । सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनूसूचित जनजातियों से

सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ताकि उन्हें उच्च जिम्मेदारी सम्भालने के लिए तैयार किया जा सके ।

Amount of Loan Provided to Agro-Industries by Agricutural Refinance Corporation

9997. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the total amount of loan provided to various Agro-industries by the Agricultural Re-Finance Corporation during the last two years; and

(*b*) whether the amount of loan advanced was less than the amount of loan demanded and if so, the reasons for advancing less amount of loan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (*a*) & (*b*) : The Agricultural Refinance Corporation is primarily a *refinancing* agency providing financial assistance to eligible institutions, namely Central Land Mortage Banks, State Cooperative Banks and the scheduled commercial banks which are share holders of the Corportion. During the two years ending June, 1971 and June, 1972, the Corporation, besides refinancing loans for agriculture has sanctioned Rs. 108·56 lakhs in respect of tea and fisheries schemes for processing activities linked to agricultural production.

Advances in each case were based on rquirements of these schemes as assessed by the financing agency and the Agricultural Refinance Corporation.

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार

9998. **श्री रणबाहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1971-72 के दौरान इसके विदेशी कारोबार सहित कुल कितनी राशि का कारोबार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारत के जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1971-72 में कुल 1639. 89 करोड़ रुपये का नया कारोबार किया, जिसमें से विदेशों में किया गया नया कारोबार 10. 67 करोड़ रुपये का था ।

Collection of Central taxes from Bihar

9999. **Shri M. S. Purty :** Will the Minter of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the revenues realised by Government from Bihar during 1971-72 by way of income tax Central Excise duty and wealth tax; and

(*b*) the amount given to Bihar out of it, separetely ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) The amounts of Income-tax and Wealth Tax realised from the charge of Commissioner of Income-tax Bihar, Patna and the Central Excise Duty realised from the State of Bihar during the year 1971-72 are as follows :

	(Rs. in crores)
Income-tax including Corporation Tax	12·77
Wealth Tax	0·23
Central Excise Duty	119·77*

*Figures exclusive of iron ore, cess, coal cess, rubber cess and salt cess.

(*b*) Wealth Tax is not shareable with the States. Net amounts paid to the State of Bihar during the year 1971-72 as its share of Income-tax and Central Excise duty collections were Rs. 45·13 crores and Rs. 57·64 crores respectively.

केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर डिप्टी कलक्टर की नियुक्ति के लिए चयन

10000. **श्री मोहनराज कलिंगररायर :** क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नियुक्त कितने डिप्टी कलक्टर उस डिप्टी कलक्टर से वरिष्ठ हैं जिसे विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्त करने के लिए चुना गया और चंडीगढ़ से बुलाया गया और क्या इस पद हेतु चयन के समय उनके नामों पर भी विचार किया गया था ;

(ख) क्या उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) क्या वर्तमान पदधारी की आयुक्त के पद पर संभावित पदोन्नति को देखते हुए उक्त पद को आयुक्त के दर्जे का पद बनाया जा रहा है जिससे कि वह उस पर आसीन रह सके; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रकार के 21 उप-समाहर्ता थे। उनमें से 7 को समाहर्ता के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पहले ही चुन लिया गया था और उनकी शीघ्र ही पदोन्नति की जानी थी तथा 7 अन्य अधिकारी पहले से ही विशेष वेतन वाले पदों पर कार्य कर रहे थे। इसलिये इन 14 अधिकारियों के बारे में विचार नहीं किया गया। शेष 7 अधिकारियों के बारे में विचार किया गया था।

(ख) जिन 7 अधिकारियों के बारे में विचार किया गया था, उन में से दो अनुशासनसम्बन्धी कार्यवाही में ग्रस्त थे। एक अन्य अधिकारी को उसी पद पर बने रहने दिया गया जिस पर वह कार्य कर रहा था और उस पद के लिये भी विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। शेष चार अधिकारियों के बारे में विचार किया गया। लेकिन जिस अधिकारी को चुना गया था, उसे, सीमाशुल्क और उत्पान शुल्क दोनों विभागों के संबंध में उसके ज्ञान, अनुभव, रुझान आदि को ध्यान में रखकर अधिक उपयुक्त समझा गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यनियंत्रक आयात और निर्यात के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों में पारी से तबादले

10001. **मोलाना इसहाक सम्भली :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अथवा मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में, अनुसचिवीय कर्मचारियों, अनुभाग अधिकारियों, नियंत्रकों, उपमुख्य नियंत्रकों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों, जिनका आयात तथा निर्यात लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में लोगों से सम्बन्ध रहता है के पारी से तबादले सम्बन्धी कोई आदेश लागू हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों अथवा इससे अधिक समय से एक ही सीट पर काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का बतबादला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आयात तथा निर्यात लाइसेंस जारी करने का काम करने वाले अथवा नाजुक पदों पर रहने वाले अनुसचिवीय स्टाफ अथवा अधिकारियों की पारी बदलने अथवा अन्तरण करने के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि आयात तथा निर्यात संगठन में सामान्य प्रथा यह है कि यदि ऐसे अधिकारी अथवा अनुसचिवीय स्टाफ ऐसे नाजुक पदों पर अपेक्षतया अधिक अवधि तक रहते हैं तो उनका अन्तरण एक सीट से दूसरी सीट के लिये कर दिया जाता है।

कारों का आयात

10002. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों और निगमों के अधिकारियों द्वारा या तो स्थानान्तरण पर या अन्य किसी प्रकार से या अपनी विदेशी पत्नियों की ओर से उपहार के रूप में कारों के आयात किये जाने के लिये यदि कोई नियम एवं विनियम निर्धारित किये गये हैं तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन अधिकारियों की ओर से अपने नाम से अथवा अपनी विदेशी पत्नियों के नाम से कारों के आयात हेतु 'परमिट' के लिये वर्ष 1972-73 के दौरान प्राप्त हुए आवेदनपत्रों का व्यौरा ; कार की किस्म; जिस देश से आयात किया जाना है उसका नाम और बीमा भाड़ा सहित उसकी लागत क्या है ;

(ग) क्या ये आवेदनपत्र उनके मंत्रालय/मुख्य आयात नियंत्रक को सीधे दिये गये थे या सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दिये गये थे ; और

(घ) इन आवेदनपत्रों का निपटान किस प्रकार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1. भारतीय राष्ट्रिकों (जिनमें सरकारी उपक्रमों तथा निगमों के अधिकारी शामिल हैं, द्वारा कारों के सामान के रूप में आयात के नियमों तथा विनियमों की विस्तृत रूपरेखा इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल हैंड बुक आफ रूल्स एण्ड रेगुलेशन 1973-74 के परिशिष्ट 27 में दी गई है।

संक्षिप्त रूप में वे ये हैं :

(1) गैर-अमरीकी कारों का लागत, बीमा भाड़ा सहित मूल्य 38,000 रु० से अधिक न हो। अमरीकी महाद्वीप में निर्मित कारों की उच्चतम सीमा 32,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) विदेश में कार कम से कम 3 महीने की अवधि तक नाम में रही हो तथा प्रयोग की गई हो।

(3) कार विदेश में प्रार्थी की अपनी आय से खरीदी गई हो और भारत में उसकी वापसी के दो वर्ष पूर्व से भारत से कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की गई।

(4) भारतीय राष्ट्रिक /अधिकारी स्थायी रूप से रहने के लिये भारत वापस आ रहा हो लेकिन ऐसे अधिकारियों के मामलों पर जो स्थानान्तरण पर आ रहे हों, तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है और

(5) कार की आयात की तारीख से पांच वर्ष के लिये कार बेचने की अनुमति नहीं दी जाती ।

2. केन्द्रीय सरकार सरकारी उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को अपनी विदेशी पत्नियों की ओर से उपहार के रूप में कारों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि विदेशी महिलाओं को जिनमें वे भी शामिल हैं जो भारतीय उद्भव की हैं, और भारतीय राष्ट्रिकों के साथ विवाहित हैं, अपने माता पिता' से उपहार के रूप में प्राप्त कार इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल हड बुक आफ रूल्स एण्ड प्रोसीजर 1973-74 के परिशिष्ट 27 की कंडिका 3(4) के अनुसार आयात कर सकती हैं बशर्ते कि उसका मूल्य जहाज पर मूल्य 1170 पौंड की सीमा के भीतर है और वह स्थायी रूप से भारत में रहने के लिये आ रही है या स्थायी रूप से भारत में बस गई है। कार के आयात की तारीख से पांच वर्ष के लिये कार बेचने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान ऐसे अधिकारियों से प्राप्त आवेदनपत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5052/73] इस अवधि के दौरान विदेशी पत्नियों द्वारा उपहार के रूप में अपने माता पिता से प्राप्त कार के आयात के लिये कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) सामान्यत: आवेदनपत्र आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा सीधे प्राप्त किये जाते हैं। तथापि, कतिपय मामलों में ये जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है, विदेशों में भारतीय मिशनों/उपक्रमों/निगमों के माध्यम से प्राप्त किये जाते थे।

(घ) जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, 17 आवेदनपत्रों में से 16 को सीमा शुल्क निर्बाधिता परमिट जारी किये गए तथा एक मामले में प्रार्थी को आवयश्यक कागजात / जानकारी भेज कर आवेदनपत्र में कमी को दूर करने के लिये कहा गया था।

Payment of Wealth-tax by Persons in possession of Wealth Valued Rs. 5 lakh and Above

10003. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the number of persons owning movable and immovable property worth Rupees 5 lakh or more in the country at present; and

(*b*) the amount of wealth tax paid by these persons to Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) & (*b*) : The information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the House as soon as s collected.

Value of goods imported from E. Germany

10004. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the value of the goods imported from East-Germany during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(*b*) the names of the main articles imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) Value of goods imported from East Germany during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (April—Sept.) is as under :—

(Rs. million)

1970-71	**1971-72**	**1972-73** (April—Sept.)
186·3	202·4	105·6

(*b*) Iron & Steel, Machinery, Scientific Instruments, Fertilizers, Chemicals, Photographic & cinematographic supplies. are some of the important items being imported from G.D.R.

पश्चिमी जर्मनी से अयातित सामान का मूल्य

10005. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान पश्चिमी जर्मनी से कितने मूल्य (रुपयों में) का सामान आयात किया गया ; और

(ख) आयात की गई मुख्य चीजों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम जर्मनी से आयातित माल का मूल्य :

वर्ष	मूल्य लाख रु० में
1970–71	10747
1971–72	12390
अप्रैल-सितम्बर 1971–72	5828
अप्रैल-सितम्बर 1972–73 (अद्यतन उपलब्ध)	7672

(ख) पश्चिम जर्मनी से आयातित मुख्य वस्तुओं के नाम निम्नोक्त हैं :

1. सिन्थेटिक एण्ड रिजेनरेटिड फाइबर
2. रासायनिक तत्व तथा यौगिक
3. रंजक, चमड़ा कमाने तथा रंगने की सामग्री
4. औषध तथा भेषज उत्पाद
5. रासायनिक सामग्री तथा उत्पाद जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो
6. निर्मित उर्वरक
7. प्लास्टिक माल, रिजेनरेटिड सेल्युलोस तथा कृत्रिम रेजिन
8. लोहा तथा इस्पात के पिंड और अन्य प्राइमरी किस्में
9. लोहा तथा इस्पात की सलाखें, छड़ें, एंगल, शेपस तथा सेक्शन्स जिसमें शीट पाइलिंग भी शामिल है ।
10. लोहा तथा इस्पात की यूनिवर्सल प्लेटें तथा चादरें
11. लोहा तथा इस्पात के हुप्स तथा स्ट्रिप्स
12. लोहा तथा इस्पात का तार जिसमें तार छड़ें भी शामिल हैं ।
13. लोहा तथा इस्पात के ट्यूब पाइप तथा फिटिंग्स
14. लोहा तथा इस्पात का कास्टिंग्स तथा फिटिंग्स अनवर्कड ।
15. तांबा
16. निकल
17. अल्यूमिनियम
18. हाथ तथा मशीन में प्रयोग किये जाने के लिये औजार
19. मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी को छोड़कर
20. बिजली की मशीनों के उपकरण तथा सहसाधन
21. परिवहन उपस्कर
22. वैज्ञानिक, चिकित्सा सम्बन्धी, आप्टीकल, मापने तथा नियंत्रण करने के औजार तथा सहू-साधन :
23. फोटोग्राफिक एण्ड सिनेमाटोग्राफिक सप्लाईज ।

आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया, द्वारा केन्द्रीय करों का भुगतान

10006. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बम्बई स्थित 'आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया (ओ०पी०पी०आई०) नामक एक 'आर्गेनाइजेशन' विद्यमान है और 'फार्मास्यूटिकल्स एण्ड ड्रग्स'

के मुख्य उत्पादकों द्वारा अपने तथा औषधि उद्योग, मुख्य तथा औषधि बनाने वाले विदेशी संस्थानों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिये बनाया गया है और जिसकी एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली में भी खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस 'आर्गेनाइजेशन' की आय का आयकर व्यय और अन्य केन्द्रीय करों के लिये 1972–73 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) कुल कितनी आय आंकी गयी है और इस 'आर्गेनाइजेशन' से कितना कर वसूल किया गया है अथवा वसूल किया जाना है ; और

(घ) यदि कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदनपटल पर रख दी जायगी ।

कोयला उद्योग में और पूंजी लगाना

10007. श्री भालजी भाई परमार : क्या **वित्त** मंत्री कोयला उद्योग में नये पूंजी निवेश के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) क्या वर्ष 1969–70 के बारे में भी उपरोक्त जानकारी एकत्रित करके उपलब्ध की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

अन्य देशों में संयुक्त सलाहकार सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच सहयोग सम्बन्धी करार

10008. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में संयुक्त सलाहकार सेवाएं स्थापित करने के लिये हाल में भारत और फ़्रांस के बीच एक सहयोग सम्बन्धी करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) करार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस समय अन्य विशिष्ट किन देशों में संयुक्त सलाहकार सेवाएं स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जी नहीं । तृतीय देशों में संयुक्त परामर्शदात्री सेवाएं स्थापित करने के लिये भारत तथा फ़ास के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है । तथापि, नई दिल्ली में भारत-फ़्रांस संयुक्त आयोग की अप्रैल, 1973 में हुई बैठक में तृतीय देशों में सामान्यतया परामर्शदात्री सेवाओं में भारत-फ़्रांस सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई थी । इस विषय पर जब भी कोई विशिष्ट प्रस्थापनाएं की जायेंगी तभी उन पर विचार तथा विनिश्चय किया जायेगा ।

एल्यूमिनियम फोस्फाइड का आयात

10009. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम फोस्फाइड के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ; और

(ख) क्या टेल्लिसिया इंडिया लिमिटेड ने इस वस्तु का 1971–72 के दौरान आयात किया था जब कि इसके आयात पर प्रतिबध लगा हुआ था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में फिल्म उद्योग में लगे व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपनी आय का ब्यौरा बताना

10010. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से वर्ष 1972 तक की अवधि के दौरान स्वेच्छा से आय का ब्यौरा बताने वाली योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में प्रत्येक थियेटर मालिक, फिल्म निर्माता तथा स्टूडियो के मालिकों ने स्वेच्छा से जो अपनी आय बताई है, उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में इस प्रकार बताई गई कितनी राशि का विभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कलकत्ता स्थित वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक के कार्यालय में उच्च श्रेणी क्लर्कों और निम्न श्रेणी क्लर्कों की वरिष्ठता सूची

10011. श्री चन्द्र शैलानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिजियक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक, कलकत्ता ने वर्ष 1963 और 1972 में उच्च निम्न श्रेणी क्लर्कों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण किया था और हर बार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के पदों का दर्जा घटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या था;

(ग) क्या उक्त विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को, जिन्होंने, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक उच्च श्रेणी क्लर्कों के पद पर छुट्टी रिक्त स्थानों में स्थानापन्न रूप से काम किया था और बाद में उसी ग्रेड में 4 जनवरी, 1972 से पूर्व 1–1/2 वर्ष से अधिक समय तक निरन्तर नियमित पदों पर कार्य किया था, निम्न श्रेणी क्लर्कों के पदों पर पदावनत कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण 1963 में गृह मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 9/11/55–आर०पी०एस० दिनांक 22–12–59 के आधार पर और 1972 में कार्मिक विभाग के का० ज्ञा० संख्या 9/3/72–स्था० (डी०) दिनांक 22–7–72 के आधार पर किया गया था। नियमों को लागू करने की सामान्य क्रिया में अनुसूचित जाति/आदिम जाति के कुछ कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन को रोकना सम्भव नहीं हो सका।

(ग) तथा (घ) प्रत्यावर्तन कार्मिक विभाग के का० ज्ञा० संख्या 9/3/72–स्था० (डी०) दिनांक 22–7–72 के आधार पर वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण के फलस्वरूप हुए। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है, उनकी अनुसूचित जाति के दो कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण तक के लिये, किसी विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय के बिना ही अस्थायी रूप में पदोन्नति की गई थी अतः उन्हें प्रत्यावर्तित करने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय, कलकत्ता के महानिदेशक के कार्यालय में अनुसूचित जाति के अपर डिवीजन क्लर्कों की वरीयता

10012. **श्री चन्द्र शैलानी** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय, कलकत्ता के महानिदेशक के कार्यालय में अनुसूचित जाति के कुछ अपर डिवीजन क्लर्कों की वरीयता का मामला आठ वर्षों से अधिक समय से मंत्रालय में अनिर्णीत पड़ा है जिससे उनकी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के पद पर पदोन्नति में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम में अनेक अधिकारियों द्वारा त्याग पत्र देना

10013. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, सचिव, प्रबन्धक जैसे अधिकारियों और आपरेटर, स्टाफ कार ड्राइवर जैसे कनिष्ठ कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में त्यागपत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने त्यागपत्र दिया है तथा उनके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की कर्मचारियों के प्रति वर्तमान नीति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या सरकार का विचार इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र देने को बाध्य होने के कारणों का पता लगाने के लिये जांच करवाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सेवन्टी परसेंट हंगेलियन क्रैडिट अनयूटीलाइज्ड" शीर्षक वाला समाचार

10014. **श्री रामगोपाल रेड्डी**
श्री जगन्नाथ मिश्र : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सेवन्टी परसेन्ट हंगेरियन क्रेडिट अनयूटीलाइज्ड' (हंगरी से प्राप्त ऋण का 70 प्रतिशत अप्रयुक्त रहना) शीर्षक से छपे समचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) तथा (ख) जी, हां। आर्थिक सहयोग संबंधी एक करार के अन्तर्गत हंगरी की सरकार ने भारत को 25 करोड़ रुपये का एक ऋण दिया है। इसकी तुलना में 5.38 करोड़ रुपये के संविदाओं पर हस्ताक्षर शिए गए हैं। इस ऋण के कम उपयोग का मुख्य कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में आयात किए जाने की संभावना थी, उनमें भारतीय उत्पादन में काफी प्रगति हुई है। अब इस ऋण के और उपयोग की कुछ सम्भावनाओं का पता लगाना सम्भव हो गया है और संविदा करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

पांचवी योजना के लिए ब्रिटेन से सहायता

10015. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार पांचवीं योजना के लिए भारत को सहायता देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विचार हेतु परियोजनाओं की योजनायें प्रस्तुत करने के लिए भारत से कहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, नहीं। ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की घोषणा तथा उसका भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाता है। ब्रिटेन की सरकार भारत सहायता संघ की वार्षिक बैठक में अपने वचनों की घोषणा करती है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Discrimination in Matter of Jobs Meted out to People of Madhya Pradesh in Bhilai Plant

10016. Shri Dhan Shah Pradhan :

Shri Rana Bahadur Singh: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(*a*) whether some Members of Parliament have sent a complaint to the Prime Minister that the local people are being deliberately discriminated against in the matter of jobs in public sector industries;

(*b*) whether out of four thousand gazetted employees in Bhilai Plant in Madhya Pradesh the number of local people is only nine and even in the jobs of peons and khalasis, discrimination is being meted out to the local people of Madhya Pradesh; and

(*c*) if so, the reaction of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) Some Members of Parliament had met the Prime Minister and submitted a memorandum to her on various matters relating to the development of Madhya Pradesh, including greater employment of people of the State in the higher posts in the public enterprises.

(*b*) *and* (*c*) *:* In the larger interest of national integration, information about the regional origin of employees is not maintained. Government, however, issued policy instructions that maximum opportunity should be given to local people in employment opportunities arising in the public enterprises in the lower posts. Recruitment to all lower posts carrying a salary of Rs. 500 and below has to be done through the local employment exchange and other sources can be taped only if the employment exchange issues a "Non-availability Certificate". In the selection committees for such posts, invariably a representative of the State Government is associated to protect the State interests. In the case of higher posts, Government policy is that recruitment should be done by merit on an all-India basis.

अखिल भारतीय शांति तथा एकता संगठन द्वारा जाली निमंत्रण पत्र तैयार किया जाना

10017. **श्री समरगुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी एशियाई तथा अखिल भारतीय शान्ति परिषद्, जिसका नाम अब अखिल भारतीय शान्ति तथा एकता संस्था है, ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से जाली निमन्त्रण पत्र तैयार करने के लिए कपटपूर्ण ढंग अपनाये हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर इस संस्था ने सरकार से सहायता प्राप्त की है;

(ग) क्या अखिल भारतीय शान्ति परिषद् के महासचिव श्री चित्ता विश्वास ने अध्यक्ष के नाम पर वियतनाम संबंधी स्टाकहोम की ओर से एक कपटपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक द्वारा निमन्त्रण पत्र की मूल प्रति मांगे जाने पर श्री विश्वास ने तत्काल ही 7 जनवरी, 1970 को विश्व शान्ति परिषद हेलसिंकी के नाम केबल किया था कि कृपया तुरन्त केबल भेजें जिसमें यह लिखें 17 तथा 18 जनवरी, को स्टाकहोम की प्रारम्भिक बैठक के लिए श्रीमती अरुणासफली सादर आमिन्त्रत किया जाता है, सारे व्यय का आश्वासन चित्ता विश्वास" ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) अखिल भारतीय शान्ति परिषद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों आदि में भाग लेने के लिए शिष्टमण्डल भेजने के सम्बन्ध में समय-समय पर अपने प्रस्ताव भेजती रहती है। इन सभी मामलों में संस्थागत अतिथ्य आदि जैसी सामान्य जांच-पड़ताल के बाद "पी" फार्म की अनुमति दे दी जाती है। सरकार द्वारा की गई पूछताछ से यह आरोप सिद्ध नहीं होता अखिल भारतीय शान्ति परिषद जाली निमन्त्रणों के आधार पर शिष्टमंडल भेजती रहती है ।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

10018. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र जिस उद्देश्य से बनाया गया था क्या उसकी प्राप्ति हो गई है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र को समुचित विधान द्वारा सुदृढ़ करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिस उद्देश्य के लिए जोन बनाया गया था उसे आंशिक रूप में प्राप्त कर लिया गया है; सरकार जोन के निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रही है।

(ख) आशा है कि उप वाणिज्य मन्त्री की अध्यक्षता में स्थापित किया गया एक उच्च स्तरीय विषय निर्वाचन बोर्ड कांडला निर्बाध व्यापार जोन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सभी सुझावों और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त कानूनी उपायों के बारे में जांच करेगा।

कम विकसित क्षेत्रों को राज्य वित्त निगम की सेवा के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर की टिप्पणी

10019. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर द्वारा राज्य वित्त निगम के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय की गयी उस टिप्पणी का पता है कि अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों की सेवा के लिए राज्य वित्त निगम के प्रयत्न अपर्याप्त जान पड़ते हैं तथा उनके द्वारा दी गयी सहायता में अनियमितता से चिंता उत्पन्न हो गयी है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) जी, हां सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि प्राप्त किए गए परिणामों को देखते हुए अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों की सेवा के लिए राज्य वित्त निगमों द्वारा किए गए प्रयत्न कुल मिलाकर खासतौर से अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इसलिए तत्काल सुधार सम्बन्धी उपाय किए जाने जरूरी हैं

(ख) संसद द्वारा दिसम्बर, 1972 में राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि निगम नए उद्यमकर्त्ताओं की सहायता करने में अधिक लाभकारी भमिका निभा सके तथा अधिक प्रकार की औद्योगिक कम्पनियों को भी ऋण दे सके। सम्मेलन में, और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगमों से प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र में दी गयी सहायता और इसकी तुलना में उनकी अप्रयुक्त क्षमता का मूल्यांकन करने और इन पिछड़े क्षेत्रों में अपनी वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए पहले कदम के रूप में परियोजनाओं आदि का सर्वेक्षण, उनका पृथक निर्धारण करने जैसे विशेष विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए कहा गया है। पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के काम को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय सावधिक ऋण संस्थानों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों की ओर भी निगमों का ध्यान आकर्षित किया गया है। 1973-74 के बजट प्रस्तावों में, यह भी घोषित किया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने में इनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर कमी कर दी जाएगी। यह रियायत उद्योग स्थापित करने से 10 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध होगी। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली राज सहायता के पात्र निवेश की अधिकतम सीमा भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गयी है और राजसहायता का प्रतिशत निवेश के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वांछित मामलों में निगम मार्जिन 15 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत और शोधन अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाकर और ऋण की वापसी अदायगी की अवधि को चार वर्ष तक बढ़ाकर वित्तीय सहायता का प्रस्ताव करते हैं। लघु और मध्यम दर्जे के क्षेत्रों के एककों के लिए ब्याज की प्रभाववारी दर भी 7 प्रतिशत की रियायती दर पर होती है।

चाय बोर्ड के कलकत्ता कार्यालय में नियुक्त जन सम्पर्क अधिकारी

10020 **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय बोर्ड के कलकत्ता कार्यालय में वर्ष 1970 से अब तक कितने जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनमें से कितने अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कलकत्ता स्थित चाय बोर्ड के कार्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का केवल एक पद है। 1969 से निम्नोक्त पदधारी पद पर रहे :

नाम	नौकरी शुरू करने की तारीख	नौकरी छोड़ने की तारीख	नौकरी छोड़ने के कारण
श्रीमती रीटा भिमानी	15-2-69	30-11-71	बेहतर भविष्य के लिए
श्रीमती आशा सुरैया	3-3-72	13-4-72	व्यक्तिगत कारणों से
कुमारी विसाका बोस	1-6-72		अभी कार्यकर रही हैं।

रुई निगम के लिये रुई की खरीद में राज्य सरकार द्वारा कथित अनियमिततायें

10021. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनेक नेताओं ने रुई निगम के लिए रुई की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है;

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गुजरात राज्य सरकार के अनुसार गुजरात में गत रुई मौसम के दौरान भारतीय रुई निगम द्वारा की गई रुई की खरीदों के सम्बन्ध में शंकाएं तथा सन्देह व्यक्त किए गए हैं।

(**ख**) **तथा** (**ग**): जब कभी भी भारतीय रुई निगम द्वारा व्यतिक्रम के विशिष्ट मामले सरकार के सम्मुख लाए जाएंगे सरकार उन पर गौर करेगी।

बैंक आफ बड़ौदा की जामनगर तथा जूनागढ़ शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृति के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

10022. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों तथा छोटे औद्योगिक एककों को ऋण तथा अग्रिम धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार की सूचना में यह बात आई है कि बैंक आफ बड़ौदा जामनगर तथा जूनागढ़ ने ऋण तथा अग्रिम धन स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है;

(ग) क्या इन बैंकों ने जुलाई, 1972 से दिसम्बर, 1972 के बीच रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व स्वीकृति बिना तथा केन्द्रीय बैंक से परामर्श लिए बिना एक साझेदारी फर्म को 80 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वीकृत ऋणों का भुगतान उन लोगों को नहीं किया गया जिनके नाम ऋण स्वीकार किए गए थे, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कथित अनियमितताओं की कोई जांच करवाई है अथवा करवाई जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति बैंकों को निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन देते हैं जिसमें वे प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए ऐसी आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं जैसे धारित भूमि, प्रयोजन, बोई जाने वाली फसलें, खेती में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं/उपकरण आदि। जब प्रस्ताव की आर्थिक क्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में बैंकों का समाधान हो जाता है तब ऋण स्वीकार कर दिया जाता है। शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की सुविधा के लिए, बैंकों ने अपने आवेदन-प्रपत्रों और उधार देने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना दिया है और शाखा प्रबन्धकों को काफी ऐच्छिक शक्तियां प्रदान की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि के वित्त-पोषण के लिए और उधार देने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(ख) बैंक से रिपोर्ट मिली है कि कृषि ऋणों सहित अग्रिम स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का जामनगर और जूनागढ़ शाखाओं द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सूचना एक संघटक बैंक के हिसाब किताब से संबंधित है। बैंकों में प्रचलित प्रथा और प्रणाली के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13(1) के उपबन्धों के अनुरूप इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जाती। फिर भी आरोप के विषय नोट कर लिए गए हैं।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाना

10023. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में तथ्यों को गम्भीर रूप से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों के इस विवरण को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

संसद् को पेश किए गए वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों में मतभेद

10024. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल 1973 के 'स्टेटस्मैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि संसद में प्रस्तुत किए गए तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सर्वसम्मत्ति से दिए गए सेकशनों के बारे में भी सदस्यों में मतभेद था;

(ख) क्या इस समाचार में यह भी कहा गया है कि अन्य सिफारिशों को अन्तिम चरण में तोड़मरोड़ कर पेश किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रैस रिपोर्ट को सावधानी से अध्ययन किया है यदि हां, तो इस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : स्टेटस्मैन में प्रकाशित रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है। तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अध्यक्ष ने एवं आयोग के सभी सदस्यों ने दस्तखत किए थे और उन्होंने रिपोर्ट वित्त मन्त्री को पेश की थी। जैसा कि वित्त मन्त्री ने 6 अप्रैल 1973 को सदन में बताया था, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर तथाकथित हेर-फेर के सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में अफीम की खेती के क्षेत्र में कमी

10025. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में अफीम की खेती के क्षेत्र में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष में अफीम का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में पोस्त की काश्त का रकबा तथा पिछले दो वर्षों में वहां उत्पादित पोस्त की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	पोस्त की काश्त का रकबा	70 डिग्री घनत्व पर उत्पादित पोस्त की मात्रा
	(हेक्टेयर)	(किलोग्राम)
1970-71	14,450	479,496
1971-72	16,514	521,991

पोस्ट की चालू फसल अर्थात् 1972-73 के दौरान पोस्त की काश्त का रकबा लगभग 14,220 हेक्टेयर है। वर्ष 1971-72 की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान पोस्त के रकबे में कमी का कारण सूखे की परिस्थितियां थीं। जल की कमी के कारण मन्दसौर जिले के पोस्त के काश्तकार अधिक रकबे में काश्त करने के लिए तैयार नहीं हुए।

(ग) चूंकि मन्दसौर जिले में पोस्त की काश्त के रकबे में प्राकृतिक कारणों से कमी हुई थी, इसलिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है; फिर भी, भारत में पोस्त के उत्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) पोस्त के काश्तकार को अदा किया जाने वाला अफीम का मूल्य विसर्पण-अनुक्रम में तय किया जाता है जो काश्तकार द्वारा दी गयी उपज पर निर्भर करता है। जो काश्तकार प्रति हेक्टेयर अफीम का उत्पादन अधिक देता है उसे अधिक ऊंची दर पर अदायगी की जाती है।

(ii) प्रत्येक अफीम प्रभाग में जो काश्तकार अफीम का अधिकतम उत्पादन करता है उसे नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(iii) कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों के उपयोग के बारे में काश्तकारों को शिक्षित करने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(iv) पोस्त के बीजों, मिट्टी तथा उर्वरकों आदि पर प्रयोग करने के लिए पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में प्रयोगात्मक फार्म बनाये गए हैं ताकि अफीम की उपज तथा क्वालिटी में सुधार लाया जा सके। पोस्त के काश्तकारों को उनकी अफीम की उपज में

वृद्धि करने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का उपयोग किया जाएगा।

(v) सरकार ने, पोस्त की काश्त और अफीम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर कई दीर्घकालिक अनुसन्धान योजनाएं भी शुरु की हैं। जब इन योजनाओं के परिणाम उपलब्ध होंगें तो उनसे अफीम की उपज तथा उसकी मार्फीन अन्तर्वस्तु में सुधार लाने में काश्तकारों को सहायता मिलेगी।

पोस्त का उत्पादन

10026. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पोस्त की खेती कितनी भूमि में की जाती है और इससे कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने पोस्त उत्पादक किसानों को लाइसेन्स दे रखे हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने किसान हैं और उनके पास कुल कितनी भूमि है; और

(ग) क्या सरकार अफीम, हशीश आदि जैसे पक्के नशीले पदार्थों का निर्यात करती है और यदि हां, तो इस निर्यात से प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : भारत में पोस्त की खेती केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया गया हो। पिछले तीन वर्षों में पोस्त की काश्त का कुल रकबा, उत्पादित अफीम की मात्रा तथा पोस्ट की खेती करने वाले किसानों की संख्या, राज्यवार नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	राज्य का नाम	पोस्त की काश्त का रकबा	90 डिग्री घनत्व पर उत्पादित अफीम की मात्रा	पोस्त के काश्तकारों की संख्या
		(हेक्टेयर)	(टन)	
1969-70	मध्य प्रदेश	18,750	437	68,072
	राजस्थान	12,129	234	52,741
	उत्तर प्रदेश . .	6,651	123	42,438
	जोड़ . .	37,530	794	1,63,251
1970-71	मध्य प्रदेश .	18,620	442	77,301
	राजस्थान .	14,169	310	69,587
	उत्तर प्रदेश	8,636	130	58,145
	जोड़ : . .	40,825	882	2,05,033

1971-72	मध्य प्रदेश	21,154	485	89,665
	राजस्थान	15,520	335	72,791
	उत्तर प्रदेश	10,651	171	65,910
	जोड़ :	47,325	991	2,28,366

(ग) भारत में हशीश (चरस) का उत्पादन, निर्यात तथा आयात निषिद्ध है। सरकार चिकित्सा सम्बन्धी एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अफीम का विदेशों को निर्यात कर रही है। पिछले तीन वर्षों में अफीम के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
1969-70	6.63 करोड़
1970-71	7.95 करोड़
1971-72	12.76 करोड़

चाय में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट

10027. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चाय में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है;

(ख) क्या चाय उत्पादक कम्पनियों में चाय की किस्म का परीक्षण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) सरकार ने मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय में मिलावट के मामलों का पता स्वास्थ्य अधिकारियों, चाय बोर्ड तथा साथ ही पुलिस द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इनकी संख्या तथा अन्तर्ग्रस्त मात्राएं अधिक नहीं रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चाय में बड़े पैमाने पर मिलावट को रोकने के लिए 'खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम, 1954' और 'टी-वेस्ट (नियन्त्रण) आदेश, 1959' के उपबन्ध पर्याप्त समझे गए हैं।

कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमति

10028. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री एम० एस० पुरती : } क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी है जिसकी कुल राशि 16 करोड़ रुपए से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 27 अप्रैल, 1973 को, पूंजी निर्गम नियन्त्रक के कार्यालय द्वारा जारी की गयी प्रैस प्रकाशनी के अनुसार, पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 कम्पनियों को 1639.91 लाख रुपए की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गयी थी:—

कम्पनी का नाम	अनुमोदित राशि
	(लाख रुपयों में)
1. मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड	770.59
2. पालिकैम लिमिटेड	40.00
3. दिल्ली इंजीनियरिंग वर्कस प्राइवेट लिमिटेड	1.25
4. गाडरेज ऐण्ड व्वयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	401.63
5. टाटा कैमिकल्स लिमिटेड	103.77
6. नवभारत टोबैको कम्पनी लिमिटेड	58.00
7. यूनी एवैक्स अलाय प्राडक्टस लिमिटेड	100.00
8. मैसकिनेन फैब्रिक पालीग्राफ (इंडिया) लिमिटेड	32.50
9. नवभारत एण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	15.00
10. इंडिया वूलन टैक्सटाइल मिलस (प्राइवेट) लिमिटेड	4.17
11. सी० प्रमुदास ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड	95.00
12. भारत गियर्स लिमिटेड	10.00
13. चरण ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	8.00
जोड़ :	1639.91

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई करने सम्बन्धी रासायनिक निर्यातकों की मांग

10029. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक निर्यातकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें मुख्य कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सप्लाई किया जाये और उनकी नकद सहायता को बढ़ाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । उद्योग की ओर से यह मांग रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर मुख्य कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए अथवा नकद सहायता की मात्रा को बढ़ाया जाए ।

(ख) वर्ष 1973-74 के लिए पूंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि स्वदेशी उत्पादकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यातकों को की गई कच्चे माल की सप्लाईयों को आयात नीति के अन्तर्गत इन लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ निर्यात के रूप में समझा जायेगा : अर्थात् आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का दिया जाना, निर्यात दायित्व के आधार पर समायोजित, निर्यात सदनों को पात्रता प्रमाणपत्रों का दिया जाना तथा निर्यात निष्पादन के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में प्राथमिकता प्रदान किया जाना । इसके अलावा, कुछ नाजुक मदों, जैसे कि स्टील जिसमें स्टेनलैस स्टील भी शामिल है, भेड़ बकरी की चर्बी, ऊन आदि को छोड़कर ऐसे पंजीकृत निर्यातकों का मार्गीकृत मदों के सम्बन्ध में प्राधिकार पत्र-प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने इन मदों का प्रयोग निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण में किया है । जहां तक नकद सहायता को बढ़ाने का सम्बन्ध है, यदि और जब कभी प्रस्थापनाएं प्राप्त होती हैं, उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

ईराक को अशोधित तेल के भुगतान का तरीका

10030. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने अशोधित तेल की सप्लाई के बदले भारत से वस्तुओं के रूप में भुगतान लेना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी और कितनी-कितनी वस्तुएं सप्लाई की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : भारत और इराक के बीच 6 अप्रैल, 1973 को हस्ताक्षरित "आर्थिक तथा तकनीकी करार" के अन्तर्गत, भारत को पहली बार इराक से अशोधित तेल के अपने आयातों की अदायगी भारत से माल परियोजनाओं तथा सेवाओं के रूप में करने का अवसर मिला है । इराक से आयात किए जाने वाले अशोधित तेल तथा भारत से इराक को सप्लाई किए जाने वाले माल, परियोजनाओं तथा सेवाओं की मात्राओं का निर्धारण समय समय पर 1971 के व्यापार करार और हाल ही में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित इस आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली व्यापार योजनाओं में किया जाएगा ।

Arreas of Income Tax Outstanding Against the Shareholders of Maruti Limited, Haryana.

10031. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of the persons/companies who have invested a capital of Rupees ten thousand or above in Maruti Limited and against whom arrears of income-tax are outstanding ?

The Minister of State in the Ministry of Finnce (Shri K. R. Ganesh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Hlouse as early as possible.

पाठक समिति द्वारा राज्य उपक्रमों का पुर्नविलोकन

10032. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठक-समिति ने राज्य उपक्रमों का पुर्नविलोकन किया है;

(ख) इस समिति ने प्रत्येक उपक्रम के बारे में क्या प्रमुख सिफारिशें दी हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों के बारे में क्या अनुकरणात्मक कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकारी उद्योगों की कार्य-समिति ने योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में उन उद्देश्यों के बारे में जिनकी उन्होंने जांच की है, सुधार करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किए हैं :—

1. **राउरकेला इस्पात संयंत्र :** प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण अनुरक्षण कार्यों का विकेंद्रीकरण अनुरक्षणात्मक लेखा-परीक्षा, तकनीकी सेवा विभाग और अनुसन्धान तथा विकास एकक का सुदृढ़ीकरण, सन्तुलनकारी सुविधाओं की व्यवस्था, इस्पात सन्यत्र में कोक भट्ठी गैस के स्थान पर ईंधन तेल का प्रयोग और उर्वरक सन्यन्त्र में कोक भट्ठी गैस के स्थान पर नेप्था गैस का प्रयोग।

2. **भिलाई इस्पात संयंत्र** : कोयला खनन और वितरण की आयोजना तैयार करने के लिए समिति की स्थापना, पुरानी कोक भट्ठी श्रंखला को फिर से बनाना और आठवीं श्रृखला को चालू करना, देशी उत्पादों में सुधार कर के तथा आयात द्वारा अधिक अच्छे किस्म के तापसह पदार्थों की पूर्ति, आक्सीजन लासिंग शुरु करना तथा चौथे आक्सीजन सन्यन्त्र की व्यवस्था।

3. **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० एण्ड हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० :** प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण, दोनों कम्पनियों के क्रियाकलाप में अधिक तालमेल की स्थापना, सन्यन्त्र स्तर तथा निगम स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन सामग्री प्रबन्ध, उत्प्रेरण, उत्पादन आयोजन एवं नियन्त्रण में सुधार तथा पारियों में काम।

4. **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन** : संगठनात्मक ढांचे और कर्मचारी नियोजन में सुधार औद्योगिक सम्बन्धों तथा उत्प्रेरण में सुधार, नए इस्पात सन्यन्त्र के आर्डरों को चरणों में बांटना तथा अधिक पारियों में काम करना।

5. **भारतीय उवर्रक निगम (ट्रांबे यूनिट) :** अड़चने दूर करने की सुविधा की व्यवस्था करना, सयंत्र-स्तर पर प्रबन्ध में सुधार करना, अनुरक्षणात्मक लेखा परीक्षा शुरू करना, प्रबन्ध विकास कार्यक्रम को लागू करना।

6. **भारतीय उर्वरक निगम (संगठनात्मक पक्ष)** : क्षेत्रीय आधार पर संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करना और मुख्यालय को स्वामित्व वाली कम्पनी में बदलना, आयोजन और विकास दल को अनुसन्धान एवं विकास कार्यों से अलग रखना, आयोजन और विकास दल का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना, पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना।

7. **भारतीय सीमेंट निगम (संगठनात्मक पक्ष) :** : निगम स्तर और सन्यत्र स्तर पर संगठनात्मक ढांचे तथा उच्च प्रबन्ध स्तर पर अधिकारी-नियोजन का युक्तियुक्त करण।

8. **हिन्दुस्तान कापर लि०** : खनन दर में वृद्धि, संचालनात्मक तथा आयोजनात्मक कौशल में सुधार, कांसेन्ट्रेटर और (प्रद्रावक) स्मैलटर को जल्दी चालू करने के लिए उपाय करना, मलंझखंड परियोजना का विकास करना तथा प्रबन्ध विकास तथा उत्प्रेरण में सुधार करना।

9. **माईनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन** : उत्पादन बढ़ाने के लिए संगठन, में परिवर्तन करना, महत्वपूर्ण रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करना, उत्पादन-आयोजन का सुदृढ़ीकरण और उसके लिए कार्यक्रम बनाना, कुशल कामगरों और पर्यवेक्षकों (सुपर वाइज़र्स) को भर्ती और उनका प्रशिक्षण, संतूलनकारी उपकरण की व्यवस्था औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार।

10. **भारत हैवी प्लेट्स ऐण्ड वैसल्स** : संगठनात्मक ढांचे में सुधार करना तथा महत्वपूर्ण पदों को भरना, अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना, बिक्री विभाग का सुदृढ़ीकरण, दो/तीन पारियां चलाना।

11 **हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० (संगठनात्मक पक्ष)** : संगठनात्मक ढांचे में सुधार, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति की स्थापना और अब तक प्रयोग में नहीं लायी गयी कच्ची सामग्री का मूल्याँकन करना।

(ग) समिति की सिफारिशों को उद्योगों के उच्चतम प्रबन्धकों तथा मन्त्रालय से निकट संपर्क रखते हुए तथा उनके परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। ज्योंही विचार-विमर्श के दौरान सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं, रिपोर्ट के औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, प्रायः बाद की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। सिफारिशों को शीघ्रता से अमल में लाने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय में एक "क्रियान्वयन कक्ष" स्थापित किया गया है।

Seizure of Smuggled Goods

10033. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether the smuggled goods recovered by Government are confiscated ;

(*b*) if so the quantum of goods confiscated during 1971-72; and

(*c*) the number of cases in which punishmnet has been given by Government and the number of cases under consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) Yes Sir.

(*b*) & (*c*) : Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Burning of Cotton in Sadali Village of Baroda.

10034. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether his attention has been drawn to the news item published in 'Nav Bharat Times' of 12th April 1972 in which burning of cotton worth Rupees 40 Lakhs in Sadali village of Baroda has been reported; and

(*b*) if so the action taken by Government against the guilty persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) No Sir.

(*b*) Does not arise.

"क्रेडिट फार कैश्यू" (काजू के लिये ऋण)

10035. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में इंजियर क्रैडिट फार कैश्यू" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने केरल में गत तीन वर्षों में काजू उद्योग के लिए इस योजना के अन्तर्गत कितना ऋण दिया; और

(घ) केरल में काजू उद्योग के छोटे स्वामियों की संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हाँ, सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) इस समाचार में भारतीय रिजर्व बैंक और राज्यों द्वारा काजू उद्योग के वित्त पोषण के लिए स्थापित अध्ययन दल की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण है और उसमें यह तथ्य बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों का ध्यान इन सिफारिशों की ओर दिलाया हैं।

(ग) और (घ) : सूचना सम्भव सीमा तक एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कर अपवंचन के लिए ठाकरे कम्पनी समूह के विरुद्ध शिकायत

10036. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाकरे कम्पनी समूह, जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई, में स्थित है, के विरुद्ध आय कर अपवंचन करने तथा जाली लेखे रखने के लिए सरकार को अनेक शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों के बारे में जाँच की है;

(ग) सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जाँच-पड़ताल चल रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से कच्चे माल के वितरण के लिए सहायता की नई पद्धति का बनाया जाना

10037. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री एम० गोपाल रेड्डी : } क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से आयातित कच्चे माल के वितरण में सहायता तथा निर्यात सहायता की एक नई पद्धति बनाई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या किसी राज्य ने यह सुझाव दिया है कि पूंजी निवेश अन्य प्रमुख राज्य क्षेत्र (स्टैट सैक्टर) के निकायों में राज्य व्यापार निगम द्वारा इक्विटी पूंजी लगाये जाने की लाइनों पर ही होना चाहिए; और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ। नई योजना के अन्तर्गत, राज्य व्यापार निगम लघु एककों को आयातित कच्चे माल का वितरण राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से कर रहा है, बशर्ते पृथक-पृथक एकक इन निगमों के माध्यम से उनको

प्राप्त करना चाहें। इस योजना के अन्तर्गत, लघु उद्योग निगम लघु क्षेत्र के एककों से रिलीज आर्डर एकत्र कर लेते हैं और खुले समुद्र पर एक मुश्त डिलिवरी ले लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन एककों को काफी बचत होगी।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम की ईक्विटी पूंजी में 10 लाख रु० तक भाग लिया है। गुजरात लघु उद्योग निगम की एक ऐसी प्रस्थापना पर विचार हो रहा है।

Sale of Foreign Travel Tickets and Invitations

10038. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether attention of Government has been drawn to the news-item appearing in 'Motherland' dated 24th March to the effect that some persons are earning money by selling foreign travel tickets and invitations; and

(*b*) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) and (*b*) : Yes Sir, but no such complaint seems to have been received in the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

पालम हवाई अड्डे पर तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किए गए विदेशी

10039. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री शशि भूषण : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में सोना, चांदी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के अपराध में दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर कुल कितने विदेशी गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनकी देशबार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : हशीश का तस्कर व्यापार करने के संबंध में (1-10-72 से 31-3-73 तक के) पिछले छः महीनों में दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर कुल मिलाकर 9 विदेशी व्यक्ति (3 ब्रिटेन के, 4 अमेरिका के, 1 जापान का तथा 1 फ्रांस का) गिरफ्तार किये गये। उपर्युक्त सभी व्यक्ति कानून के अन्तर्गत आगे जांच-पड़ताल तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये विशेष पुलिस संस्थान/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिये गये;

उपर्युक्त अवधि के दौरान सोने और चांदी के तस्कर व्यापार के संबंध में पालम हवाई अड्डे पर कोई भी विदेशी गिरफ्तार नहीं किया गया।

रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद के वरिष्ठ स्टाफ द्वारा रक्षा लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत ज्ञापन

10040. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के इलाहाबाद कार्यालय के उन वरिष्ठ कर्मचारियों ने जिन्हें रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (फंड्स) मेरठ में नियुक्त किया गया है, रक्षा लेखा महानियंत्रक को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इलाहाबाद में रिक्त स्थान भरने में सरकार क्या सिद्धांत अपनाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रक्षा लेखा महानियंत्रक को, रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के इलाहबाद कार्यालय के उन कर्मचारियों से कोई लिखित ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जो फिलहाल रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधियां) मेरठ के कार्यालय में तैनात हैं। परन्तु अखिल भारतीय रक्षा लेखा संघ की मेरठ शाखा के कुछ प्रतिनिधि, रक्षा लेखा महानियंत्रक से मार्च, 1973 में मिले थे और उन्होंने यह अनुरोध किया था कि जिन लिपिकों का तबादला इलाहाबाद से मेरठ किया गया था उन्हें मेरठ में काम करते एक वर्ष से अधिक समय हो गया था, इस लिए उनका तबादला वापस इलाहबाद कर दिया जाय। इसके अलावा, अखिल भारतीय रक्षा लेखा संघ की मेरठ शाखा ने अपने संघ का मुख्य कार्यालय को जो पत्र लिखा था उसकी एक नकल रक्षा लेखा महानियंत्रक को भी मिली था, जिसके साथ एक छपी हुई बेदस्तखती अपील नत्थी थी जो मेरठ के कर्मचारियों द्वारा लिखी बतायी जाती है औंर जिसमें यह अनुरोध निहित था कि यदि कर्मचारियों को उन के मूल निवास स्थान में अथवा उसके निकट तैनात करने की दृष्टि से संस्थापन के पुनर्गठन का प्रस्ताव हो तो लिपिकों की बदली वापस रक्षा लेखा नियंत्रक के इलाहाबाद कार्यालय में कर दी जाय।

(ख) संघ के जो प्रतिनिधि रक्षा लेखा महानियंत्रक से मिले थे उन्हें बताया गया था कि जो लिपिक मेरठ में काम कर रहे हैं और इलाहाबाद वापस जाना चाहते हैं, उनके मामलों पर अन्य कर्मचारियों के मामलों के साथ-साथ यथागुण के आधार पर विचार किया जाएगा और सम्बन्धित व्यक्तियों को चाहिए कि वे तबादले के लिए साधारण ढंग से, उचित माध्यम से आवेदन भेजें।

(ग) रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के इलाहाबाद कार्यालय में इस समय लिपिकों की मोटे पैमाने पर जगहें खाली नहीं है। जहां तक सम्भव होता है, सामान्य क्षय के कारण समय-समय पर होने वाली रिक्तियों की, हस्वमामूल, उन कर्मचारियों से भरा जाता है जो अन्य स्थानों पर तैनात हैं और इलाहबाद की बदली चाहते हैं।

पालम हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वागत तथा विदाई के प्रबंध

10041. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डे के प्राधिकारी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वागत और विदाई के सिलसिले में पालम आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते ;

(ख) यदि हां तो विदेश मंत्री के बर्मा से लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए पालम गए राजदूतों सहित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वी० आई० पी० लाउंज पर तैनात चौकीदार द्वारा द्वार न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी घटनाएं फिर न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) 9 अप्रैल, 1973 को विदेश मंत्री महोदय के बर्मा से लौटने पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से एक खेदजनक किन्तु अनजाने में भूल हो गई थी। ऐसा उनके आगमन समय के संबंध में कुछ भ्रांति के कारण हुआ।

(ग) अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारण द्वारा विदेश मंत्रालय से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

स्टेनलैस स्टील का आयात

10042. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टैनलैस स्टील का कितना आयात किया गया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कुल कितना आबंटन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 (सितम्बर, 1972 तक) के वर्षों के दौरान स्टैनलैस स्टील की कुछ मदों (जो संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत की गई है) का अयात दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5053/73]** सितम्बर, 1972 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । स्टैनलैस स्टील की अन्य मदों के आयात से संबंधित जानकारी इस लिए उपलब्ध नहीं है चूंकि उन्हें लोहे तथा इस्पात की मदों के साथ शामिल किया जाता है।

2. एक और विवरण अनुबंध 2 में दिया गया है जिसमें 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भारी मात्रा में आयात की गई स्टेनलैस स्टील की चादरों (22 एस० डब्ल्यू० जी० तथा 24 बी० गैज) का राज्य-वार आबंटन दिखाया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5053/73]** स्टैनलैस स्टील की अन्य मदों के राज्य-वार आबंटन के विषय में जानकारी नहीं रखी जाती है ।

Military Officers drawing more than Rs. 1500 as Pay and Allowances per month

10043. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the number of Army officers who are drawing a monthly salary of more than Rs. 1500 including allowances as also the number of those out of them who are drawing more than Rs.2000; and

(*b*) the additional facilities provided to those drawing a salary of Rs. 1500/- ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) The number of Army officers who are drawing a monthly salary of more than Rs. 1500 including allowances is 5,274 out of which 1,303 officers are drawing a monthly salary more than Rs. 2,000.

(*b*) No additional facilities are provided exclusively to those drawing a salary of Rs. 1500 per month. However, additional facilities provided to officers ranks are indicated below :—

(*i*) *For all officers irrespective of rank :*

(1) free rations in field areas ;

(2) scale furniture charges recoverable at 2-1/2% of pay;

(3) leave travel concessions;

(4) medical facilities-free out-patient treatment for self and family and hospital treatment at concessional rates.

(*ii*) *For officers upto the rank of Brigadier :*

(1) accommodation at concessional rate of 5% and 2-1/2% of pay for married and single officers, respectively, or the assessed rate, whichever is lower;

(2) water and electricity at concessional rates.

Deteriorating condition of Textile Mills and Exploitation of Labour of Mills

10044. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state whether Government are aware that the condition of textile mills is deteriorating day-by-day and the exploitation of the labourers of these mills by their owners is on the increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : No complaints in this regard have been received by Government.

कलकत्ता महानगर निकाय प्राधिकरण को सहायता देने में विश्व बैंक की रुचि

10045. श्री रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण में रुचि है;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम की क्रियान्विति को सुव्यवस्थित किये जाने का अनुरोध किया था जिससे कि वहां अधिक समन्वय का सुनिश्चय किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई उपाय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही कलकत्ता नगर विकास परियोजना ने लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण प्राप्त करने के एक प्रस्ताव पर विश्व बैंक द्वारा काफी विचार किया जा चुका है इस प्रस्ताव को कार्य रूप दिये जाने पर ऋण के अन्तर्गत जलपूर्ति और मल निकासी, जल-निकासी, कूड़ा-कचरा, स्वास्थ्य, यातायात और परिवहन तथा आवास । क्षेत्र विकास की उप-परियोजनाओं के लिए व्यवस्था होगी।

(ग) और (घ). कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण, राज्य आयोजना बोर्ड और भारत सरकार द्वारा कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तंत्र को सरल बनाये जाने के विभिन्न प्रस्तावों पर लगातार विचार किया जा रहा है । ये प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । विश्व बैंक ने भी सामान्यतः इस प्रस्तावों का समर्थन किया है ।

कलकत्ता के आसूचना अधिकारियों द्वारा दरभंगा जिले में नकदी धन तथा जवाहरात बरामद करना

10046. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के आसूचना अधिकारियों ने बिहार के दरभंगा जिले में 4 अप्रैल, 1973 की आधी रात को 7,00,000 रुपये मूल्य के जवाहरात और 6,000 रुपये बरामद किये है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जवाहरात तथा नकदी की चोरी के बारे में एक शिकायत मिलने पर कलकत्ता के पुलिस अधिकारियों ने 2 अप्रैल,

1973 को दरभंगा जिले के नैनूर गांव से लगभग 1 लाख रुपये के मूल्य के जवाहरात तथा 5,760 रुपये नकद बरामद किये।

(ख) तथा (ग). इस संबंध में किसी भी विदेशी को गिरफ्तार नहीं किया गया। परन्तु, पुलिस ने पांच व्यक्तियों (भारतीयों) को गिरफ्तार किया है और आगे जांच पड़ताल चल रहीं है।

Repayment of Foreign Debt

10047. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the details of loans obtained by Government of India from different countries which have been repaid during 1972-73

THE MINISTER OF FINANCE SHRI YESHWANTRAO CHAVAN

The details of loans obtained by Government of India from diffrent countries which have been repaid during 1972-73 are as under :—

S. No.	Country	Estimated Re-payment during 1972-73 (Rs. in crores)
1	2	3
	A. Loans Repayable in Foreign Currency	
	I. *Consortium Members*	
1.	Austria	1·70
2.	Belgium	0·19
3.	Canada	2·45
4.	Denmark	0·20
5.	France	3·44
6.	Federal Republic of Germany	33·97
7.	Italy	0·12
8.	Japan	3·91
9.	Netherlands	0·85
10.	Norway	—
11.	Sweden	—
12.	United Kingdom	21·78
13.	U.S.A.	35·74
14.	I.B.R.D.	21·11
15.	I.D.A.	1·21
	Total I—Consortium Members	126·67
	II. Non-Consortium Members	
1.	Switzerland	3·01
2.	Kuwait	1·08
3.	Bahrain	0·71
4.	Qatar	0·94
	Total II—Non-Consortium Members	5·74
	Total Loans Repayable in Foreign Currency	132·41

S. No.	Country	Estimated Repayment during 1972-73 (Rs. in crores)
B. Loans Repayable through Export of Goods		
1.	Czechoslovakia	7·77
2.	Poland	2·82
3.	U.S.S.R.	48·86
4.	Yugoslavia	2·69
	Total B—Loans Repayable through Export of Goods	62·14
C. Loans Repayable in Rupees		
1.	Denmark	0·28
2.	U.S.A. (Other than PL 480 Rupee Loans)	20·22
3.	U.S.A. (PL 480—Rupee Loans)	6·51
	Total C—Loans Repayable in Rupees	27·01
	GRAND TOTAL (A+B+C)	221·56

Loanwise details for these amounts are available in Annexure V (pages 140 to 145) of the Explanatory Memorandum on the Budget of the Central Government for 1973-74.

Note : (1) The above figures do not include a sum of Rs. 4·89 crores relating to miscellaneous credits.

(2) Actual repayment figures in respect of U.K., Germany, I.B.R.D., and I.D.A. are still awaited. Estimated repayment figures have, therefore, been shown.

Proposal to set up new Airports by Indian Airlines during Fifth Plan

10048. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether 40 new airports are proposed to be set up by Indian Airlines in various regions during the next Five Year Plan; and

(*b*) if so, the State-wise expenditure to be incurred thereon indicating the names of these airports ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) *and* (*b*) Civil aerodromes are constructed by the Civil Aviation Department keeping in view the requirements of air traffic, the operating plans of Indian Airlines and financial resources available. A tentative list of 20 cities for possible airlinking during the next Plan has been prepared, but the actual construction of aerodromes and operation of air services will depend on the results of detailed studies and the availability of resources.

Adverse effect on Indian Exports as a result of Improvement in Relations between U. S. A. and China

10049. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether the Chinese exports to new markets as a result of improvement in relations between USA and China are likely to have an adverse effect on Indian exports in any way; and

(*b*) if so, the remedial steps being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) It is too early to assess the likely long-term impact of the normalization of Sino-US relations on our export earnings. Government would, however, take all appropriate measures for sustaining and enlarging our export earnings, in the light of new situations as and when they arise.

(*b*) Does not arise.

Opening of a Hotel in each State by I.T.D.C. during Fifth Plan

10050. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether Government are considering the question of opening of a Hotel in each State by the India Tourism Development Corporation during the Fifth Plan; and

(*b*) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) and (*b*) Proposals for the construction of hotels by the India Tourism Development Corporation during the Fifth Plan are under consideration.

Production of Mica

10051. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the quantum of production of mica, State-wise:

(*b*) the quantum of mica exported last year and the quantum thereof utilised in the country for indigenous industries; and

(*c*) the purposes for which mica is mainly used ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) The production of mica and mica waste or scrap in different States in 1971 was as follows :—

	Tonnes
Andhra Pradesh	6,700
Bihar ..	8,000
Rajasthan	3,500
Other States	700
TOTAL	18,900

(*b*) According to provisional figures of export available, 20,259 tonnes of mica and mic scrap was exported in 1972-73. The consumption of mica in the country is small at present but is increasing year by year on account of development of electronic industries in the country.

(*c*) Mica is used mainly in electrical and electronic industries.

बंगला देश को मिलों में बने और हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

10052. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में बंगला देश को कुल कितने वस्त्रों के निर्यात का लक्ष्य था और इनमें से हथकरघा वस्त्रों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में कितने और कितने मूल्य के हथकरघा वस्त्रों के निर्यात का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1972-73 के लिए भारत सरकार और बंगला देश के बीच हुए सीमित भुगतान प्रबंध में क्रमश: 1.50 करोड़ रु० और 0.25 करोड़ रु० के सूत और सूती वस्त्रों के निर्यात करने की व्यवस्था है।

इस प्रबंध में हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के लिए पृथक से कोई उपबंध नहीं है। तथापि, सीमित भुगतान प्रबंध के बाहर मुक्त विदेशी मद्रा के बदले हथकरघा वस्त्रों और मिल-निर्मित वस्त्रों के निर्यात हुए हैं।

(ख) 1973-74 के लिए बंगला देश के साथ व्यापार करार के बारे में वार्ताएं चल रही हैं।

मैसूर को वित्तीय सहायता

10053. श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री धर्मराज अफजलपुरकर : क्या **वित** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य को वर्ष 1974-75 से 1978 -79 तक के पांच वर्षों में 840.50 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में छठे वित्तीय आयोग को भी बताया है और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर पर कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) छठे वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया नियमों के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त सभी ऐसे कागज-पत्र आदि, जो उन विषयों से संबंधित होते हैं, जिन पर उन्हें रिपोर्ट देनी हो, उनके द्वारा गोपनीय माने जाते हैं ।

वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया द्वारा विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों को सम्मानार्थ/रियायती टिकट या निःशुल्क पास देना

10054. श्री समर गुह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया द्वारा अनेक सांस्कृतिक, खेल-कूद, सामाजिक तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों से सम्बन्धित व्यक्तियों को (i) सम्मानार्थ टिकट, (ii) रियायती टिकट अथवा (iii) निःशुल्क टिकट दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में किसी राजनितिक दल के सदस्यों को, जो डाक्टरी जांच के लिये विदेशों में गये थे, इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया ने यात्रा करने की अनुमति दी थी; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

लघु एककों को वित्तीय सहायता देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश

10055. **श्री शशि भूषण**
श्री प्रबोध चन्द्र } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विकास की गति तेज करने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके द्वारा अब की अपेक्षा और अधिक लघु एककों को उचित विन्तीय सहायता देने का निदेश देने और इसके लिये प्रतिभूति प्रधान प्रक्रिया समाप्त करने और पिछड़े क्षेत्रों में उघोगों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से मुक्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों, में से एक उद्देश्य यह है कि लघु औद्योगिक एककों और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों सहित छोटे ऋण कर्त्ताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करना है । पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु एककों सहित, औद्योगिक एककों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सावधि ऋण देने वाले बैंकों को पुर्नवित की सुविधाऐं देने की व्यवस्था है। बैंक छोटे एककों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने फार्मों और कार्यप्रणाली को उत्तरोत्तर सरल बना रहें हैं । जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट देने का सम्बन्ध है, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है ।

सामान्य बीमा व्यापार के कर्मचारियों की मजूरी और सेवा की शर्तें

10056. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा व्यापार, जो अब राष्ट्रीयकृत है, के कर्मचारियों की मजूरी और सेवा की शर्तों को, एकरूपता लाने के लिये, अभी मानकीकृत किया जाना है ;

(ख) क्या अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को अभी नियमित किया जाना है ;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों पर कार्यवाही में विलम्ब किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ इस सम्बन्ध में कोई द्विपक्षीय बातचीत की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, कुछ मामलों में।

(ग) जहां तक सेवा शर्तों को युक्तिसंगत करने का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच और सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की गई "मथानी समिति" की रिपोर्ट अभी ही प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक अस्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, समस्या के आकार का अध्ययन किया जा रहा है और उपयुक्त उपाय किये जायेंगे ।

(घ) जी नहीं ।

कर्मचारी संघ के साथ वेतन सम्बन्धी वार्ता शीघ्र ही शुरू होगी । फिर भी कर्मचारी संघों को (क) तथा (ख) के बारे में स्थिति समय-समय पर स्पष्ट की गयी है।

नागदा स्थित बिड़ला मिल्स को स्टैपल फाइबर बनाने के लिये लाइसेंस दिया जाना

10057. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागदा स्थित बिड़ला मिल्स को प्रति दिन लकड़ी के गूदे का 20 टन स्टैपल फाइबर बनाने के लिए लाइ सेंस दिया गया है;

(ख) इस फाइबर को बनाने के लिए उनको कब लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वे अपनी लाइसेंस क्षमता से कहीं अधिक फाइबर बना रहे हैं जो कभी-कभी 180 टन प्रति दिन तक पहुंच जाता है ;

(घ) क्या उन्होंने लाइसेंस में विस्तार करने की अनुमति मांगी थी ; और यदि हां, तो कब और क्या उन्हें विस्तार करने की अनुमति दी गई है ; और यदि हां, तो कब ; और

(ङ) इस सम्बंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० चार्ज) : (क) जी नहीं। उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता 60 टन प्रति दिन है ।

(ख) 27–9–1958 ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ) जी हां 1965 में। चूंकि इनके मामलों पर सरकार आयोग द्वारा विचार किया रहा है, अतः उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने संबन्धी उनके अनुरोध पर आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

स्टैपल फाइवर बनाने वाले कारखाने

10058. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी के गुदे से बने स्टैपल फाइबर की मजबूती न के बराबर है और कुछ विदेशों ने इस प्रकार के फाइबर का परित्याग कर दिया है ;

(ख) भारत में इस प्रकार का फाइबर बनाने वाले कारखाने कितने हैं; उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस प्रकार का फाइबर बनाने के लिए लाइसेंस दिए जाने के क्या कारण हैं और उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था ;

(घ) क्या इस फाइबर के बने कपड़े पर इस फाइबर की मजबूती का संकेत दिए जाने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख)

फर्म का नाम	स्थान
1. मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि० ।	(1) बिड़ला ग्राम, नागदा (म० प्र०) । (2) मवूर (केरल)
2. मसर्स साउथ इंडिया विस्कोस लि०	2. सिरुमुघाई, पो० आ० कोयम्बनूर (तमिलनाडू) ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत के रिजर्व बैंक की तुलना में वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग विभाग के कृत्य

10059. श्री के० मालन्ना :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में बैंकिंग विभाग के क्या कृत्य हैं;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और बैंकिंग विभाग के कृत्य एक दूसरे से टकराते हैं और देश में बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाली इन दो एजेंसियों में समन्वय नहीं है; और

(ग) यदि, हां तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक और बैंकिंग संस्थानों से सम्बन्धित अधिनियमों में, जनता के हित में, बैंकिंग संस्थानों के पर्यवेक्षण और उन के कार्यों के बारे में रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट कार्यों और उत्तरदायित्वों की व्यवस्था है। विशेष करके, जनहित से सम्बन्धित नीति के मामलों में, सम्बद्ध अधिनियम, केन्द्रीय सरकार को, रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तथापि, देश के एक बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में, रिजर्व बैंक, और बैंकिंग विभाग, जो कि केन्द्रीय सरकार में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए उत्तरदायित्व सम्बद्ध विभाग है, के बीच कार्यचालन सम्बन्धों के बारे में विभिन्न स्तरों पर निकट और निरन्तर सम्पर्क और परामर्श होता रहता है और इस से सक्रिय समन्वय की सुनिश्चितता रहती है।

एशियन क्लीयरिंग यूनियन तथा एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना

10060. श्री के० मालन्ना :

श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इकाफे" के टोक्यो में हुए अधिवेशन में विकसित देशों की क्षेत्रों में ही उनकी मुद्राओं से सम्बन्धित किये बिना ही मुद्रा के लेन-देन की अनुमति दिये जाने के लिए एक एशियन क्लीयरिंग यूनियन और एक एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रश्न पर चर्चा की गई थी; और

(ख) एशियाई देशों द्वारा विदेशी मुद्रा खर्च न किये जाने के लिये किन अन्य उपायों का प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक एशियाई क्लीयरिंग यूनियन और एक एशियाई रिजर्व बैंक की स्थापना करने के प्रश्नों पर इकाफे के टोकियो अधिवेशन में विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) इस अधिवेशन में अनेक उपाय, विशेषतः विकासशील देशों द्वारा, सुझाए गए थे, जिन्हें यदि क्रियान्वत किया जाये तो उनके प्रभाव स्वरूप एशिया के विकासशील देशों के विदेशी मुद्रा रिजर्व सुदृढ़ हो सकते हैं। इनमें ये शामिल हैं : कर्ज के संबन्ध में समय-क्रम का पुनः निर्धारण और पुनर्वित्त व्यवस्था करना, धन के ड्रा करने के विशेष अधिकारों और विकास वित्त व्यवस्था के बीच सम्बन्ध स्थापित करना, विदेशी सहायता के परिमाण और क्वालिटी में सुधार करना, स्वदेश में ही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता बनाना तथा क्षेत्र के भीतर का व्यापार बढ़ाना।

Vacancies of class II, III and IV post in Nationalized Banks in Bihar

10061. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether Class II, Class III and Class IV posts in the nationalised banks in Patna town and other places of Bihar are lying vacant, if so, the number thereof separately;

(*b*) whether applications were invited from the public for filling up the said posts if so, the number of persons who applied for these posts ;

(*c*) whether thousands of applications are lying in Allahabad Bank and other banks located in Patna town and there is no arrangement for their safe custody; and

(*d*) if so, the time by which Government propose to fill up these posts and in what manner ?

Th Ministere of Finance (Shri Yashwant Rao Chavan) : (*a*) to (*d*) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Five-Year Plan for Development of Tourist Centres in Bihar

10062. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil** Aviation be pleased to state :

(*a*) whether the Government of Bihar have prepared a Five Year Plan for the development of tourist centres in Bihar'

(*b*) if so, whether the scheme has been sent to him and if so, the main features there of and

(*c*) the decision of Government theereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. KARAN SINGH) (a) and (b) : The Department of Tourism has not so far received from the Government of Bihar their Fifth Five Year Plan for Development of tourist centres in the State.

(c) Does not arise.

नायलन धागे के उत्पादन के बारे में नायलन कातने वालों, नायलन बुनने वालों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच हुई बातचीत

10063. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलन धागे के उत्पादन के बारे में नायलन कातने वालों, नायलन बनने वालों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच हाल में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वार्ताओं में प्रत्याशित पोतलदानों के साथ साथ सप्लाई तथा संविदा संबन्धी स्थिति स्पष्ट की गई थी। यह नोट किया गया था कि राज्य व्यापार निगम द्वारा अग्रिम रूप से जो 8000 मे० टन केप्रोलैक्टम के लिए संविदा की गई थी उसमें से कुल 2200 मे० टन मई/जून 1973 में पहुंच जाएगा। कत्तिनों ने बताया कि वे गत वर्षके स्तर तक नायलन धागे के उत्पादन और उसकी सुपुर्दगी को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। कत्तिन अपने उत्पादन आंकड़े बुनकर एसोसिएशनों को उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत थे। यह भी नोट किया गया कि राज्य व्यापार निगम ने 130 लाख रु० मूल्य की लगभग 3400 मे० टन के लिए लैटर आफ आथोरिटी पृथक्-पृथक् कत्तिनों को पहले ही दे दी थी ।

एशियाई विकास बैंक में कार्य कर रहे भारतीय नागरिकों की ओर से ज्ञापन

10064. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक में कार्य कर रहे कुछ भारतीय कर्मचारियों ने उस बैंक के कार्यकरण तथा विशेषकर बैंक के निदेशक मण्डल में भारतीय प्रतिनिधियों के कार्य के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इन बातों पर क्या निर्णय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को एशियाई विकास बैंक में भारतीय प्रतिनिधियों की भूमिका में बारे में एक गुमनाम ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) इस ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बात ये हैं :—(1) कि भारतीय प्रतिनिधियों ने एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के अन्तर्गत दिए गए आर्डरों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आर्डर प्राप्त करने में भारत की सहायता नहीं की; (2) कि वे सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल जैसे कम महत्वपूर्ण मामलों में ही व्यस्त रहे हैं; और (3) वे भारतियों के लिए उपलब्ध पदों को अपने पसन्द के ही व्यक्तियों द्वारा भरने की कोशिश करते रहे हैं।

(ग) (1) एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के अन्तर्गत दिए गए आर्डरों की मात्रा में भारत के भाग का निर्धारण भारतीय निर्यात-वस्तुओं की प्रतियोगितात्मक क्षमता द्वारा होता है और होगा। उपर्युक्त निर्यात नीतियों के जरिए भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगात्मक क्षमता में वृद्धि करने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है । यह बात कार्यकारी निदेशक और वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के बाहर है, जो एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(2) एशियाई विकास बैंक में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य-काल का विनियमन करने की नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और वह आर्थिक कार्य विभागों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। हमारे प्रतिनिधियों का कार्य केवल यह है है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति की जानकारी एशियाई विकास बैंक को दे दें।

(3) इसी प्रकार, एशियाई विकास बैंक में भारतीयों के लिए उपलब्ध पदों को भरने के लिए व्यक्तियों का चुनाव सरकार द्वारा सुस्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है जो न केवल एशियाई विकास बैंक पर लागू होती है बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी सरकार ने ज्ञापन म उल्लिखित बातों पर विचार किया है और उसका विचार है कि उनका कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा और एवरो विमानों के लिए क्रयादेश देना

10065. श्री एस० ए० मुरूगन्नतम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने अपने बेड़े के लिए कुछ और एवरो **विमान** के लिए क्रयादेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने विमानों के लिए क्रियादेश दिए गए हैं; और

(ग) इन विमानों की डिलीवरी कब तक कर दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पुनरीक्षित वितरण अनुसूची के अनुसार इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा आदेशित 10 विमान अप्रैल 1972 तथा अप्रैल 1973 के बीच प्राप्त हो जाने थे। अभी तक केवल तीन ही विमान प्राप्त हुए हैं।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कोई पक्की तिथियां नहीं बताई गयी हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार करार

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार करार

10066. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के साथ पांच वर्षीय व्यापार करार करने के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) करार की शर्तों पर अभी बातचीत चल रही है।

भारत के रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

10067. **श्री भागीरथ भंवर :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण के बारे में कुछ सिफारिश की थीं ;

(ख) क्या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया में इसके विकास कार्यों को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए एक सैल स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विकासोन्मुखी अर्थ व्यवस्था में केन्द्रीय बैंककारी संस्था के प्रधानत: विकास-प्रधान होते हैं। जब कि विकासात्मक क्रियाकलापों को चलाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक में किसी विशेष कक्ष की स्थापना नहीं की गई है। कृषि ऋण तथा औद्योगिक ऋण जैसे विशिष्ट विभागों ने जो पहले से ही बैंक में विद्यमान हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रदेश की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, अपने कार्यों का विस्तार किया है तथा प्रादेशिक कार्यालय भी खोले हैं। इसके अतिरिक्त, 1970 में स्थापित ऋण आयोजना कक्ष विशेष. रुप से इस बात का ध्यान रखता है कि वाणिज्यिक बैंकों की विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए।

वित्तीय संस्थानों के लिए एक नियन्त्रक कम्पनी की स्थापना करना

10068. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम और औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम जैसी अनेक दीर्घ तथा मध्यकालिक ऋण संस्थाएं स्थापित की गई थीं जिनके कृत्यों और समन्वय के क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही अनेक वित्तीय संस्थाओं को एक प्रबन्ध के अधीन लाने के लिए एक नियन्त्रण कम्पनी स्थपित करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यद्यपि सारी सरकारी ऋण दाता वित्तीय संस्थाओं के कार्य के अपने अपने जिला क्षेत्र हैं, फिर भी कुछ हद तक दुहरापन

आ जाना, विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के क्षेत्र में, अवश्यमभावी है। फिर भी संघ आधार पर ऐसे संस्थाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की देख रेख में अन्तर संस्था बैठकें की जाती हैं इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं तथा वाणिज्यक बैंकों द्वारा सभी परियोजनाओं को सहायता देने के कार्य में समन्वय किया जाता है।

सभी वित्तीय संस्थाओं में और भी अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए, वर्तमान वित्तीय संस्थाओं के लिए एक धारक कम्पनी के रूप में एक संस्था की स्थापना करने के विचार की जांच की जा रही है।

वित्तीय एजेन्सियों के अनुभव का पुर्नविलोकन करने हेतु भारतीय रिजर्व बक द्वारा कार्यकारी दल का गठन

10069. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन वित्तीय एजेंसियों, जिन्होंने कुओं तथा नलकूपों के निर्माण के लिए ऋण दिया था, के अनुभव का मूल्यांकन करने और यह मूल्यांकन करने कि वे किस सीमा तक असफल रही हैं और ऋणदात्री एजेन्सीयों के सम्भावित घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए उपायों का सुझाव भी देने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यकारी दल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा; और

(ग) क्या वह प्रतिवेदन व सभा-पटल पर रखा जाएगा?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी हां। रिजर्व बैंक ने आर्थिक परामर्शदाता श्री वी एम० जखाड़े की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया है। आशा है कि यह दल अपनी रिपोर्ट अगले छः महीनों में प्रस्तुत कर देगा। रिपोर्ट पर की जाने वाली और कार्रवाई का निश्चय उसके प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक के पद का समाप्त किया जाना

10070. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपनी स्टाफ इन्सपैक्शन यूनिट की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के पद को समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) नियम पुस्तकों, फार्मों आदि का हिंदी में अनुवाद करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन मार्च 1971 में एक अलग अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई जिसका प्रधान एक पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया। और बाद में, अगस्त 1971 में, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में मिला देने का निर्णय किया गया। इन कारणों से संयुक्त संस्थापन में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया। शिक्षा मंत्रालय के सुझाव पर, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 1972 में, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एवं केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के संयुक्त कार्यालय के कार्य का अध्ययन

आरम्भ किया। कम हुए कार्य भार तथा अन्य संगत तथ्यों के आधार पर संयुक्त संस्थापन के कार्यालय की कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर कर्मचारी निरीक्षण एकक ने सिफारिश की कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष पद को केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक पद के साथ मिला दिया जाय। अब शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक के पद को समाप्त करने का निर्णय किया है।

श्रीलंका को केन्दु के पत्तों का निर्यात

10071. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा वन निगम ने श्रीलंका को केन्दु के पत्तों का निर्यात करने का निणय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा ;

(ग) श्रीलंका टोबैको कार्पोरेशन की और से भारत को कुल कितने पत्ते का क्रयादेश प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) आशा है कि श्रीलंका को 3500 से 4000 मे० टन केन्दु के पत्तों का निर्यात किया जाएगा।

(ग) श्रीलंका टुबैको कार्पोरेशन ने 1973-74 के दौरान 3500 मे० टन केन्दु के पत्ते खरीदने की पेशकश की है।

'न्यू काइंड आफ टूरिज्म टू ब्रिंग इंडिया यू० एस० क्लोजर' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

10072. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1973 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में 'न्यू काइण्ड आफ टूरिज्म टू ब्रिंग इंडिया-यू०एस० क्लोजर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नये प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 5000 से अधिक यात्रा अभिकरण विभिन्न प्रकार के विशेष रुचि के एकमुश्त यात्राओं (पैकेज टूर्स) को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए एक प्रकार की विशेष रूचि की यात्रा का उल्लेख किया गया है। पर्यटन विभाग के पास प्रैस रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से उल्लिखित यात्राओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि ऐसी यात्राओं के विकास का निःसंदेह स्वागत किया जाएगा।

इन्डोनेशिया के साथ व्यापार के नये आधार

10073. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के साथ व्यापार के लिए भारत ने एक नया आधार निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इंडोनेशिया ने इसका कोई उत्तर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं, लेकिन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय का सतत प्रयास रहा है और द्वि०-पक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्य सहयोग के संबंध में विशेषज्ञ स्तरों पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्तालाप चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैम्स फिनले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

10074. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स जेम्स फिल्ले एण्ड कम्पनी के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मैसर्स जेम्स फिन्ले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा इमारत की बिक्री से सम्बन्धित जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

होटल और शिवर स्थल बनाने की योजना

10075. **श्री पी० गगादव :**

श्री बरक जार्ज :

क्या **पर्यटन** और **नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय देश भर में होटल तथा शिविर स्थल बनाए जाने की योजना बना रहा है ;

यदि हां, तो क्या चौथी योजना में इस शीर्ष के अन्तर्गत इस कार्य के लिये कोई व्यवस्था किये बिना भी मंत्रालय ने इस योजना पर आगे कार्यवाही करने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र भेजे हैं जिनमें उनसे अपने सुझाव देने के लिये अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० चर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सड़क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उन सड़क मार्गों पर जहां पर्यटक यातायात अपेक्षाकृत बहुत घना है, होटल

तथा शिविर स्थल बनाने के प्रस्ताव हैं। अखिल भारत आधार पर एक 'पर्स्पेक्टिव स्कीम' तैयार करने के लिए, उपयुक्त स्थानों के लिए सुझाव मांगने के लिए राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए थे। प्रारंभ में, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से शिविर स्थल बनाने के लिए 19 स्थानों का चयन किया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पूरे किए जा रहे हैं। यद्यपि कुछ व्यय चालू योजना के दौरान "सड़क मार्गों पर सुविधाओं" के लिए की गई व्यवस्था में से किया जाएगा, इन स्कीमों पर अधिकांश व्यय पांचवीं योजना के दौरान किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, क्लर्कों तथा जूनियर आफिसरों की भर्ती

10076. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, क्लर्कों, जूनियर आफिसरों आदि के पदों पर स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की भर्ती को प्रोत्साहन देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों पर भर्त्ती संबंधी नियमों तथा विनियमों में कोई अनुबंध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में नियमों में ऐसे अनुबंध की व्यवस्था करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंकों का भरसक प्रयत्न यह रहता है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को रखा जाय पर वे लिपिकीय पद प्रायः अपने प्रादेशिक केन्द्रों में परीक्षाओं तथा साक्षातकारों के आधार पर भरते हैं। जहां तक कनिष्ठ अधिकारियों का सम्बन्ध है कुछ बैंक इन पदों को केवल पदोन्नति के आधार पर भरते हैं तथा अन्य, कुछ प्रतिशत पद सीधे भर्ती के लिए रखते हैं। चूंकि कनिष्ठ अधिकारियों को भारत में किसी भी जगह स्थानान्तरित किया जा सकता है अतः उनकी भर्ती सामान्यतः अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय भवनों का निर्माण

10077. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय व्यक्तियों से ठेके करने की प्रथा का अनुसरण किया जाता है और उन्हें पहले ही अत्यधिक किराये का आश्वासन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा अपनी इमारतों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवराव चव्हाण) : (क) और (ख) : बैंकों के लिये अपने सभी कार्यालयों के निमित्त अपने भवनादि बनाना संभव नहीं है क्योंकि इससे न केवल उनका रुपया अवरुद्ध हो जाएगा बल्कि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में भी विलम्ब हो जाएगा। बैंक पहले किसी कार्यालय के लिए ऐसे उपयुक्त स्थान का निश्चय करते हैं जो केन्द्र में स्थित हों और उस क्षेत्र के भावी ग्राहकों के लिए, जहां बैंक द्वारा कार्य किये जाने की आशा हो, सुविधाजनक हो। उसके बाद उपयुक्त भवनादि किराये पर लिए जाते हैं। क्योंकि किसी कार्यालय के लिए सामान्यतः ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे तिजोरी, कारोबार के प्रयोजनार्थ ग्राहकों के लिए

सुविधाजनक स्थान, काउण्टर, कारोबार के घंटों के दौरान नकदी और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए सुरक्षा प्रबंध आदि। प्राय: उपलब्ध इमारत आदि में फेर बदल करना पड़ता है। फरवरी 1970 में बैंकों को परामर्श दिया गया था कि यद्यपि चुने गये भवनादि में निर्माण कार्य करने, फेर बदल करने आदि के व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम स्वीकार करने पर आपत्ति नहीं है तथापि अग्रिम की राशि उचित तथा निर्माण, फेर-बदल आदि से संबद्ध होनी चाहिए और आमतौर से भवनादि के दस वर्ष के किराये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अग्रिमों की वापसी अदायगी की अवधि भी सामान्यत: दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भवनादि का किराया उचित होना चाहिए और बस्ती में विद्यमान किराये के अनुरूप होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई धनराशि

10078. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उक्त धनराशि किस उद्देश्य हेतु दी गई; और

(ग) वर्ष-वार कितनी राशि मांगी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों को पिछले तीन वर्षों में दी गई राशियों, उनके प्रयोजनों और आवेदित कुल सीमा का विवरण——

		(लाख रुपयों में)			
वर्ष	प्रयोजन	बैंक द्वारा आवेदित सीमा	रजिस्ट्रार द्वारा अनुशासित सीमा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा	निकाली गई अधिकतम रकम
1	2	3	4	5	6
1970-71	(i) कृषि सम्बन्धी क्रिया क्लापों के लिए अल्पावधि ऋण	125.00	125.00	58.00	50.00
1971-72	(i) कृषि सम्बन्धी मौसमी क्रिया क्लापों के लिए अल्पावधि ऋण	170.00	170.00	62.00	49.25
	(ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधिक ऋण	15.00	15.00	2.00	कोई नहीं

1	2	3	4	5	6
	(iii) रूपांतरण प्रयोजनों के लिए मध्यावधि ऋण	60.40	60.40	11.32	11.32
1972-73 (मार्च तक)	(i) मौसमी कृषि प्रयोजनों के लिए अल्पावधि ऋण	120.00	120.00	62.00	54.50
	(ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधि ऋण	50.00	50.00	अभी सूचना उपलब्ध नहीं है	

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

10079. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, इसके सहायक बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक स्थानीय लोगों के साथ अपने लेनदेन में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सारे देश में इन बैंकों द्वारा इस समय प्रचार सामग्री तथा फार्मों आदि का प्रकाशन किन क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंकों ने अपनी विज्ञापन सामग्री और फार्म अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में (जिसमें असमियां, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल और तेलगु सम्मिलित है) अपने-अपने कार्यचालन क्षेत्रों में, या तो छपवा लिये हैं या छपवाने के लिये कदम उठाए गए है ।

1-3-73 को अमरीका के साथ व्यापार सन्तुलन

10080. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1973 को अमरीका के साथ हमारे व्यापार संतुलन की स्थिति क्या थी;

(ख) गत दो वर्षों में उक्त देश की कितने मूल्य का निर्यात किया गया तथा उससे कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(ग) अदायगी /ऋण शुल्क आदि का समायोजन किस प्रकार हुआ किस हद तक किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यातों तथा आयातों के आंकड़े केवल सितम्बर, 1972 तक उपलब्ध हैं । उस तारीख को हमारे व्यापार संतुलन की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

(मूल्य लाख रु० में)

अवधि	सं० रा० अमरीका से भारत के आयात	सं० रा० अमरीका को भारत के निर्यात	व्यापार संतुलन
1972-73	9919	14538	+4619

(ख)

(मूल्य लाख रु० में)

अवधि	सं० रा० अमरीका को भारत के निर्यात	सं० रा० अमरीका से भारत के आयात
1970-71	20734	45295
1971-72	26308	41652

(ग) समय समय पर बकाया ऋण दायित्व का पुनर्भुगतान विभिन्न ऋणों पर लागू होने वाली परिशोधन अनुसूची के अनुसार किया जाता है। कुछ ऋणों को छोड़ कर जिनका पुनर्भुगतान रुपये में किया जाता है (जैसे कि विकास निधि तथा विकास सहायता ऋण और पी० एल० 480 रु० ऋण), इनका पुनर्भुगतान प्राय: अमरीकी डालर में किया जाता है। वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान प्राक्कलित ऋण सर्विसिंग दायित्व निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु० में)

अवधि	विदेशी मुद्रा में प्रतिदेय		रुपये में प्रतिदेय	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
1972-73	5254	4201	3022	4491
1973-74	5418	4017	3205	4348

खिलौना उद्योग के निर्यात प्रधान एककों की स्थापना

10081. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलौनों तथा सजावट के समान में निर्यात की भारत की क्षमता के सर्वेक्षण के पश्चात् इन्डिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर ने सिफारिश की है कि देश में निर्यात प्रधान एककों की स्थापना से खिलौना उद्योग का विकास किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और इसे क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

बंगलादेश शरणार्थी सहायता सम्बन्धी शुल्कों का राज्य सरकारों द्वारा वापस लिया जाना

10082. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री प्रमोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र के इस परामर्श को कि 1971 में लगाये गये बंगलादेश शरणार्थी सहायता शुल्कों को वापस ले लिया जाये, क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इन शुल्कों को वापस ले लिया है; और

(ग) किन राज्यों नें इन शुल्कों को अभी तक बनाये रखा हुआ है और उनका उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा केवल ने अपने शुल्कों को वापिस ले लिया है। मणिपुर और उड़ीसा में शुल्कों को वापस लेने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। नागालैण्ड ने कोई भी बंगला देश शरणार्थी शुल्क नहीं लगाया।

(ग) उन राज्यों के नाम, जिन्होंने शुल्क जारी रखे हैं तथा उन शुल्कों को जारी रखने के प्रयोजन नीचे प्रदर्शित किये गये हैं :

1. बिहार : राज्य के साधनों में वृद्धि के लिए ।
2. मध्य प्रदेश : विकास योजनाओं और सूखा सहायता के लिए ।
3. महाराष्ट्र : अभाव सहायता के लिए ।
4. मेघालय : आयोजनागत योजनाओं के वित्तपोषण के लिए और आयोजना भिन्न व्यय के कारण बढ़े हुए दायित्वों की पूर्ति के लिए ।
5. मैसूर : ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए घर प्रदान करने के लिए ।
6. पंजाब : इसे शिक्षा शुल्क में बदल दिया गया है ।
7. राजस्थान : सूखा सहायता व्यय के लिए ।
8. तमिलनाडू : विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए ।
9. त्रिपुरा : राज्य के साधनों में वृद्धि के लिये ।
10. उत्तर प्रदेश : देवी विपत्तियों से सम्बन्धित व्यय की पूर्ति के लिए ।
11. पश्चिम बंगाल : चौथी आयोजना की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए और आयोजना भिन्न योजनाओं के दायित्वों की पूर्ति के लिए ।

कपड़ा बनाने वाली मशीनों का आयात

10083. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा बनाने वाली आधुनिक मशीनों के आयात के लिए कुछ आवेदन-पत्र जुलाई, 1971 से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने 12 जुलाई, 1971 का एक प्रैस नोट जारी करके जटिल वस्त्र मशीनरी की 13 विनिर्दिष्ट मदों के आयात के लिए निर्यातोन्मुखी सूती वस्त्र मिलों से आवेदन पत्र मांगो थे । जांच पड़ताल करने पर, निर्यातोन्मुख एककों के रूप में व्यवहार प्रदान करने के लिए केवल 21 सूती वस्त्र मिलों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर योग्य पाया गया । इन 21 सूती वस्त्र मिलों में से 15 मिलों के आवेदन पत्रों को पूंजीगत माल समिति ने निबटा दिया है । शेष 6 सूती वस्त्र मिलों के आवेदन पत्रों को उनकी निर्यात आय की संपुष्टि होने तक रोक लिया गया है ।

हथकरघा उद्योग के विकास के लिये बिहार राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि

10084. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 1973-74 में राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को किस हद तक स्वीकार कर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अर्थ निर्मित चमड़े के निर्यात के लिये कोटा पद्धति लागू करना

10085. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध निर्मित चमड़े के निर्यात के लिए कोटा पद्धति लागू करने के सरकार के निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के निर्यातकर्ताओं को कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **ए० सी० जार्ज**) :**(क) तथा (ख)** : अर्ध साधित खालों तथा चमड़ियों का निर्यात 1 अप्रैल, 1973 से कोटा प्रणाली द्वारा विनियमित किया गया है। कोटा योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और सरकार द्वारा इसकी घोषणा निकट भविष्य में किए जाने की संभावना है।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

10086. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के बारे में प्रतिवेदन देने हेतु एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना की अवधि में देश में मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के निकट दो या तीन निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रस्थापनाएं तैयार करने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है जिसमें निम्नोक्त व्यक्ति हैं। कार्यकारी दल की रिपोर्ट लगभग 2 माह की अवधि में प्राप्त हो जाने की आशा है :

1. श्री बी० बी० लाल सचिव, वाणिज्य मंत्रालय—अध्यक्ष
2. श्री एम० नरसिंहमन,
अवर सचिव, (आर्थिक कार्य विभाग)
3. श्री जसजीत सिंह,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड
4. प्रो० जी० आर० कुलकर्णी, महानिदेशक, आई० आई० एफ० टी०
5. डा० ए० सीतारमैया, महानिदेशक, तकनीकी विकास
6. डा० ए० के० घोष, आर्थिक सलाहकार (औद्योगिक विकास)
7. श्री एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय
8. श्री ए० एस० गिल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

जापान को लौह अयस्क के निर्यात से सम्भावित आय के समक्ष खनिज तथा धातु विकास निगम द्वारा अग्रिम संरक्षात्मक उपाय

10087. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु विकास निगम द्वारा मई से जुलाई, 1973 के बीच जापान को लौह-अयस्क के निर्यात से होने वाली आय के समक्ष जनवरी, 1973 में कोई अग्रिम सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये गये थे ;

(ख) क्या जनवरी 1973 से अप्रैल 1973 के बीच डालर की दर 8 रुपये से (अग्रिम, सुरक्षात्मक उपाय), मुद्रा-दरों में उतार-चढ़ाव के कारण, घट कर 7.53 रुपये हो गई थी; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप इस अवधि में 2 करोड़ डालर की सम्भावित बिक्रि पर रुपये-मुद्रा में आय में लगभग एक करोड़ रुपये की हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : डालर-रुपया दर में व्यापक घट-बढ़ और अन्य मुद्राओं के पुनर्मूल्यन की सम्भावनाओं के साथ डालर अवमूल्यन के संबंध में अफवाहों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सट्टे की प्रवृत्ति रही। डालर का अवमूल्यन 12 फरवरी, 1973 को किया गया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सट्टा बाजार में प्रवेश नहीं किया और जनवरी, 1973 में अप्रैल लदान के लिए केवल एक सांकेतिक अग्रिम कवर की व्यवस्था की गई। इस अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताओं के कारण बैंकों द्वारा अग्रिम कवर प्रदान करने का कार्य बन्द करना पड़ा और जब तक बाजार सामान्य स्थिति में नहीं आयें कोई क्वोटेशन नहीं थे। मई, जून और जुलाई, 1973 की स्पाट दरों का आज तक भी पता नहीं चला है। अतः यह बताना कठिन है कि मई से जुलाई, 1973 के दौरान लदानों के लिए प्रश्नगत अवधि के दौरान अग्रिम कवर की व्यवस्था करने अथवा न करने से क्या हानि अथवा लाभ हुआ है।

भारतीय कम्पनियों पर विदेशी नियंत्रण

10088. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों में विदेशी पूंजी को सीमित करने की नीति को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) विदेशी पूंजी पर लगाये गये प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप लाभांश को स्वदेश भेजने के मामले में कितनी बचत हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हाल के वर्षों में सरकार की नीति यह रही है कि जब विदेशी बहुमत वाली भारतीय कम्पनियां (i) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 18क (ii) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम, (iii) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और (iv) पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत सरकार से अनुमति प्राप्त करें तब इन कम्पनियों में भारतीय पूंजी की भागीदारिता को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाय ताकि इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की कम्पनियों में विदेशी भागीदारिता को कम किया जा सके। लोक

सभा के पटल पर एक विस्तृत सूची रख दी गई है जिसमें विदेशी बहुमत वाली उन कम्पनियों का ब्यौरा दिया गया है जिनमें विदेशी शैयरों का अनुपात कम करने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) विदेशियों द्वारा नियंत्रित सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा लाभांश को स्वदेश भेजने के मामले में भारतीयकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

विवरण

	विदेशी शेयरधारिता को कम करने से पूर्व अनिवासियों की धारिता	विदेशी शेयरधारिता को कम करने के बाद अनिवासियों की धारिता
1. ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज लिमिटेड .	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत
2. रेकिट एण्ड कोलमैन आफ इंडिया लिमिटेड	100 प्रतिशत	70 प्रतिशत
3. ई० मर्क लिमिटेड .	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत
4. स्मिथ एण्ड नेफ्यू लिमिटेड	53 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5. वाण्डर लिमिटेड .	55 प्रतिशत	40 प्रतिशत
6. सीएट टायर्स आफ इंडिया लि० .	60 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7. जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि० . .	90.14 प्रतिशत	74 प्रतिशत
8. एटलस कापको इंडिया लिमिटेड	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत
9. शालीमार पेण्टस लिमिटेड .	75 प्रतिशत	53.7 प्रतिशत
10. ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि०	75 प्रतिशत	60 प्रतिशत
11. नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	73.7 प्रतिशत	59.3 प्रतिशत
12. वेस्टोबल इंडिया लिमिटेड .	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत
13. इंग्लिस इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०	75 प्रतिशत	66 2/3 प्रतिशत
14. फिलिप्स इंडिया लि० . .	69.2 प्रतिशत	60 प्रतिशत
15. एल्फर्ड हर्बर्ट (इंडिया) लि० .	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत
16. जे० स्टोन ऐण्ड कम्पनी (इंडिया) लि० .	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत
17. मोटर इंडस्ट्रीज़ कम्पनी लिमिटेड	57.5 प्रतिशत	51 प्रतिशत
18. एस० एच० बेनसन (इंडिया) प्राइवेट लि० .	100 प्रतिशत	40 प्रतिशत
19. हिन्दुस्तान थोमसन एसोसिएट्स लिमिटेड . .	100 प्रतिशत	40 प्रतिशत
20. लिंटास इंडिया लिमिटेड	100 प्रतिशत	40 प्रतिशत
21. ग्राण्ड एडवर्टाइजिंग (इंडिया) प्राइवेट लि०	विदेशी कम्पनी की शाखा	40 प्रतिशत
22. एस० के० एफ० बाल बेयरिंग कम्पनी लिमिटेड .	100 प्रतिशत	29.9 प्रतिशत

मछली पकड़ने वालों को समुद्र से प्राप्त हुए उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय का दिया जाना

10089. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने वालों को समुद्र से प्राप्त हुए उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय दे दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जो मछली पकड़ने वाले समुद्री उत्पादों का उत्पादन तथा निर्यात करते हैं उन्हें पहले ही विदेशी आयातकों से वसूली होने के पश्चात् अपने निर्यातों से अर्जित कुल आय रुपये में ही प्राप्त हो रही हैं। मछली तथा मछली उत्पाद के पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात वसूली का कुछ भाग उन्हें कतिपय आवश्यक कच्चे माल तथा उपस्करों का आयात करने हेतु दिया जाता है।

मध्य श्रेणी के पर्यटन के लिये प्रोत्साहन

10090. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में मध्य श्रेणी के पर्यटन के लिय क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ख) वर्ष 1973-74 में इस उद्देश्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पर्यटन विभाग देश में कई स्थानों पर पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों-व-मोटलों तथा वन्यजीव शरणस्थलों विश्रामगृहों के रूप में मध्यम आय वाले पर्यटकों के लिये पूरक आवास प्रदान करने के लिये कई प्रयोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। पूरक आवास प्रायोजनाओं के लिये 1973-74 के दौरान 57.75 लाख रुपये का आवंटन (एल्लोकेशन) किया गया है। विभाग ने होटलों के निर्माण तथा विस्तार के लिये, जिनमें मध्यवर्गीय आय वाले पर्यटकों के लिये उपयुक्त होटल भी सम्मिलित हैं, ऋण देने के लिये एक होटल विकास ऋण निधि की भी स्थापना की है। होटल प्रायोजनाओं को ऋण देने के लिये 1973-74 के दौरान 200 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

जीवन बीमा निगम द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पूंजी निवेश

10091. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा निजी क्षेत्र को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में लगाई गई पूंजी के नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इस पूंजी निवेश का कितना भाग उन पहले दस व्यापार समूहों की कम्पनियों में लगा हुआ है जिसका उल्लेख एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम का निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में 31 मार्च 1973 को निवेश 258.68 करोड़ रुपये का था।

(ख) 95.68 करोड़ रुपये।

टिप्पणी : ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इन की लेखा परीक्षा होनी है।

रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में हवाई अड्डे के निर्माण की योजना

10092. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटवर्ती क्षेत्रों में हवाई अड्डों के निर्माण को वरियता देने का है ।

(ख) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि के स्थान पर हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं । किन्तु देश के अन्य भागों के साथ-साथ तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में भी उनके गुणदोषादि के आधार पर इस संबंध में विचार किया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं :

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान करेंसी संकट का जापान के साथ भारत के व्यापार पर प्रभाव

10093. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही के करेंसी संकट का जापान और भारत के बीच व्यापार पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय रुपये की तुलना में जापानी येन के मूल्य में वृद्धि से एक ओर तो जापान को भारतीय निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा दूसरी ओर जापान से आयातित माल भारतीय रुपये में अधिक महंगा पड़ सकता है ।

अनाज के थोक व्यापार संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था के खर्चों को पूरा करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना

10094. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले नये वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों का विचार प्रशासनिक व्यवस्था के खर्च को पूरा करने हेतु ऋणों के रूप में अधिक वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अनाज की वसूली के क्रियाकलापों के लिये थोक व्यापार हाथ में लिये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली ऋण संबंधी आवश्यकताओं की बैंक द्वारा पूर्णतः पूर्ति की जा रही है । बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, भारतीय खाद्य निगम की ऋण-सीमा अप्रैल, 1973 में 440 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 660 करोड़ रुपये कर दी गई है और राज्य-सरकारों तथा उनके अभिकर्ताओं की ऋण-सीमा 248.65 करोड़ रुपये से बढा कर 353.65 करोड़ रुपये कर दी गई है ।

अनुभवी बैंक कर्मचारियों की कमी

10095. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभवी व्यक्तियों की कमी बैंक सेवाओं के सुधार के रास्ते में रुकावट ला रही है; और

(ख) यदि हां, तो अनुभवी बैंक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से शाखा विस्तार, जमा की राशि और परिणाम में वृद्धि और उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों में हुई वृद्धि ने बैंकों की उपलब्ध जनशक्ति पर अधिक भार डाला है। फिर भी कार्यप्रणाली को युक्तियुक्त और सरल बनाकर तथा टैलर प्रणाली आदि आरम्भ करके बैंक अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए दृढ़संकल्प है। इस विचार से कि बैंकों के कर्मचारी नई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए सन्नद्ध हो सके वे कर्मचारियों को, चालू प्रशिक्षण योजनाओं में परिवर्तन करके और नई योजनाएं आरम्भ करके, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने की ओर भी लगातार ध्यान दे रहे हैं।

Payment of Professional Tax by Central Government Employees Working in Madhya Pradesh

10096. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether all the Central Government employees paying income tax are required to pay professional tax in Madhya Pradesh;

(*b*) whether the attention of Government has also been drawn to this fact by the employees; and

(*c*) if so, Government's reaction in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) ; (*a*) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(*b*) *and* (*c*) : Presumably, the reference is to a demand by the Central Government employees that the professional tax lavied by State Governments should be reimbursed to them. Such a demand, in general terms was made, but Government could not agree to the demand.

Arrears of Income Tax against Individuals having an Income of over Rupees Five Lakhs

10097. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the number of Income-tax assessees whose income exceeds Rupees five lakhs; and

(*b*) the number of persons, out of them, against whom arrears of income-tax are outstading for the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) and (*b*) : The requisite information in respect of those assessees who were assessed to income-tax during 1972-73 on an income exceeding Rupees five lakhs, is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) & (*b*) : The Development of Tourism has not so far received from the Government of Bihar their iFifth Five Year Plan for development of tourist centres in the State.

(*c*) : Does not arise.

एयर इंडिया द्वारा 1972 में टिकट संबंधी विनियम (टिकटिंग रेग्यूलेशन) का उल्लंघन किये जाने के बारे में शिकायतें

10098. श्री एस०एम० मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि एयर इंडिया ने 1972 में टिकट सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अमरीकी सिविल एयरोनाटिक्स बोर्ड ने आरोप लगाया है कि एयर इण्डिया ने टिकट संबंधी कुछ विनियमों का उल्लंघन किया तथा एयर इण्डिया द्वारा उड़ान करने के लिये ग्राहकों को पटाने के लिये एक यात्रा अधिकरण को गलत तरीके से कुछ अतिरिक्त कमीशन देना स्वीकार किया। शिकायत से ही पता चलता है कि वास्तव में इस अतिरिक्त कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

(ग) एयर इंडिया शिकायत का उत्तर तैयार कर रही है तथा उसका कहना है कि उसने फैडरल एविएशन एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है।

Income from and Expenditure on Cars belonging to Tourism Department during last one year.

10099. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) the total number of cars with the Department of Tourism and the total expenditure incurred thereon as also the income earned therefrom during the last year; and

(*b*) the total expenditure incurred by Government on the staff engaged for these cars during the last year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (*a*) The Department of Tourism does not operate any tourist taxis. The India Tourism Development Corporation Limited has 16 Transport Units all over the country. The total fleet strength of the Corporation was 204 on 1-4-73. This comprised 66 Ambassador cars, 107 Luxury cars, 24 Delux coaches and 7 mini coaches.

These vehicles earned Rs. 60·76 lakhs during 1972-73 and the expenditure on operating these vehicles was Rs. 58·46 lakhs.

(*b*) The total expenses towards pay and allowances of the staff engaged for these vehicles during 1972-73 was Rs. 14·50 lakhs.

(These figures are provisional and subject to audit).

Export of Rose Flowers

10100. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state whether rose flowers were exported from India to foreign countries during the last year and are proposed to be exported this year indicating the name of the foreign countries to which these flowers were exported or are proposed to be exported and the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Flowers including rose flowers worth Rs. 70,955 were exported to the following countries during the period from 1st April, 1972 to 30th September, 1972 :

1. Dubai
2. France
3. West Germany
4. Italy
5. Nepal
6. Singapore
7. U. K.

(Separate statistics in respect of rose flowers have not been maintained).

It is proposed to export rose flowers to U.K., West Germany and France, during 1973.

Export of Fruits during 1972

10101. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the value of fruits exported in the year 1972 indicating the names of the fruits exported as also the names of the countries to which exported and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(*b*) whether these fruits were exported by the producers themselves or through Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) A statement is attached. [Placed in Library See No. L. T. 5054/73].

(*b*) Exports were made directly both by the producers and exporters. The State Trading Corporation has also undertaken some exports.

Unrecoverable Loans Provided by Banks to Cooperative Institutions

10102. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of loan provided during the last three years by the Banks to the co-operative institutions which can not be recovered now ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatagi) : Information, to the extent possible, is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशों में भेजे गये उच्च शक्ति प्राप्त व्यापार शिष्टमंडल

10103. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कुल कितने उच्चशक्ति प्राप्त व्यापार शिष्टमंडल भेजे, और

(ख) उनके यात्रा भत्ते /महंगाई भतों और विभिन्न प्रकार के अन्य भत्तों पर सरकार ने कितना धनराशि खर्च की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 17

(ख) 2,80,977.77 रुपये ।

रसायनों और अन्य समवर्गी उत्पादों के निर्यात में कमी

10104. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान रसायनों और अन्य समवर्ती उत्पादों के निर्यात में कमी आ गई है;

(ख) क्या इस कमी के कारणों की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 में रासायनिक पदार्थों तथा संबंध उत्पादों के निर्यातों में गिरावट आई थी लेकिन वर्ष 1972-73 (अप्रैल-सितम्बर 1972) के दौरान पिछले दो वर्षों की उसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में निर्यातों में सुधार हुआ था ।

(ख) जी हां, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात में हुई गिरावट के कारणों की जांच की गई है । 1971-72 में निर्यातों में हुई गिरावट के मुख्य कारण हैं : आयातित कच्चे माल की कमी, कई मामलों में देसी कच्चे माल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक होना, भाड़ों में एकदम

वृद्धि, कागज तथा गत्ते की भारी घरेलू मांग, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से कड़ी प्रतियोगिता और कतिपय गन्तव्य स्थानों को अपर्याप्त पोत गमन।

(ग) निर्यात निष्पादन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने और रासायनिक व संबद्ध उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षित नीति संबंधी परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय में एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को निम्नोक्त सुविधाएं दी जाती हैं:

(1) निर्यातित उत्पादों में लगने वाले आयातित माल के बराबर आयात प्रतिपूर्ति;

(2) जहां आवश्यक हो नकद सहायता के रूप में प्रतिकर समर्थन;

(3) रेलवे भाड़ा रियायत; तथा

(4) सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्कों की वापसी।

इन कदमों के अच्छे परिणाम निकले हैं जैसा कि 1972-73 की पहली छमाही में निर्यातों में हुई वृद्धि से स्पष्ट है।

पांचवीं योजना की अवधि के लिये कपड़ा सम्बन्धी नीति बनाने हेतु कार्यकारी दल की नियुक्ति

10105. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि में कपड़ा सम्बन्धी नीति का ब्यौरा तैयार करने के लिए कपड़ा मिलें, विद्युतचालित करघे और हथकरघे का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी दल की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र नीति के ब्यौरे तैयार करने के लिए नियुक्त कार्यकारी दल/टास्क फोर्सों के मुख्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. वस्त्रों संबंधी कार्यकारी दल

(1) पांचवीं योजना के लिए समग्र लक्ष्य तथा वस्त्र उद्योग की सुनियोजित उत्पादन पद्धति का सुझाव देने के लिए;

(2) उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार करने के लिए ;

(3) कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए; और

(4) एक समुचित वितरण व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए।

2. हथकरघा उद्योग तथा शक्तिचालित करघा उद्योग संबंधी टास्क फोर्स

(क) विभिन्न ग्राम तथा लघु उद्योगों हेतु विकास कार्यक्रमों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति का विवेचनात्मक पुनरीक्षण करने के लिए;

(ख) 1974-75 से 1983-84 तक विभिन्न लघु उद्योगों के विकास को स्वरूप का सुझाव देने के लिए; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न लघु उद्योगों हेतु विकास कार्यक्रमों के लिए स्वरूप के आधार पर प्रस्थापनाएं तैयार करने के लिए।

3. **वस्त्र उद्योगों संबंधी टास्क फोर्स**

(1) विभिन्न वस्त्र उद्योगों (रूई, ऊन, मानव निर्मित रेशा) के वर्तमान स्तर का पुनरीक्षण करने तथा मांग, क्षमता और उत्पादन की प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए;

(2) मांग, क्षमता, उत्पादन, आयातों तथा निर्यातों के संदर्भ में चतुर्थ योजना के अन्त तक संभावित स्थिति का अनुमान लगाने के लिए;

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक वस्त्रों के विभिन्न समूहों के लिए मांग पद्धति का अनुमान लगाने के लिए;

(4) वस्त्रों के निर्यातों का अनुमान लगाने के लिए;

(5) छठी योजना के अन्त के समय के लिए वस्त्र उद्योगों का मोटे तौर पर स्वरूप तैयार करने के लिए;

(6) 1978-79 तक वस्त्र उद्योगों की समग्र क्षमता तथा समुचित उत्पादन पद्धति का सुझाव देने के लिए;

(7) उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति लाभकारी ढंग तथा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के बीच अतिरिक्त उत्पादन के वितरण का संकेत देने के लिए;

(8) वस्त्र उद्योगों में संकट की सीमा का आकलन करने तथा उनकी उत्पादिता तथा लाभप्रदता को सुधारने के उद्देश्य से अपेक्षित विभिन्न उपायों के संबंध में विचार करने के लिए;

(9) अतिरिक्त क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश का अनुमान लगाने के लिए;

(10) स्वदेशी तथा आयातित दोनों किस्म के कच्चे माल की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा उचित सप्लाइयां सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए;

(11) पांचवीं योजना अवधि के दौरान वस्त्र उद्योगों द्वारा प्रदान किये जाने वाली संभावित रोजगार संभाव्यताओं का आकलन करने के लिए;

(12) देश में प्रोसैस, डिजाइन, इंजीनियरी तथा परामर्शी सुविधाओं के वर्तमान स्तर का एक व्यापक पुनरीक्षण करने और उत्पादन तथा निर्यातों के कार्यक्रम के अनुसार ऐसी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने के लिए;

(13) वस्त्र उद्योगों द्वारा अपेक्षित उपस्करों हेतु विनिर्माण सुविधाओं के संबंध में स्थिति का पुनरीक्षण करने तथा घरेलू सप्लाइयां अधिकाधिक बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए ;

(14) वस्त्र उद्योगों में गवेषणा तथा विकास कार्यकलापों के वर्तमान स्तर का आकलन करने तथा वस्त्र उद्योगों के सतत विकास को सहायता प्रदान करने तथा उसे बनाये रखने के प्रयोजनार्थ आवश्यक गवेषणा तथा विकास के लिए विशिष्ट स्कीम तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए; और

(15) बिजली, ईंधन तथा परिवहन सुविधाओं के संदर्भ में वस्त्र उद्योगों की अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं की मोटे तौर पर जानकारी देने के लिए।

2. वस्त्रों संबंधी कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

हथकरघा उद्योग संबंधी टास्क फोर्स ने भी अपना प्रतिवेदन ग्राम तथा लघु उद्योग संबंधी संचालन दल को प्रस्तुत कर दिया है, जिसने कि टास्क फोर्स को नियुक्त किया था।

शक्तिचालित करधा और वस्त्र उद्योगों संबंधी टास्क फोर्सों द्वारा अपने प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों की भारतीय व्यापारियों को बिक्री

10106. **श्री आर० के० सिन्हा**
श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विदेशी स्वामित्व वाले कितने चाय बागानों को भारतीय व्यापारियों को बेचे जाने की अनुमति दी गई;

(ख) क्या इन चाय बागानों में से कोई चाय बागान एकाधिकार गृहों के हाथ में आ गया है; और

(ग) क्या इन चाय बागानों के श्रमिकों ने बिक्री सम्बन्धी प्रस्तावों के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है और चाय बागानों को स्वयं खरीदने की पेशकश की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विदेशी स्वामित्व वाले उन चाय बागानों की संख्या नीचे दी गई है, जो गत तीन वर्षों में भारतीय व्यापारियों द्वारा खरीदे गये थे तथा जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई थी :

1970	12
1971	13
1972	9

(ख) पांच मामलों में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार खरीदारों का सम्बन्ध बड़े औद्योगिक गृहों से जोड़ा जा सकता है।

(ग) सरकार के पास कुछ मामलों में बिक्री-प्रस्तावों के विरुद्ध श्रमिकों की ओर से अभ्यावेदन आए हैं किन्तु विक्रेताओं के साथ बातचीत के बाद श्रमिकों की ओर से सरकार के पास विचारार्थ कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं आया है।

हांगकांग के साथ व्यापार का परिणाम

10107. **आर० के० सिन्हा**
श्री सतपाल कपूर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांगकांग के साथ इस समय कितने परिणाम में व्यापार होता है और गत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यापार में इसकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय माल के निर्यात ढांचे की जांच की है और यदि हां, तो क्या भविष्य में इसमें विस्तार की कोई गुंजाइश है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हांगकांग में बड़े पैमाने पर निर्माण सम्बन्धी कार्य होने के कारण भारत से संरचना इस्पात, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाला सामान रोलिंग स्टाक और हांगकांग के बाजार में बिक्री के लिए अथवा पुनः निर्यात करने के लिए इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात में काफी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं; और यदि हां, तो इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हांगकांग के साथ व्यापार का परिमार्ण वर्ष 1969-70 में 13.72 करोड़ रुपये, वर्ष1 970-71 में 18.01 करोड़ रुपये, 1971-72 में 18.00 करोड़ रु० तथा वर्ष 1972-73 के छ: महीनों (अप्रैल-सितम्बर) में 10.14 करोड़ रु० मूल्य का था ।

(ख) तथा (ग) जी हां। संभवत: रेलवे रोलिंग स्टाक के सिवाय, भारत से हांगकांग को निर्यातों में विस्तार होने की गुजाइश है। हांगकांग को निर्यात बढ़ाने के संबंध में किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : (1) विशेष 'भारत सप्ताह' प्रदर्शनी आयोजित करना; (2) राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण पर हांगकांग व्यापार विकास परिषद् के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल का भारत का दौरा, (3) निर्यात संभाव्यता वाली मदों का पता लगाने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् अध्ययन दल का हांगकांग का दौरा; (4) राज्य व्यापार निगम का छोटा सा कार्यालय खोला जाना; (5) राज्य व्यापार निगम (सुदूरपूर्व) की स्थापना करना, जिसमें भारतीय राज्य व्यापार निगम ने और चीनी एवं भारतीय उद्भव के प्रमुख हांगकांग व्यापारियों ने बराबर-बराबर शेयर लिये हैं। वाणिज्यिक जानकारी, निविदा सूचनाओं आदि का प्रचार किया जा रहा है और निर्यातकों को हांगकांग में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

बाजार से ऋण लेने के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई अनुमति

10108. श्री आर० के० सिन्हा
श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों में वर्षवार बाजार से कितनी ऋण लेने की अनुमति दी गई ; और

(ख) इस बारे में भारत सरकार के इस निर्णय के लिए कौन-कौन से सिद्धान्तों को आधार बनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) बाजार-ऋण, बाजार की विद्यमानस्थिति, राज्यों की आवश्यकता और बकाया ऋणों परिपक्वता का ध्यान रखते हुये राज्यों को आवंटित किये जाते हैं।

विवरण

1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बाजार ऋण (सकल)
(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	1970–71	1971–72	1972–73
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	13.20	14.24	22.65
2. असम	4.13	6.88	4.97
3. बिहार	5.52	6.88	13.20
4. गुजरात	17.61	14.06	13.80

1	2	3	4
5. हरियाणा	4.96	6.07	8.25
6. हिमाचल प्रदेश .	—	—	1.11
7. जम्मू और कश्मीर . .	—	—	2.20
8. केरल .	6 60	8 54	7 73
9. मध्य प्रदेश	7.70	11.10	9.91
10. महाराष्ट्र	21.22	19.84	21.78
11. मणिपुर . .	—	—	1.10
12. मेघालय . .	—	—	1.10
13. मैसूर .	11.58	11.01	15.69
14. नागालैण्ड	—	—	1.11
15. उड़ीसा	6.64	7.76	9.36
16. पंजाब	5.82	6.63	6.94
17. राजस्थान	6.62	8.02	18.46
18. तमिल नाडु	18.20	21.47	22.10
19. उत्तर प्रदेश .	15.16	17.33	21.72
20. पश्चिम बंगाल . . .	12.10	15.67	14.33
जोड़	157.06	175.50	217.50

Import of Synthetic Clothes from Nepal

10109. Shri Dhan Shan Pradhan : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) whether synthetic clothes are being imported into India inspite of levy of customs duty on the goods imported from Nepal; and

(*b*) if so, the efforts made by Government to prevent the import of synthetic clothes in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) No, Sir. However, a few consignements of unprocessed synthetic fabrics manufactured in Nepal, have been permitted to be brought into India for processing and return to Nepal, on execution by the importers of a bond with a bank guarantee or insurance cover. Some stray cases of smuggling from Nepal of synthetic fabrics of third country origin have also come to notice.

(*b*) The following steps have been taken to prevent smuggling of goods including synthetic fabrics from Nepal :—

(*i*) In January 1969, 27 mobile preventive parties—14 in Bihar and 13 in Uttar Pradesh-were set up under the supervisory control of Assistant Collectors. Preventive measures were further intensified in 1970 and 1971 and now 53 mobile preventive parties are operating on the Indo-Nepal border and 28 parties in the cities near the border. Staff at the 22 Land Customs Stations has also been strengthened;

(*ii*) One post of Collector of Customs (Preventive) has been created with headquarters at Patna for supervising the customs work relating to Indo-Nepal trade and anti-smuggling measures on this border;

(*iii*) A number of jeeps have been provided to make the staff more mobile and effective;

(*iv*) The man-power in the preventive parties has been increased. The staff is being armed to resist the armed smugglers operating on the Indo-Nepal Border;

(*v*) Close liasion is being maintained with the State authorities on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods from Nepal;

(vi) The matter had also been taken up with His Majesty's Government of Nepal. The situation is being reviewed constantly to take suitable measures to Prevent the smuggling.

Proposal to set up a Tourist Centre in Champaran (Bihar)

10110. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether lakhs of people from India visit Kathmandu on the occasion of Maha Shivaratri festival as also generally; and

(*b*) if so, whether Government propose to set up a tourist centre in Champaran (Bihar) for their convenience ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) Yes, Sir. A large number of people from India visit Kathmandu during Mahashivaratri.

(*b*) Due to constraint on resources and other priorities Government are not in a position at present to include investments in this area in the Central Plan for tourism development. It is for the State Government to consider whether, as part of their Fifth Plan, facilities should be created in Champaran for such visitors.

Central Debt outstanding against States

10111. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the amount of Central debt outstanding against different States of Indian Union as on 18th April, separately; and

(*b*) whether Government propose to write off the said debt ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) The accounts of Government are kept on annual basis and, consequently, it is not possible to furnish the figures of States' debt liability to Centre as on 18th April, 1973. The States' debt liability to the Centre as at the end of 1971-72 was as follows :—

State	Amount outstanding
	(Rs. in crores)
1. Andhra Pradesh	572
2. Assam	307
3. Bihar	610
4. Gujarat	268
5. Haryana	169
6. Himachal Pradesh	94
7. Jammu & Kashmir	253
8. Kerala	265
9. Madhya Pradesh	401
10. Maharashtra	507
11. Manipur	26
12. Meghalaya	1
13. Mysore	326
14. Nagaland	20
15. Orissa	416
16. Punjab	220
17. Rajasthan	565
18. Tamil Nadu	339
19. Tripura	34
20. Uttar Pradesh	709
21. West Bengal	602

(*b*) No such proposal if under consideration of Government at present.

Setting up of a Jute Mill in Champaran District (Bihar)

10112. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to set up a jute mill in Champaran District (Bihar) ;

(*b*) whether there are 9 sugar mills in the said area and large number of bags are required for consumption; and

(*c*) the time by which a decision would be taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) to (*c*). The Central Government have agreed to consider the question of setting up one new jute mill in Bihar State. The State Government have recommended the application of the Bihar State Industrial Development Corporation for setting up a jute mill in a suitable place in Kishanganj Tehsil of Purnea District. The State Government must have taken into account all factors while selecting the site for the proposed mill. The Central Government have no proposal to sanction any more jute mill for Bihar State.

फ्रांस के साथ व्यापारिक समझौते का नवीकरण

10113. श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के साथ हुए व्यापारिक समझौतों का नवीकरण 1973 तक कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार और आर्थिक सहयोग के मामले में 1959 के मूल व्यापारिक समझौते में किस सीमा तक वृद्धि की गई है और उसमें क्या-क्या विविधताएं लाई गई हैं ; और

(ग) व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये भावी योजना क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। फ्रांस के साथ हुए व्यापार प्रबंध की अवधि 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) तथा (ग). इस व्यापार प्रबंध को बढ़ाने वाले संलेख में ये शामिल हैं : भारत-फ्रांस का वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन (जिसका उद्देश्य कतिपय अभिज्ञात उत्पादों में, जहां आवश्यक हो उपयुक्त आशोधनों/अनुकूलनों के साथ, व्यापार बढ़ाना है), भारत के कतिपय चुने हुए क्षेत्रों में फ्रांसिसी औद्योगिक सहयोग बढ़ाना तथा परामर्शी सेवाओं सहित चुने हुए क्षेत्रों में तृतीय देशों में भारत-फ्रांसीसी औद्योगिक सहयोग/भारत सरकार की विधियों तथा नीतियों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने/विविधीकरण करने के हित में। इनके संबंध में और आगे कार्यवाही की जाएगी।

उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण वाले स्थानों के नाम

10114. श्री गिरधार गोमांगो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण वाले स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस समय उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों से कितनी वार्षिक आय होती है और उन पर कितना व्यय होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन रुचि के स्थानों की कोई विशेष सूची नहीं रखी जाती, क्योंकि ऐसे केन्द्रों का विकास उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आकर्षणों

से संबंधित एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । उड़ीसा में वे स्थान जहां केन्द्रीय सरकार अथवा संयुक्त रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अब तक पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है ये हैं :—कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी, रूरकेला, हीराकुद तथा रम्भा ।

(ख) पर्यटन से होने वाली आय की संगणना स्थानवार आधार पर नहीं की जाती है । केन्द्रीय क्षेत्र में दो यात्री लाज—भुवनेश्वर तथा कोणार्क दोनों में एक-एक भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं । वर्ष 1972-73 के लिए इन लाजों पर हुआ व्यय तथा उनसे हुई आय नीचे दिए गए हैं :—

यात्री लाज भुवनेश्वर		यात्री लाज कोणार्क	
व्यय	आय	0.34*	0.11*
(लाख रुपयों में)			
1.25*	1.61*		

*(आंकड़े अनंतिम हैं तथा इनकी लेखा-परीक्षा होनी है)

उड़ीसा के पर्यटन विभाग द्वारा एक बुद्ध मन्दिर छम्भ कीर्ति और एक हिन्दू मन्दिर को सुरक्षित रखना

10115. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का पर्यटन विभाग उड़ीसा के गुनपुर सब-डिवीजन में पदमपुर के निकट एक बुद्ध मन्दिर छम्भ कीर्ति की उपेक्षा कर रहा है और पर्यटकों के आकर्षण के लिये इसका विकास करने तथा इसको सुरक्षित रखने की ओर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या इस बुद्ध मन्दिर के निकट पत्थरों से बना एक हिन्दू मन्दिर भी, जिसमें प्राचीन कलाकृतियां हैं, अभी तक उपेक्षित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग), प्रश्न में उल्लिखित मंदिर केन्द्र द्वारा अभिरक्षित स्मारक (प्रोटेक्टेड मान्यूमेंट) नहीं है ।

चिल्का लेक (उड़ीसा) में "परिकुडो गाडा" तथा कालीजय मन्दिर का पर्यटक-केन्द्रों के रूप में विकास

10116. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चिल्का लेक में "परिकुडो गाडा" नामक एक द्वीप है तथा चिल्का लेक (उड़ीसा) के बीच में एक प्रसिद्ध "कालीजम मन्दिर" है जो कि ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इन स्थानों को पर्यटक-केन्द्रों की सूची में शामिल किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर्यटकों की परिवहन-सुविधा के लिये कितनी स्टीम-बोट उपलब्ध कराई गई हैं; और यदि नहीं, तो इस द्वीप पर पहुंचने के लिये अन्य कौन सा सम्भव तथा सरल परिवहन साधन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) : पर्यटन विभाग को इस द्वीप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और न ही इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार की इसका विकास करने की कोई योजनाएं हैं ।

भारत बर्मा व्यापार में गिरावट

10117. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 12 महीनों के दौरान भारत-बर्मा के बीच व्यापार में गिरावट आई है; और

ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बर्मा में विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति ने उसे सभी स्रोतों से अपने आयातों में कमी करने को बाध्य कर दिया है । इसका बर्मा को भारत के निर्यातों पर भी प्रभाव पड़ा है ।

जहां तक भारत को बर्मा से होने वाले निर्यातों का संबंध है, उनमें प्रमुख वस्तु चावल ही हुआ करती थी जो कि 1971-72 में भारत को किये गये कुल निर्यातों का 75% थी । इस देश में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए उत्पादन के फलस्वरूप, स्वभावत: बर्मा से भारत में किये जाने वाले चावल के आयातों में गिरावट आती जा रही है ।

एशियाई विकास बैंक की बैठक में भारत द्वारा भाग न लिये जाने का प्रभाव

10118. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री द्वारा एशियाई विकास बैंक के बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा को रद्द कर दिये जाने के कारण भारत ने आगामी वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक की अध्यक्षता खो दी है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्री महोदय द्वारा अपने प्रस्ताव को अन्तिम समय पर रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । वित्त मंत्री जो भारत की ओर से बोर्ड के गवर्नर हैं, अप्रैल, 1973 में मनीला में एशियाई विकास बैंक की छठी वार्षिक बैठक में वर्ष 1973-74 के लिए बैंक के गवर्नरों के बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये थे ।

(ख) वित्त मंत्री ने अपनी विदेश यात्रा इसलिए रद्द कर दी थी, कि संसद में विनियोग विधेयक और वित विधेयक के अवसर पर उनकी उपस्थिति आवश्यक थी ।

रुई के धागे के मूल्य और वितरण पर सांविधिक नियंत्रण

10119. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के धागे के मूल्य और वितरण पर साँविधिक नियंत्रण के कार्यकरण के बारे में नियुक्त पुर्नविलोकन समिति की पहली ही बैठक में इस बात को सामने लाया गया कि 350 रुई मिलों ने 'टैक्सटाइल कमिश्नरों' के निदेशों की अवहेलना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन मिल मालिकों के विरुद्ध सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) . 14 मार्च 1973 को, अर्थात् सूत की कीमतों तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण लगाने के तुरन्त बाद, वस्त्र आयुक्त ने सभी वस्त्र मिलों से अप्रैल/जून 1973 के दौरान विभिन्न काँउटों के अपने उत्पादन कार्यक्रम से संबंधी जानकारी देने के लिए कहा था। 10 अप्रैल, 1973 तक लगभग 350 मिलों के उत्तर उन्हें नहीं मिले थे। वस्त्र आयुक्त द्वारा दोषी मिलों को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि जानकारी न देने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। 12 मिलों को छोड़कर सभी दोषी मिलों ने अब वस्त्र आयुक्त को जानकारी दे दी है और उन्होंने 12 दोषी मिलों पर मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त कदम उठा लिये हैं।

ब्रिटेन के औद्योगिक एककों का भारत में स्थानांतरण

10120. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिंदुस्तान टाइम्स", दिनाँक 18 अप्रैल, 1973 में यू० के० इंडस्ट्रीज में "शिफ्ट सम यूनिटस टू इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या बरमिंघम चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रायोजित मिशन का कार्य सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों के साथ भारत में तकनीकी सहयोग के लिये मौके पर बातचीत करना था; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार को, प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई किसी सुनिश्चित प्रस्थापना की जनाकारी नहीं है।

कपड़े की कमी को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

10121. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 3 अप्रैल, 1973 के "हिंदुस्तान स्टैंडर्ड" में "क्लाथ फैमिन पियर्ड" (कपड़े की कमी की आशंका, शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को, वस्त्र उद्योग में चल रही स्थिति की पूरी तरह जानकारी है और वह जब कभी भी आवश्यक होगा स्थिति का सामना करने के लिये समुचित कार्यवाही करेगी।

उड़ीसा में उद्योगों/व्यक्तियों की ओर आयकर की बकाया राशि

10122. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योगपतियों और एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले वर्ग की ओर 31 मार्च, 1973 तक आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी।

(ख) श्री बीजू पटनायक की ओर उनके नाम से अथवा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से अथवा उनकी फर्म के नाम से या कम्पनी के नाम से कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) उसे वसूल करने के लिये अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उनका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन निर्धारितियों का वर्ष 1972-73 में 1 लाख रु० से अधिक की आय पर कर-निर्धारण किया गया उनके संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) श्री बीजू पटनायक तथा उसके द्वारा नियंत्रित विभिन्न कम्पनियों की तरफ 15 फरवरी, 1973 को करों की बकाया राशि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1. श्री बीजू पटनायक	27.76
2. मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लि०	30.16
3. मेसर्स कलिंग पब्लिकेशन्स	0.82
4. मेसर्स कलिंग इंडस्ट्रीज लि०	5.60
5. मेसर्स कलिंग कंस्ट्रक्शन्स (प्रा०) लि०	7.47
6. मेसर्स बी० पटनायक ऐंड कं० (प्रा०) लि०	0.07
7. मेसर्स कलिंग एयर लाइन्स (प्रा०) लि०	4.90
8. मेसर्स बी० पटनायक माइंस (प्रा०) लि०	4.44
	81.22

बकाया के मुख्य-मुख्य कारण ये हैं :—

(i) पटनायक समूह के मामलों में 60 रिट-याचिकायें अनिर्णीत पड़ी हैं, जिनमें से अधिकतर याचिकायें नोटिस तामील करने और मांगों की वसूली के विरुद्ध हैं।

(ii) विभिन्न अपीली प्राधिकरणों, जिनमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, द्वारा वसूली स्थगित रखी गयी है ।

(iii) विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों-अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष मांग के विरुद्ध अपील की गई है।

(iv) कुछ कम्पनियों ने अपना काम बन्द कर दिया है।

(v) एक कम्पनी परिसमाप्त हो गई और उसकी कोई परिसम्पत्तियां नहीं है।

विभाग, बकाया के विभिन्न मामलों तथा कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिये संगठित प्रयास करता रहा है किंतु किसी न किसी कारण से स्थिति में संतोषजनक सुधार लाना संभव नहीं हो पाया है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा तथा दायर की गई रिट-याचिकाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में कर निर्धारण रुके पड़े हैं:—

अंतिम स्थिति निम्नानुसार है :—

(i)	वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या	30
(ii)	उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञाओं के कारण रुके कर-निर्धारणों की संख्या	29

श्री पटनायक के परिवार के सदस्यों और उनकी फर्मों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) बकाया कर को वसूल करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं और किए जा रहे हैं:—

(i) रिट याचिकाओं के मामले में, उच्च न्यायालय के सम्मुख जवाबी हलफनामें दायर करने के लिये विभाग द्वारा तेजी से कार्यवाही की जा रही है, ताकि शीघ्र ही उच्च न्यायालय द्वारा मामलों को हाथ में लिया जा सके।

(ii) बड़ी मांगों वाली अपीलों के बारे में अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना बारी के अपीलों पर सुनवाई करें।

(iii) वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

(iv) कुछ बकाया के बारे में जमानत ली गयी है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

उड़ीसा में गोपालपुर को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित करना

10123. श्री डी० के० पंडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर को छोटे पत्तन के रूप में विकसित करने संबंधी निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार पर्यटकों को और अधिक सुविधायें दे कर और वहां सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और 'रेस्ट शेड्ज' खोलकर इसे बेहतर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण फिलहाल सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये केंद्रीय सेक्टर में कोई धन विनियोजन करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, राज्य सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या उनकी पांचवीं योजना के अन्तर्गत गोपालपुर में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित की जा सकती है।

समुद्रतट स्थित गोपालपुर में निजी क्षेत्र में एक होटल कई वर्षों से चल रहा है ।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन

10124. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम द्वारा अपनाई गई रूई की खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

घरेलु उपयोग के विद्युत् उपकरणों के मूल्य पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रभाव

10125. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मार्च, 1973 के पिछले दो सप्ताहों में घरेलु उपयोग के विद्युत् उपकरणों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसका कारण उत्पादन शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देना है ;

(ख) क्या बिजली के पखों, फ्लोरेसेन्ट ट्यूबों और लैम्पों में मिली जुली प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : दिल्ली के बाजार में घरेलु उपयोग के कतिपय विद्युत् उपकरणों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । परन्तु, यह उल्लेखनीय है कि घरेलु उपयोग के विद्युत् उपकरण जैसी वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ता मूल्य, तैयार उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि पर ही नहीं अपितु ताम्बा, स्टेनलेस स्टील की चादरों तथा अन्य कच्चे माल पर लगाये जाने वाले आयात शुल्क में वृद्धि पर भी निर्भर करते हैं । 1973 के बजट में, बिजली के पंखों, फ्लोरेसेन्ट ट्यूबों, तथा लेम्पों पर उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई और दिल्ली में इन वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है ।

दिल्ली की एक फर्म के सहयोग से कुवैत में स्याही का उत्पादन करने वाले कारखाने की स्थापना

10126. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की एक फर्म ने कुवैत में स्याही का उत्पादन करने के एक कारखाने की स्थापना में सहयोग देने का निर्णय किया है, जिसे भारत से निर्यात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) - इस मामले की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

Assessment of Value of Movable and Immovable Property of Alab-E-Malak Badar Trust, Nagpur

10127. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated value of movable and immovable property of 'Alab-E-Malak Badar Trust', Nagpur, at present, according to the assessment made by Government ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : No regular assessment of the net wealth (movable and immovable property) of 'Alab-E-Malak Badar Trust', Nagpur, has so far been made by the Income-tax Department. The value of immovable properties declared in the latest wealth-tax return filed by the Trust is Rs. 3,59,040/-. The Trust has not indicated in the returns the value of movable property.

कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा कपड़े के एक व्यापारी के मकान और दुकान पर छापा मारना

10128. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री आर० वी० बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अप्रैल, 1973 के पैट्रियट में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कानपुर में नौगढ़ क्षेत्र में आयकर अधिकारियों ने कपड़े के एक थोक व्यापारी के निवास स्थान, दुकान और गोदाम पर छापा मारा और कई लाख रुपये की बिना लेखे जोखे की नकदी, स्वर्ण बिस्कुट, जेवरात और कपड़ा जब्त किया;

(ख) क्या कई पुस्तकें भी जब्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) तलाशी के परिणामत: मेसर्स राम गोपाल गुप्त, कानपुर, से निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गई ;

नकदी	4,44,488 रु०
जवाहरात	4,470 रु०
हुंडियां	2,50,000 रु०

35,800 रु० के सोने के दस बिस्कुट मिले, जिन पर स्विटजरलैंड की मुहर लगी थी और इन्हें सीमाशुल्क प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया.। माल गोदाम को जिसमें 2.7 लाख रु० मूल्य का कपड़े का लेखाबाह्य स्टाक था, सील करने के बाद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अधीन निषेधाज्ञा जारी की गई । जांच पड़ताल जारी है और कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अगली कार्यवाही की जाएगी ।

Financial Assistance to Hotel Industry in Bihar Under Hotel Development Loans

10129. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(*a*) the number of hotel industries in Bihar which were given financial assistance in the form of loans during 1917-72 under the Hotel Development Loans Scheme operated by the Department of Tourism indicating the amount of such assistance given to them; and

(*b*) the amount in the form of loans given in the said state during 1972-73 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) and (*b*). No loan has so far been given for an hotel project in Bihar State under the Hotel Development Loan Scheme.

Tourist Service Centres (Parytak Sewa Kendra) in the Country

10130. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) the number of total tourist service centres (Parytak Sewa Kendra) in the country, State-wise; and

(*b*) the names of the places where new tourists Service Centres (Parytak Sewa Kendra) are likely to be set up during 1973-74 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) & (*b*) : The central Department of Tourism has 12 tourist offices located at Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Agra, Aurangabad, Cochin, Jaipur, Jammu, Khajuraho, Srinagar and Varanasi to disseminate tourist information and assist tourists generally. The State Governments also have tourist information offices at various places. During the current Plan the central Department of Tourism has a scheme to put up tourist reception centres-cum-motels at Jaipur, Varanasi, Agra, Patna, and Simla. The units at Jaipur and Varanasi are under construction and will be completed during the current financial year.

The tourist reception centres-cum-motels, in addition to a few residential rooms, will have an information counter for dissemination of information about tourist centres in India and in particular detailed information of tourist spots in the immediate vicinity, a counter for air, rail and road reservations, a book stall, souvenir/curio shop, handicrafts showroom and shop, facilities for left luggage and for money-changing, a restaurant/cafetaria, besides toilet, wash room and telephone facilities.

Languages in which Tourist Publicity Material is sent abroad

10131. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether tourist publicity material is sent in Hindi to such countries where people have good knowledge of Hindi and if not, the reasons therefor; and

(*b*) the language policy adopted in preparation of the tourist publicity material ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (*a*) Yes, Sir, some literature has been produced in Hindi.

(*c*) For promoting international tourism we need literature in the language of the visitors. We have so far produced tourist literature in English, French, German, Italian, Spanish, Japanese and Thai languages. As the traffic increases, we may consider producing literature in other foreign languages.

Issue of Licences in Hindi Language by Central Excise Department

10132. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the number of licences and permits issued by the Central Excise Department in Hindi Language in Hindi Speaking areas during the last three years according to the provisions of Official Language Act and the reasons for which the remaining ones were not issued in Hindi; and

(*b*) the arrangements proposed to be made in this regard in future ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (*a*) and (*b*). The information is being collected and will be laid on the table of the house as soon as possible.

Licences by Chief Controller of Imports and Exports

10133. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the total number of licences and permits issued by the Chief Controller of Imports and Exports in the year 1972;

(*b*) the number, out of them, issued in Hindi; and

(*c*) the reasons for which the remaining licences and pemits were not issued in Hindi in accordance with the provisions of Official Languages Act and further arrangements proposed to be made in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) Particulars of all import licences, Customs Clearance Permits, release orders and export licences are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", copies of which are regularly supplied to the Parliament Library.

(*b*) Nil.

(*c*) If any applicant requests for licences to be issued in Hindi, the same will be duly considered. However, it may be stated that arrangements for printing the licence forms in bilingual (*i. e.* Hindi and English) have already been made.

Newspapers and Periodicals made available to Air Travellers by Indian Airlines

10134. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) the names of the newspaper and periodicals which are made available to air-travellers during the journey in the country and the number of copies thereof separately, which are purchased by Indian Airlines;

(*b*) the names of the places from where these newspapers and periodicals are published as also the names of languages in which these are published; and

(*c*) whether newspapers published from the Capital and those published in English are given special preference and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr, Karan Singh) : (*a*) & (*b*) : The requisite information is given in the attached statement (Placed in Library See No. L.T. 5055/73).

(*c*) No, Sir.

सोवियत संघ तथा चैकोस्लोवाकिया को निर्यात में कमी

10135. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ तथा चकोस्लोवाकिया को हमारे निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोइंग विमानों की उड़ान के समय कम्पन के कारण रक्तचाप बढ़ जाने संबंधी शिकायतें

10136. **श्री डी० वी० चन्द्र गोडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि बोइंग विमानों की उड़ान के समय कम्पन के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : इसका कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठगा ।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार

10137. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारत ने कितने प्रतिशत निर्यात किया ; और

(ग) अमरीका द्वारा इस समय किये जा रहे कुल आयात में भारत के भाग की प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1972 में अमरीका द्वारा किये गऐ कुल आयातों में भारत का भाग 0.8 प्रतिशत रहा।

पश्चिम बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता

10138. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को राज सहायता अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न देने के क्या कारण हैं जब कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में दी गई है ;

(ख) क्या मंत्रालय का इस भेदभाव को दूर करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग)—हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में वरजिनिया फल क्योर्ड तम्बाकू के विकास के लिये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत भारत सरकार आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में तम्बाकू उपजकर्ताओं को कुछ मदों की लागत पर इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है। पश्चिम बंगाल में योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सिगार रेपर तम्बाकू के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में तम्बाकू उपजकर्ताओं को शोधन-सह-भंडारण कमरों के विनिर्माण पौध, कीट नाशक औषधियों धूम्रशोधन आदि की लागत पर इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता पहले से ही उपलब्ध करायी जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में तम्बाकू उत्पादकों के लिये वित्तीय सहायता

10139. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य तम्बाकू उत्पादकों को जो व्यापारिक फसल उगाते हैं, तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल को भारी उत्पादन शुल्क देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं जहां तम्बाकू उत्पादकों को मिलने वाले बहुत से प्रोत्साहन नहीं दिये जाते, राज सहायता ऋण और अन्य वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(क) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा पश्चिम बंगाल और कूच बिहार जिले को पृथक-पृथक गत तीन वर्षों में अब तक कितना ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नये क्षेत्र में वर्जीनिया फल क्योर्ड तम्बाकू के विकास के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना को आंध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रियान्वत किया जा रहा है और महाराष्ट्र बिहार, और उड़ीसा राज्यों में अन्वेषमात्मक परीक्षण किये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं और राजसहायता अधोलिखित है :—

मद	राज सहायता की दर
1. पौधे	50 प्रतिशत अधिकतम 20 रुपये प्रति एकड़ के हिस्से
2. कृमि नाशक पदार्थ	10 रुपये प्रति एकड़
3. खत्तों का निर्माण	1250/ रुपये प्रति खत्ता
4. कुओं का निर्माण	1500/— प्रति कुआं
5. छिड़काव द्वारा सिंचाई	2500/— रुपये प्रति एकड़
6. तराई	50 रुपये प्रति एकड़
7. हाथ से चलने वाले छिड़काव यन्त्र	50 रुपये प्रति यंत्र

सिगार रैपर तम्बाकू के विकास की एक और केंद्रीय योजना पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्दरी के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधायें और राज सहायता इस प्रकार है :—

मद	राज सहायता की दर
1. तराई खत्तों एवं भंडार गृहों का निर्माण	400 रुपये प्रति एकड़
2. पौधे	50 रुपये प्रति एकड़
3. कृषि नाशक पदार्थ	50 रुपये प्रति एकड़
4. धुआं देना	75 रुपये प्रति एकड़

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 0.78 लाख रुपये की कुल राशि दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण में कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना

10140. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिनांक 17 अप्रैल, 1973 के "हिंदुस्तान स्टेन्डर्ड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को नोट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कुछ कर्मचारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में उन्हें काम पर लगाये जाने की मांग करते हुए और अपनी "यूनियन" की ओर से अन्य मांगों को लेकर धरना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आयें लोगों की सेवाओं को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग) : भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर गये हुये नागर विमानन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता और बम्बई में भूखहड़ताल की । उनकी मांगें थीं कि हाल ही में गठित किये गये 'भारत अन्तर्राष्ट्री विमानत्तन' प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन' को मान्यता प्रदान की जाये और प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों को प्राधिकरण में खपा लिया जाये। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि नागर विमानन विभाग के समस्त कर्मचारियों के प्रति न्याय की दृष्टि से ऐसे कर्मचारियों के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खपाये जाने का काम सर्वथा उनकी विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठता के अनुसार होगा, और उसी आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

पंजाब को वित्तीय सहायता

10141. श्री सतपाल कपूर :

श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक सहायता देने के लिये पंजाब सरकार ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में, पंजाब को अधिक वित्तीय सहायता मिलती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

वित्तीय नीतियों का सरकारी उपक्रमों पर प्रभाव

10142. श्री डी० डी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों की लाभप्रदता पर कर नीतियों के प्रभाव का पता लगाने के विचार से वित्तीय नीतियों के सरकारी उपक्रमों पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के संबंध में भी उसी प्रकार का अध्ययन करने का है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) : इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

यू० एस० ट्रेड आब्जेक्टिव फेल्ड सेज एडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10143. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 29 मार्च, 1973 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में "यू० एस० ट्रेड आब्जेक्टिव फेल्ड, सेज एडी (राष्ट्र संघ का व्यापार लक्ष्य असफल–सहायक का कथन)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें युनाईटेड स्टेट इन्फार्मेशन एजेंसी के आर्थिक सलाहकार श्री विलियम जे० हज्जोक्को द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि भारत और अन्य विकासशील देशों के लिये यह अच्छा होगा कि वे अपनी व्यापार नीति, पूंजीवाद-विनियोग नीति और मुद्रा-नीति में उचित तालमेल रखें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : सरकार, अपनी विकास योजनाओं के लिये नीति ढांचे के रूप में एकीकृत व्यापार विनिधान तथा मुद्रा नीति का पहले ही अनुसरण कर रही है ।

"एशियन क्लीयरिंग यूनियन" के गठन में विलम्ब

10144. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एशियन क्लीयरिंग यूनियन" के गठन में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या इस "क्लीयरिंग यूनियन" को 19 अप्रैल, 1973 को अस्तित्व में आना था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह विलम्ब कुछ एशियाई देशों के रुख के कारण हुआ है; और

(घ) इसका गठन कब तक होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया और दूरपूर्व संबंधी आर्थिक आयोग द्वारा बैंकाक में 23 फरवरी से 28 फरवरी 1973 तक आयोजित अधिकारियों की एक बैठक में एशियाई शोधन संघ (एशियन क्लीयरिंग यूनियन) के गठन के लिये कार्यचालन करार के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया था । टोकियों में 11 अप्रैल से 23 अप्रैल 1973 तक हुए संयुक्तराष्ट्र संघ के एशिया और दूरपूर्व संबंधी आर्थिक आयोग के वार्षिक अधिवेशन में एशियन क्लीयरिंग यूनियन की स्थापना का औपचारिक रूप से अनुमोदन कर दिया गया था । अब तक केवल दो देशों अर्थात श्रीलंका और ईरान ने करार पर हस्ताक्षर किये हैं । तीन अन्य देशों अर्थात, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इस संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में आवश्यक संशोधन हो जाने के पश्चात् भारत का भी संघ में शामिल होने का इरादा है । एशियन क्लीयरिंग यूनियन के गठन से संबंधित करार पर कम से कम पाँच देशों द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने पर यह करार लागू हो जायगा ।

पंजीकृत निर्यातकों द्वारा नमूनों के आयात के लिए और निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी करना

10145. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात, निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी करने और पंजीकृत निर्यातकों द्वारा नमूनों के आयात संबंधी आवेदनपत्रों पर विचार करने की प्रतिक्रिया निर्धारित कर ली है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : पूंजीगत माल के आयात के लिये लाइसेंस, निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस तथा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा नमूनों के आयात के लिये लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने तथा उनकी प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया "इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पालिसी (रेड बुक खंड-II) फार अप्रैल, 1973–मार्च, 1974" तथा "इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल हैंड बुक आफ रूल्स एंड प्रोसिजर, 1973–74" में दी गई है, जिनके बारे में वाणिज्य मंत्रालय पब्लिक नोटिस संख्या 46-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 तथा 47-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनाँक 2 अप्रैल, 1973 के अधीन अधिसूचित किया गया था।

अखिल भारतीय शान्ति और एकता संगठन से आयकर की वसूली

10146. श्री एच० एम० पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका-एशिया एकता परिषद् और अखिल भारतीय शांति परिषद् (जो अब अखिल भारतीय शांति और एकता संगठन के नाम से जानी जाती है) को दान, हवाई यात्रा टिकटों आदि के लाभ से लाखों रुपयों की आय होती है;

(ख) क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस आय पर कर लगने चाहिये;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं की आय क्या थी और उस आय पर यदि कोई आय कर अदा किया गया, तो कितना; और

(घ) क्या ये संस्थायें समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) जी, नहीं।

देश में बुनकर केन्द्रों और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या

10147. श्री गदाधर साहा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बुनकर सेवा केंद्रों की राजवार संख्या कितनी है; और

(ख) देश में हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सात बुनकर सेवा केंद्र हैं—मैसूर में बंगलौर, महाराष्ट्र में बम्बई, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, मध्य प्रदेश में इंदौर, तमिलनाडु में मद्रास, उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक—एक केंद्र है तथा तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक उपकेंद्र है।

(ख) दो हथकरघा टैक्नोलोजी संस्थान हैं--उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा तमिलनाडु में सलेम में एक--एक ।

हथकरघा सूती उत्पादों का निर्यात

10148. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष-1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान हथकरघा सूती उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिये हथकरघा उद्योग को, मद-वार तथा राज्य-वार, कितनी नकद सहायता दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में कितना विदेश व्यापार हुआ और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हथकरघा उद्योग सहित सूती वस्त्र उद्योग के लिये नकद सहायता की योजना इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा चलाई जाती है । सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिये मंजर की गई नकद सहायता के आंकड़े मदवार तथा राज्यवार उपलब्ध नहीं है ।

(ख) आंकड़े इस प्रकार हैं :--

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपये में
1969–70	12.56
1970–71	15.92
1971–72	22.66

औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लेने वाली कपड़ा मिलों के नाम

10149. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971-72 के दौरान कितनी सूती कपड़ा मिलों ने औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लिया और ये मिलें किन-किन राज्यों और जिलों में चल रहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जिन वय मिलों को ऋण दिया गया है उनकी सं० दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	वर्ष के दौरान जिन जिलों को ऋण दिये गये हैं उनकी सं०	उन जिलों तथा राज्यों आदि के नाम जिनमें मिल कार्य कर रहे हैं ।	
		राज्य तथा जिला	मिलों की सं०
1969–70 (जुलाई-जून)	11		
		आन्ध्र प्रदेश	
		पूर्वी गोदावरी	--
		नीलौर	--

		महाराष्ट्र	
		कोल्हापुर	दो
		यटमल	—
		ओसंमानाबाद	—
		संगली	—
		मैसूर	
		बिजापुर	—
		रायचर	—
		तमिलनाडू	
		तिरुनेलवेली	—
		सलेम	
1970–71 (जुलाई–जून)	11	**तमिलनाडु**	
		तिरुनेलवली	दो
		सलेम	एक
		पंजाब	
		फिरोजपुर	—
		आन्ध्र प्रदेश	
		करीम नगर	—
		नीलौर	—
		पूर्वी गोदावरी	—
		महाराष्ट्र	
		जलगांव	—
		औरंगाबाद	—
		मैसूर	
		रायचर	—
		बिजापुर	—
1971–72 (जुलाई-जून)	19	**आन्ध्र प्रदेश**	
		नीलौर	—
		करीमनगर	—
		मैसूर	
		रायचर	—
		छित्तरादुर्गा	—
		बिजापुर	—

1	2	3	4
		तमिलनाडू	
		तिरुनेलवली	--
		कोयम्बटूर/मदुराई	--
		सलेम	--
		मदुरई	--
		राजस्थान	
		भिलवाड़ा	दो
		अजमेर	--
		उत्तर प्रदेश	
		मेरठ	
		महाराष्ट्र	
		संगली	--
		औरंगाबाद	--
		नानडेड	--
		उड़ीसा	
		कटक	--
		गुजरात	
		ब्रोच	--
		मध्य प्रदेश	
		खण्डला	--

1972-73 के दौरान "इकाफे" को निर्यात

10150. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान भारत ने एशियाई क्षेत्रों (इकाफे क्षेत्र के देशों को) को कितना निर्यात किया ;

(ख) इस क्षेत्र के देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ग) अनुकूल व्यापार संतुलन बनाये रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान इकाफे क्षेत्र के देशों को हुए भारत के निर्यात 424.29 करोड़ रुपये के थे । वर्ष 1972-73 के दौरान अप्रैल-सितम्बर की अवधि में, जिसके कि आंकड़े उपलब्ध है, इस क्षेत्र को निर्यात 220.47 करोड़ रुपये कें हुए ।

(ख) इस क्षेत्र के देशों को निर्यात की गई मुख्य वस्तुएं हैं, पटसन का माल, चाय, लौह अयस्क, चमड़ा, खालें तथा चमड़ियां कमाई हुई तथा ड्रेस की हुई, लोहा तथा इस्पात जिसमें लौह मिश्रधातु तथा लौह मैंगनीज भी शामिल हैं, सूती थान-मिल निर्मित और सूत तथा धागा, मछली तथा मछली से बनी चीजें। इन देशों को निर्यात की महत्वपूर्ण अपरम्परागत मदों में से कुछ हैं :— बिजली की मशीनें, यंत्र तथा साचित्र, परिवहन उपस्कर, रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद और पैट्रोलियम उत्पाद ।

(ग) इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के अनुकूल व्यापार संतुलन को बनाये रखने के लिए किये गए उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) इन देशों की विकासपरक योजनाओं तथा आयात आवश्यकताओं का अध्ययन

(2) इस क्षेत्र से आयातकों द्वारा भारत के दौरों और इन देशों को भारतीय निर्यातकों के दौरों को प्रोत्साहन ;

(3) भारत के औद्योगिक स्वरुप को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ समय समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन ;

(4) इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वाणिज्यिक आसूचना एकत्र करना तथा उसका प्रसार करना।

विशाखापत्तनम नगर का दर्जा बढ़ाना

10151. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम नगर का दर्जा बढ़ा कर उसे "बी" श्रेणी का नगर न बनाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को विशाखापत्तनम के श्रमिक तथा कर्मचारी संगठनों से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुऐ हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संगठनों के नाम क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार विशाखापत्तनम् नगरपालिका की जनसंख्या 4 लाख की उस सीमा से काफी कम है जो किसी नगर का बी-2 श्रेणी के वर्गीकरण के लिए आवश्यक होती है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों की समन्वय समिति तथा विशाखापत्तनम के संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने विशाखापत्तनम शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा देने की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

नेपाल से आयात किये जाने वाले पटसन के माल पल शुल्क की दरें

10152. **श्री टी० डी० काम्बले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल से आयात किए जाने वाले पटसन के माल पर शुल्कों की दरें क्या हैं और उक्त शुल्क किस प्रकार के हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : नेपाल से पटसन के माल के आयात पर लगने योग्य शुल्क की दरें नीचे दिये अनुसार हैं :—

(1) मूल सीमाशुल्क	कुछ नहीं
(2) सहायक सीमाशुल्क	3 मई, 1973 से कुछ नहीं।

उक्त तारीख से पूर्वसहायक सीमाशुल्क मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता था।

(3) प्रति संतुलनकारी शुल्क:—

(क) हैसियन—मूल उत्पादन शुल्क 600 रु० प्रति मीटरी टन (कोई सहायक शुल्क नहीं)

(ख) पटसन का अन्य माल जिसमें पटसन की रस्सी, तागा, सूत, रस्सा तथा सुतली शामिल मिल हैं	मूल उत्पादन शुल्क 400 रु० प्रति मीटरी टन तथा सहायक शुल्क 200 रु० प्रति मीटरी टन (अर्थात् मूल उत्पादन शुल्क का 50 प्रतिशत)

22 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में हुई ट्रेविल एजेंट्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक

10153. डा० हरिप्रसाद शर्मा: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में 22 मार्च, 1973 को ट्रेविल एजेंट्स एसोसियेशन आफ इण्डिया की वार्षिक बैठक में कही गई बातों और दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा किरायों में कमी करने की प्रथा किस हद तक प्रचलित है और गत एक वर्ष में सरकार की जानकारी में आये इस प्रकार के किराये घटाने के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष में इस अनैतिक प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अन्तराष्ट्रीय विमान यातायात संघ (आई ए० टी० ए०) द्वारा अनुमोदित किरायों में कटौती जैसे भ्रष्ट तरीके अपनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप यातायात राष्ट्रीय विमान कम्पनी से हट कर दूसरी कम्पनियों को चला जाता है । इस परिस्थिति का सामना करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :——

(i) संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये (एक्सकर्शन फेयर्स) चालू किये गये हैं।

(ii) भारत और फ्रांस के बीच घटी दरों पर वापसी युवा किराये (रिटर्न यूथ फेयर्स) चालू किये गये हैं।

(iii) एयर इण्डिया द्वारा सस्ते किरायों पर चार्टरों के परिचालन के लिये एक चार्टर कम्पनी की स्थापना की गई है ।

(iv) वायुयान नियमों में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है और जिसमें विमान कम्पनियों को अपने टैरिफों का नागर विमानन के महानिदेशक अनुमोदन कराना अनिवार्य कर दिया गया है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के प्रवर्तन संगठन (एन-फोर्समेंट आर्गेनाइज़ेशन) तथा विदेशी मुद्रा के विनियमों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है

बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना

10154. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड को बन्द करने तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने हेतु अधिकार देने के लिए चाय अधिनिय 1953 का संशोधन करने का है ताकि उसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अध्याय तीन (क) के समान उपबन्धों का समावेश किया जा सके ;

(ख) क्या संसद् के समक्ष ऐसा कानून लाया जायेगा; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज): (क) से (ग) इस बारे में कपतिय प्रस्थापनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पटसन व्यापार पर डालर अवमूल्यन का प्रभाव

10155. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित 27 फरवरी, 1973 की प्रेस रिलीज में भारतीय पटसन मिल संघ द्वारा किये गये भारतीय पटसन उद्योग पर डालर अवमूल्यन के प्रभाव के मूल्यांकन की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का अपना मूल्यांकन क्या है और यह भारतीय पटसन मिल संघ के मूल्यांकन से कहां तक मेल खाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अमरीकी बाजार में पटसन की वस्तुओं की प्रतियोगी स्थिति पर मामूली सा प्रभाव पड़ा है ।

नार्दन इंडिया काटन टैक्सटाइस मिल्स एसोशिएशन की नई दिल्ली में हुई बैठक

10156. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 अप्रैल, 1973 को नई दिल्ली में हुई नार्दन इण्डिया काटन टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्त किए विचारों तथा दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ख) उनकी दृष्टि में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं तथा क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रोलय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एसोसिएशन की, नई दिल्ली में 3 अप्रैल, 1973 को हुई नोवीं वार्षिक सामान्य बैठक में नादर्न इण्डिया काटन टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दिय् गये भाषण में व्यक्त किये गये कुछ विचार इस प्रकार थे :—

(i) पांचवीं योजना अवधि में तकुओं तथा करघों की संख्या बढ़ाना ;

(ii) वस्त्र उद्योग को, रुई पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क के भार से मुक्त करना,

(iii) नियन्त्रित कपड़े की कीमतों में वृद्धि; तथा

(iv) सूत के वितरण नियन्त्रण की योजना में कुछ परिवर्तन करना ।

(ख) (i) पांचवीं योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में तकुओं, करघों तथा साधित करने आदि के जो अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जानी चाहिये उसका अनुमान लगाने सम्बन्धी कार्य-वाही चल रही है ।

(ii) कपास पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(iii) नियन्त्रित कपड़े की कीमतों में संशोधन करने के प्रश्न पर औद्योगिक लागत तथा कीमत व्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है, इस व्यूरो को नियन्त्रित कपड़े की कीमतों की जांच करने के लिये कहा गया है ।

(iv) सूत की वितरण योजना में एसोसिएशन द्वारा सुझाया गया परिवर्तन करना संभव नहीं पाया गया है

राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांककों की सेवा शर्तें

10157. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकक उक्त कम्पनियों के कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवा शर्तें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चार्टर्ड लेखापालों की तरह उन्हें भी मान्यता देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी

कलकत्ता के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अश्लील साहित्य और अश्लील फिल्मों का पकड़ा जाना

10158. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सीमाशुल्क अधिकारियों ने खिदरपुर में एक जहाज पर छापा मारा था और बहुत बड़ी मात्रा में अश्लील साहित्य और अश्लील फिल्में पकड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई सामग्री की मात्रा कितनी है; और

(ग) इस प्रकार की सामग्री का आयात रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 22-4-73 को कलकत्ता में खिद्रपुर गोदी पर एम० बी० ग्वार्डिया लुवडोवा जलयान की तलाशी ली और अश्लील पुस्तकों की 2,742 प्रतियां पकड़ीं। इसके अतिरिक्त, अन्य वस्तुएं जैसे सिगरेट, पाइप में भरा जाने वाला तम्बाकू, सिगरेट का कागज, भारतीय मुद्रा तथा श्रीलंका की मुद्रा भी पकड़ी गयी थीं कोई अश्लील फिल्म बरामद नहीं की गई थीं ।

(ग) वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें अश्लील साहित्य एवं अश्लील चित्र शामिल हैं, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

सूचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्रतट तथा स्थल-सीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। मार्ग में प्रभावी रूप से रोकने, निवारक कार्यवाही करने आदि के लिए समय समय पर अतिरिक्त नौकाएं एवं वाहन मुहैय्या किये जा रहे हैं। पश्चिमी तट पर बेतार-यन्त्रों का जाल बिछाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी-कार्य की निगरानी करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के काय को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्कर व्यापार सम्बन्धी अपराधों के निमित्त अधिक कठोर सजा देने तथा कानून की खामियों को दूर करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु संसद में एक विधयक भी प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

SETTING UP OF A COMMITTEE TO IMPROVE THE WORKING OF SICK JUTE MILLS

10159. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA :
Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) Whether Government propose to set up a committee to improve the working of the sick jute mills; and

(b) if so, the outlines thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE)
(a) No, Sir.
(b) Does not arise.

नई दिल्ली में पर्यटन के लिये व्यावहारिक योजना और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित विचार गोष्ठी

10160. **श्री विभूति मिश्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पर्यटन के लिये व्यावहारिक योजना और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित छः दिवसीय विचार गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था कि विश्व में पर्यटन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारत में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ पहुंचा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पिछले पांच वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 1,89,000 से बढ़ कर 3,43,000 हो गई है, और पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय 26 करोड़ रुपये से बढ़ कर 48 करोड़ रुपये हो गई है।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होना

10161. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान देश के निर्यात में काफी वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्यात सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति निर्यात नीति संकल्प में जो 30 जुलाई, 1970 को संसद् के समक्ष रखा गया था, पहले ही निर्धारित कर दी गई है। निर्यात सम्बन्धी नीति एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसलिए संकल्प के ढांचे के भीतर जब भी आवश्यक होता है, उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं।

पांचवी योजना का दृष्टिकोण दस्तावेज में निर्यात नीति के तीन अनिवार्य तथ्यों को दर्शाया गया है अर्थात ——(क) निर्यात क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमताओं की योजना (ख) योजना लक्ष्यों के अनुसार घरेलू भाग की वृद्धि का विनियमन (ग) कर/प्रोत्साहन की प्रणाली जिसे निर्यातों पर सक्षम की पर्याप्त दर सुनिश्चित होगी।

केन्द्रीय सरकार की बजट व्यवस्था में परिवर्तन

10162. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वित्त वर्ष से लेखा तथा बजट बनाने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, अधिकारियों के एक दल का गठन किया था ताकि वह निष्पादन बजट तैयार करने में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से लेखों के वर्गीकरण में परिवर्तनों की सिफारिश करे। दल ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी हैं और सरकार इस समय उन पर विचार कर रही है। संशोधित वर्गीकरण 1974-75 के बजट से अपनाया जायेगा।

(ख) दल ने लेखा वर्गीकरण में संशोधन किया है ताकि यह वर्गीकरण सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को प्रतिम्बित कर सके। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें दल द्वारा लेखा वर्गीकरण में सुझाये गये परिवर्तनों की महत्वपूर्ण बातें बतायी गई हैं।

विवरण

दल द्वारा दी गई सिफारिशों की महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं :—

(1) सरकारी कार्यों को तीन महत्वपूर्ण वर्गों में बांट दिया जाये अर्थात् :

(i) **सामान्य सेवाएं** : जैसे पुलिस, रक्षा, कर संग्रह न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, जेलें लेखा परीक्षा आदि।

(ii) **सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं** : जैसे शिक्षा, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, सूचना और प्रचार, श्रम तथा रोजगार, आवास आदि।

(iii) **आर्थिक सेवाएं** : जसे कृषि, उद्योग, जल और विद्युत् विकास, परिवहन और संचार आदि।

2. प्रत्येक वर्ग में महत्वपूर्ण कार्यों तथा मुख्य कार्यक्रमों के लिए मुख्य लेखा शीर्षक निर्धारित कर दिये जायें। इस समय बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य शीर्षक निर्धारित नहीं हैं।

दल ने बड़ी संख्या में नये मुख्य शीर्षकों का प्रस्ताव किया है जैसे कला और संस्कृति, आवास, नगर विकास, सूचना और प्रचार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन, लघु सिचाई, भूमि तथा जल संरक्षण, खाद्य और पोषण, डेरी विकास, ग्राम और लघु उद्योग पर्यटन आदि।

3. लेखा ढांचे में मुख्य शीर्षकों को लघु शीर्षकों में बांटा गया है। कार्य सम्बन्धी नियन्त्रण के लिए लघु शीर्षक वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय लघु शीर्षक मुख्यतः संगठनों के द्योतक हैं और यह बात निष्पादन बजट तैयार करने तथा कार्यक्रम चलाने में सहायक नहीं रही है। दल ने नए लघु शीर्षकों का सुझाव दिया है, जो रोगों की रोक थाम तथा उन पर नियन्त्रण, चिकित्सा सम्बन्धी राहत, भाषाओं तथा साहित्य को प्रोत्साहन, छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के लिए योजनाएं, नारी कल्याण, निर्धन तथा निराश्रितों का कल्याण आदि जैसे मुख्य कार्यक्रमों का अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व करेंगे।

4. पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। इस समय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये सभी निवेश लेखों के एक बहुप्रयोजनी (ओमनीबस) शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं, चाहे इन निवेशों का सम्बन्ध किसी कार्य से हो। यह शीर्षक "औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय" के नाम से प्रसिद्ध है। दल ने विभिन्न परियोजनाओं में पूंजी निवेशों के आकार को ध्यान में रखते हुए निवेशों के लिए एक विस्तृत वर्गीकरण का सुझाव दिया है। इस प्रकार "मशीनरी तथा इंजीनियरी उद्योग", "पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक उद्योग", "हवाई जहाज तथा जहाज निर्माण उद्योग, "दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग," "उपभोक्ता उद्योग," "खनन तथा धातु कर्मक उद्योग" "आदि में निवेशों के लिए अलग-अलग मुख्य शीर्षक होंगे।

5. ऋणों के रूप में सरकारी परिव्ययों में असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऋणों के लेन-देनों के लिए लेखा वर्गीकरण को बिल्कुल नया रूप दे दिया गया है। इस समय ऋणों का वर्गीकरण कार्यक्रम के उस प्रयोजन से सम्बन्धित नहीं होता जिसके लिए ऋण दिये जाते हैं बल्कि उन पार्टियों से सम्बन्धित होता है जिन्हें ऋण दिये जाते हैं, जैसे राज्य सरकारें, सरकारी कम्पनियां, गैर-सरकारी पार्टियां, नगर पालिकाएं आदि।

6. सचिवालय के व्यय की व्यवस्था अब प्रशासनिक सेवाओं के एक भाग के रूप में एक शीर्षक के अन्तर्गत की जाती हैं। यह सचिवालय द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका का एक भ्रामक चित्र उपस्थित करता है। दल ने सुझाव दिया है कि सामान्य सेवाओं, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित सचिवालय व्यय को सम्बद्ध क्षेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए।

(7) लोक निर्माण कार्यों पर होने वाले सारे व्यय को, चाहे वह इमारतों अथवा सड़कों पर किया गया हो, इस समय "लोक निर्माण कार्य" नामक एक ही मुख्य शीर्षक में दिखाया जाता है। इस प्रकार इस मुख्य शीर्षक में आवास, अस्पताल की इमारतों, कार्यालय की इमारतों, सड़कों, पुलों आदि पर व्यय शामिल है और इससे सरकार के कार्यों और कार्यक्रमों के अनुसार किए जाने वाले व्यय का रूप बिगड़ जाता है। संशोधित लेखा वर्गीकरण के अनुसार सड़कों और इमारतों पर व्यय की आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में एक अलग मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। इसी प्रकार आवास को सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में अलग से दिखाया जायगा। विद्यालय, अस्पताल आदि कार्य विषयक इमारतों पर होने वाले व्यय को सम्बद्ध कार्य विषयक मुख्य शीर्षकों जैसे "शिक्षा" "चिकित्सा" आदि, के अन्तर्गत दिखाया जायगा। इस प्रकार के विभाजन से किसी कार्यक्रम की कुल लागत का अर्थपूर्ण मूल्यांकन करने और लोक निर्माण कार्यों के व्यय के स्वरूप को समझने में भी सुविधा होगी।

(8) इस समय, सरकार द्वारा गैर सरकारी पार्टियों आदि को अनुदान और इंगलैण्ड में हुए व्यय को "सहायक अनुदान, अंशदान आदि" नामक बहुप्रयोजनी लघु शीर्षकों और "इंगलैंड में व्यय" के अन्तर्गत समायोजित किया जाता है। चाहे व्यय का सम्बन्ध किसी भी कार्यक्रम से हो। दल ने इन खर्चों को कार्यक्रमों पर होने वाले अन्य व्यय के साथ सम्बद्ध कार्यक्रम लघु शीर्षकों के अन्तर्गत समायोजित करने का सुझाव दिया है।

(9) दल ने लेखों के प्राप्ति शीर्षकों में भी संशोधन कर दिया है ताकि कर राजस्वों को कर भिन्न राजस्वों से अलग दिखाया जा सके। कर-राजस्वों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित ढंग से दिखाया गया है। राजस्व के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि सम्बन्धी आय कर की क्षमता को स्वीकार करते हुए इस कर के लिए एक अलग मुख्य शीर्षक का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार कराधान नीति की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाते हुए अचल सम्पत्ति पर करों के लिए एक नये मुख्य शीर्षक का सुझाव दिया गया है।

(10) समेकित निधि में लेखाशीर्षकों में संशोधन करने के अलावा, दल ने सार्वजनिक खाते के शीर्षकों को भी युक्तिसंगत बना दिया है ताकि सार्वजनिक खातों को सुसम्बद्ध बोधगम्य बनाया जा सके। शीर्षकों की समीक्षा की गई है, अप्रचलित शीर्षकों को हटा दिया गया है और एक ही प्रकार के लेनदेनों को अच्छे ढंग से सामूहिक किया गया है। युक्तिसंगत बनाये जाने के परिणामस्वरूप लेनदेनों के अर्थपूर्ण प्रतिबिम्बन को किसी प्रकार से प्रभावित किये बगैर, सार्वजनिक खाते के मुख्य शीर्षकों की संख्या 157 से घट कर 65 हो जायगी।

(11) इस समय खाते के शीर्षकों को उचित रूप से संहिताबद्ध नहीं किया गया है; प्राप्ति शीर्षकों के लिए रोमन अंक दिये गये हैं, व्यय शीर्षकों को अरबी अंक दिये गये हैं, ऋण और अग्रिमों और सार्वजनिक खाते के लेनदेनों के लिए किन्हीं अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता। दल ने लेखों के सभी मुख्य शीर्षकों को तीन अंकों में संहिताबद्ध करने की युक्तिसंगत प्रणाली का सुझाव दिया है। पहले अंक के उस प्रभाग

का संकेत मिलेगा जिससे मुख्य शीर्षक सम्बद्ध होता है अर्थात् क्या यह प्राप्ति शीर्षक है, पूंजी व्यय शीर्षक है या ऋण शीर्षक है । आखिरी दो अंक सभी चारों प्रभागों के तदनुरूप मुख्य शीर्षकों के लिए एक समान होंगे ।

(12) संशोधित लेखा वर्गीकरण से :

(क) अनुदानों की मांगों को कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के रूप में प्रस्तुत करना सम्भव हो सकेगा ;

(ख) सरकारी विभागों में निष्पादन बजट तैयार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ग) बजट और लेखाशीर्षकों तथा पंचवर्षीय आयोजनाओं में अपनाए गए विकास शीर्षकों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा ।

केन्द्रीय सरकार की लेखा तथा बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

10163. **श्री एस० कतामुत्तु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखा तथा बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो लेखा तथा बजट बनाने की नई प्रणाली सम्भवत: कब लागू की जायेगी ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लेखापालन और बजट के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों और उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निर्णय दिये गये हैं । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5056/73)

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसाय, भूतपूर्व उप-नियत्रंक महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक दल में अनुदानों की मांगों के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थीं उन्हें प्राक्कलन समिति के अनुमोदन से 1973-74 के बजट में क्रियान्वित किया गया है ।

अधिकारियों के इस दल ने लेखों के वर्गीकरण के बारे में जो-जो परिवर्तन करने की सिफारिश की थीं उन पर विचार किया जा रहा है और उन्हें 1974-75 के बजट से क्रियान्वित किया जाना है ।

Talks on Economic Cooperation between India and Poland

10164. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) whether talks in regard to economic cooperation between India and Poland were held between him and the delegation which visited India under the leadership of the commerce Minister of Poland; and

(*b*) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) & (*b*) : A Polish Trade Team led by their Minister of Home Trade and Services visited India in the first week of April, 1973 to attend the first meeting of the Indo-Polish Committee on Trade Exchanges set up under the Indo-Polish Joint Commission. The Protocol signed on the conclusion of talks envisages substantial increase in the Polish purchases of textile goods and engineering and consumer items like deep freezers, refrigerators and compressors, cosmetics, toiletries, and detergents, EPNS german silver-ware, cast stainless steel cutlery, stationery etc. India has indicated its long-term interest in the increased supplies of fertilizers sulphur and non ferrous metals by Poland.

Both sides have shown interest in the conclusion of long-term arrangements for the supply of commodities of mutual interest. Views were also exchanged on matters like production co-operation in the fields of textile industry, leather industry and food processing industry, establishment of joint ventures etc.

भारत रुई निगम द्वारा वर्ष 1970 से 1973 तक रूई की गांठों की खरीद

10165. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितनी तथा कितने मूल्य की रुई की गांठों की खरीद की गई ;

(ख) क्या इन सौदों के फलस्वरूप भारतीय रुई निगम को भारी हानि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की हानि हुई है ; और

(घ) क्या हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत तीन वर्षों में भारतीय रुई निगम द्वारा खरीदी गई भारतीय रुई की गांठों की संख्या तथा उनका मूल्य निम्नलिखित है :—

रुई वर्ष रूई वर्ष का आशय 1—9 से 31—8 तक की अवधि से है	180 कि०ग्रा० वाली गांठों की संख्या	मूल्य करोड़ रु० में
1970—71 .	10,699	1.32
1971—72 .	5,17,364	58.00
1972—73 . (31—3—1973 तक)	3,87,279	44.86

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Memorandum from Rajasthan Textile Hand Processors Association

10166. Dr. Laxminarayan Pandey :

Smt. Krishna Kumari : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3657 on 9th March, 1973, regarding Memorandum from Rajasthan Textile Hand Processors Association and state whether Government have since taken any decision on the representation of the Association; and if so, what ?

The Minister of state in the Ministry of Finance : The representation is still under examination.

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हरियाणा में उद्योगों को दी गई राशि

10167. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार, औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हरियाणा में छोटे तथा बड़े उद्योगों को कितनी कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : दिसम्बर 1972 के हाल के संशोधनों से पूर्व औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केवल सीमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनियां और सहकारिताएं ही जो प्रायः मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक एककों को बढ़ावा देती हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती थीं ? गत तीन लेखा वर्षों के दौरान, हरियाणा राज्य में स्थित मध्यम बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाओं को निगम ने जो वित्तीय सहायता स्वीकृत और संवितरित की है, अधोलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	वित्तीय सहायता स्वीकृत	संवितरित
1970–71	153.45	60.64
1971–72	291.12	143.62
1972–73 . . . . (जुलाई, 1972 से मार्च, 1973)	115.34	136.53
जोड़	559.91	340.79

टिप्पणी :—पिछली स्वीकृतियों से सम्बन्धित संवितरण भी वितरण में सम्मिलित हैं ।

इटली के साथ संयुक्त उपक्रम

10168. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इटली की सरकार के साथ संयुक्तसहयोग से उपक्रम उद्यम स्थापित करने की सम्भावना का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है, और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कोई सहयोग करार सम्पन्न हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) इटली के साथ संयुक्त सहयोग/उद्यामों की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है । जांच की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

10169. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों को उसके स्वामित्व की कुछ प्रतिशतता का भारतीयकरण करने की दायित्व से छूट दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसी छूट दी गई और ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पांच मामलों में ढील दी गयी है जिनके संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । इस

संबंध में और सूचना विभिन्न सम्बद्ध प्राधिकारियों से इकट्ठी की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

विवरण

कम्पनी का नाम	विस्तार के पहले विदेशी शेयर-धारिता	अब स्वीकृत विदेशी शेयर धारिता	कारण
1. मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी लि०	57.5 प्रतिशत	51 प्रतिशत	उत्पाद अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक है; विदेशी मुद्रा में बचत अपेक्षाकृत अधिक निर्यात की संभावना।
2. अलकली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	56.5 प्रतिशत	51 प्रतिशत	विदेशों में विकासशील प्रौद्योगिकी देश को लाभ हो रहा है।
3. डनलप इण्डिया लिमिटेड	52.54 प्रतिशत	51 प्रतिशत	पिछले वर्षों में निर्यात बहुत अच्छा रहा और अपेक्षाकृत अधिनिर्यात की संभावना है।
4. त्रिवेणी टिशूज लिमिटेड	74 प्रतिशत	51 प्रतिशत	तकनीकी जानकारी की निर्बाध प्राप्ति।
5. सिबा आफ इण्डिया लिमिटेड	65 प्रतिशत	65 प्रतिशत	विदेशी शेयर धारिता को कम करने के लिये ज्यादा जोर नहीं दिया गया क्योंकि 11.38 लाख रुपये की कमी करने की रकम कम्पनी की 487.5 लाख रुपये की कुल पूंजी की तुलना में बहुत थोड़ी थी और कम्पनी को अपने नये उत्पाद-बुटिन (विटामिन के 75 प्रतिशत का निर्यात करना है।

राज्य आवास बोर्डों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण

10170. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस करोड़ रुपये की उस राशि में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है जिसे जीवन बीमा निगम ने राज्य विकास बोर्डों को पहले से ही दी हुई 14 करोड़ रुपये की विशेष ऋण राशि के अतिरिक्त, देने की सहमति प्रकट की है; और

(ख) 14 करोड़ रुपये की राशि के पहले ऋण में से जीवन बीमा निगम को कितनी धनराशि वापस प्राप्त हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना में जीवन बीमा निगम, विभिन्न सामाजिक गृह निर्माण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा किये गये अबंटन के आधार पर, राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये के देने के लिए वचनबद्ध है । इस रकम के अलावा, जीवन बीमा निगम ने 1971–72 में निम्नलिखित राज्य गृह निर्माण बोर्डों को सीधे ही ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये देने की सहमति प्रकट की है ।

राज्य गृह निर्माण बोर्ड	रकम करोड़ रुपयों में 1971–72
आन्ध्र प्रदेश	1.00
गुजरात	1.50
गोआ, दमन तथा दीव	0.25
महाराष्ट्र	3.00
राजस्थान	1.25
तमिल नाडु	1.00
उत्तर प्रदेश	2.00
योग	10.00

जो रकमें 1971–72 में मंजूर की गई थीं उनका भुगतान उसी वर्ष नहीं किया जा सका, अत: इस सहायता की अवधि 1972–73 तक बढ़ा दी गई थी । 1972–73 में, अभी तक तमिल नाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के गृह निर्माण बोर्डों ने रकमें प्राप्त की हैं ।

(ख) राज्य सरकारों को 17 करोड़ 5 लाख रुपये के जो ऋण 1971–72 में दिये गये थे उनमें से जीवन बीमा निगम को अभी तक 29 लाख की रकम वापस हुई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या

10171. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) भारत के उक्त बैंकों में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थान भरे गये हैं अथवा नहीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) तथा (ख) 31–12–72 को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्यवेक्षी कर्मचारी, लिपिक वर्ग कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी —

	जोड़	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
(i) पर्यवेक्षी कर्मचारी .	30828	64
(ii) लिपिक वर्ग के कर्मचारी	85507	1308
(iii) अधीनस्थ कर्मचारी . . .	38187	3003

(ग) तथा (घ) बैंकों ने सूचित किया है कि इन जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण सभी आरक्षित पद भरे नहीं जा सके । तथापि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए योग्यता और अर्हताकारी स्तर के निम्न स्तर निर्धारित करना :

(2) अधीनस्थ कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित रखना;

(3) भर्ती के लिए दिये गये विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रतिशतता निर्दिष्ट करना और उस विज्ञापन की एक प्रति बैंकिंग विभाग को पृष्ठांकित करना; और

(4) सरकार के अनुदेशों के अनुसार आरक्षित पदों के संबंध में व्यापक प्रचार करना; और

(5) बड़े पैमाने पर की गयी भर्ती के पश्चात् निदेशक मंडल के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करना जिसमें बैंकों द्वारा भर्ती किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या और प्रतिशतता में कमी, यदि कोई हो, बताना तथा उन कारणों को बताना जिस के कारण पूरी भर्ती नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1972-73 के दौरान काजू का निर्यात

10172. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री वयालार रवि : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में कुल कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के काजू का निर्यात किया गया,

(ख) किन-किन राज्यों से निर्यात किया गया, और

(ग) किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972–73 के दौरान निर्यात की गई काजू की गिरियों की कुल मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार है :—

मात्रा	65,948 मे० टन
मूल्य	6,853.41 लाख रु०

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें समंजन किया जा सकता है)

(ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) जिन मुख्य देशों को निर्यात किये गये हैं वे हैं; सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, कनाडा, जर्मन लोकतंत्री गणराज्य, जापान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, हांग कांग तथा पश्चिम जर्मनी ।

केरल में किसानों को दिए गए बैंक ऋण

10173. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान केरल में किसानों को कितनी राशि के बैंक ऋण दिये गये; और

(ख) क्या बेरोजगार स्नातकों को नया कारोबार आरम्भ करने के लिये ऋण मिल रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल में अनुसूचित बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों की जून 1972 के पिछले शुक्रवार को बकाया राशि 14.56 करोड़ रुपये थी ।

(ख) जी हां ।

Payment of Income-Tax by Top 100 Individuals in India

10174. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of Finance be pleased to state the names of the first 100 persons in the country who paid the highest amount of income-tax in 1972-73 ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Corruption in Banks

10175. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(*a*) whether corruption in Banks has increased since nationalisation; and

(*b*) what steps Government have taken in this respect and what are their results ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (*a*) & (*b*) : There is no evidence to suggest that corruption in banks has increased since nationalisation. Government have, on the other hand, taken a number of measures to check corruption in the nationalised banks. All the nationalised banks have accepted the jurisdiction of the Central Vigilance Commission and in each bank a vigilance cell headed by a very senior officer, has been set up. Complaints of corruption are investigated by these cells and appropriate action taken. All the allegations of corruption against bank officers drawing a pay of Rs. 1000/- or more per mensem are finalised by the bank concerned, only after due consultation with the Central Vigilance Commission. The Central Bureau of Investigation also conducts investigations in the complaints received by it directly or sent to it by the banks or Government. Strengthening of internal audit, supervision and control is also receiving the continual attention of nationalised banks and the Reserve Bank of India.

The above measures have created an awareness in the minds of bank employees, that as public servants, they will be judged by their probity and honesty.

वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक के कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण।

10176. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशक के कार्यालय में वर्ष 1970 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न श्रेणियों के कितने आरक्षित पद रिक्त हैं ; और

(ख) इन जातियों/जनजातियों के प्रत्याशियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण के बारे में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/इस्टेबलिशमेंट (एस०सी०टी०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के अनुसार उपरोक्त कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कितने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) शून्य।

(ख) जब कभी रिक्तियां होंगी इसका निर्धारण किया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं के स्थान पर पुरुष विमान परिचालक अथवा पुरुष एटेंडेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव

10177. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्यिन एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं के स्थान पर पुरुष विमान परिचारक अथवा पुरुष एटेंडेंट नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स इस समय फ्लाइट स्टीवर्ड्स (पुरुष) तथा विमान परिचारिकाएं (महिला) दोनों को नियुक्त करते हैं। इस प्रथा को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्य इंजीनियर की सेवा-अवधि बढ़ाना

10178. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्य इंजीनियर की सेवा निवृत्ति की [illegible] सेवा अवधि बढ़ा दी गई है;

(ख) क्या सेवाकाल की इस वृद्धि के लिये निदेशक बोर्ड की पूर्व अनुमति ले ली गई थी;

(ग) क्या वर्तमान पदधारी की सेवा-निवृत्ति की तिथि पहले ही पद का विज्ञापन देने तथा नियुक्ति करने के संबंध में कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ। भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान चीफ़ इंजीनियर को अधिवर्षता (सुपरएनुएशन) की आयु के बाद भी 27-8-1974 तक, जबकि वे 60 वर्ष के हो जायेंगे, अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) जी, नहीं । बोर्ड की अनुमति बाद में ली गई ।

(ग) और (घ) एडिशनल चीफ़ इंजीनियर के पद के लिये एक विज्ञापन अलग से दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य उसे वर्तमान चीफ इंजीनियर से उसके पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये तैयार करना है ।

Setting up of a Mica Factory at Giridih and Kodarama (Bihar)

10179. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) whether Government are considering the question of setting up a mica factory at Giridih and Kodarama (Bihar) in near future for development of mica industry:

(*b*) whether any scheme to expand the Branch of offices of M.M.T.C. at Giridih and Jhumri Talaya is under consideration of the Government; and

(*c*) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) No, Sir, not specifically. However the M. M. T.C. plans to take up processing of ceude and semi-processed mica and will put up a mica factory for this purpose in due course, at an appropriate place. It has set up an office in Giridih which has a large factory premises attached to it.

(*b*)&(*c*) : The Branch Offices of the Corporation will be expanded as the business activities of the Corporation increase.

Export of Indian Films during 1972-73

10180. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) the number of Indian films, language-wise, exported to foreign countries during the last year; and

(*b*) the steps taken by Government to ensure more publicity and demand for Indian films in foreign coutries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (*a*) Information regarding number of Indian Films exported is not available as export statistics in respect of films are maintained in terms of metre and not according to number and language. The total export of films upto Sept. 1972 was worth Rs. 2·58 crores.

(*b*) Export of feature films has been canalised through the State Trading Corporation with effect from 1st November, 1972 and that organisation will work out plans in consultation with Ministry of I. & B. for promoting exports of Indian films to foreign countries. However facilities for participation in International film Weeks, holding of Indian Films weeks abroad, formation of a consortium of prominent producers for intensive export effort in Malayasia and Singapore, are some of the measures taken to boost export of films.

निर्यात प्रोत्साहन पाने के उद्देश्य से वस्तुओं की काल्पनिक तथा मिथ्या बिक्री

10181. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि निर्यात व्यापार के कुछ कुख्यात तत्व व्यापक आयात अधिकारों का तथा सरकार द्वारा दिये जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ उठाने के एकमात्र उद्देश्य से वस्तुओं की काल्पनिक तथा मिथ्या बिक्री दिखाने के कार्य में लगे हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो निर्यात व्यापार में ऐसे कुख्यात तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) निर्यातकों को दी जाने वाली सुविधाओं के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अनुभव के आधार पर, उस योजना में

समय-समय पर सुधार किये जाते हैं। आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा उसके अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों में की गई व्यवस्था के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध अविलम्ब रूप से कार्यवाही की जाती है(और उसे 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज' में यथावत् प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की प्रतियाँ लोक सभा पुस्तकालय को भी उपलब्ध की जाती हैं।

साल मिश्री (ओरचिड) के पौधे तथा फूलों का निर्यात

10182. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सालमिश्री (ओरचिड) के पौधों तथा फूलों, जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों का उत्पाद है, के निर्यात से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाये जाने की सम्भावना की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या उन्हें इस बात का पता है कि इस क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता की पिछले कुछ वर्षों से अब तक उपेक्षा की गई है और प्रोत्साहन की कमी के कारण उसके समाप्त हो जाने की सम्भावना है, और

(ग) क्या भारतीय निर्यात के इस क्षेत्र को विकसित करने के लिये विशेष कदम उठाये जायेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) कृषि मन्त्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ मिलकर कतिपय उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशिष्ट प्रोजेक्ट आरम्भ किए हैं। जिनमें ओरचिड उद्यानों का विकास करना भी शामिल है। जिसे ऐसे ओरचिड प्राप्त होंगे जो विदेशी बाजारों में बिक सकेंगे।

चिथड़ों के आयात का कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर प्रभाव

10183. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री चिथड़ों के आयात के कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर प्रभाव के बारे में 2 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है अथवा करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(1) 11-5-1972 से शाडी ऊनी कम्बलों के निर्यात के कपड़ों ऊनी चिथड़ों के आयात को छोड़कर, प्रतिपूर्ति मद के रूप में ऊनी चीथड़ों के आयात पर रोक लगा दी गई है।

(2) अभी हाल में यह विनिश्चय भी किया गया है कि आयात किये जाने वाले चीथड़ों की लदान से पहले छांट-छांट कर दी जाय और भविष्य में जारी किये जाने वाले आयात लाइसेंसों पर इसे एक शर्त के रूप में शामिल किया जाये।

(3) सीमाशुल्क प्राधिकारी बाजार में बिकने के लिए आए हुए ऐसे माल को पकड़ते रहे हैं जिसके विषय में यह सिद्ध हो सके कि वह विदेशी उद्भव की है और उसके आयात का क्या तरीका है।

(4) रोके गये ऊनी चीथड़ों की निकासी शुरू कर दी गई है। इन गाँठों की निकासी उन मामलों में की जा रही है जिन में आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों का

उल्लंघन न किया गया हो और जिन गाँठों में प्रश्नतया ऊनी माल ही हो तथा जिन के संबंध में कम मूल्य के बीजक बनाने का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो।

चमड़ा विकास निर्यात निगम

10184. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री 2 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित चमड़ा विकास निर्यात निगम के कब तक बन जाने तथा कार्य आरम्भ कर देने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : प्रस्थावित चमड़ा निर्यात विकास निगम स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विद्युत सप्लाई में कटौती करने के कारण कपड़ा उद्योग में जनघन्टों की हानि

10185. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1972 में अब तक विद्युत् सप्लाई में कटौती कर देने के कारण कपड़ा उद्योग में कितने जनघन्टों की हानि हुई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अक्तुबर, 1972 से विद्युत् सप्लाई में कटौती के कारण कपड़ा उद्योग में नष्ट हुए कुल जन घंटों का हिसाब नहीं लगाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारतीय संस्कृति के चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों का प्रदर्शन

10186. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रदर्शन के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति से संबंधित चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों का प्रदर्शन भी किया जाता है और यदि नहीं, तो क्यों;

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर हिन्दू धर्म के विषयों का प्रदर्शन चित्रों और चित्रकारी के माध्यम से किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में उनके मंत्रालय का क्या निर्णय है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) कला-कृतियों, चित्रों एवं प्रतिकृतियों (पोर्ट्रेट्स) के प्रदर्शन में भारतीय संस्कृति को दर्शाने का प्रयास रहता है। इस प्रयास में किसी धार्मिक पृष्ठभूमि का समावेश मात्र संयोग ही समझा जाना चाहिये।

होली मना रही युवतियों के चित्रों वाले पर्यटन विज्ञापन

10187. **श्री प्रिय रंजन दास :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विज्ञापन के नाम पर अधिकाँश रेलवे स्टेशनों और समाचार-पत्रों में होली मना रही युवतियों के चित्रों का प्रदर्शन करके गुरूदेव के शान्तिनिकेतन के नाम पर धब्बा लगाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या विकल्प अपनाने का विचार है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). प्रश्न में जिस प्रकार के पोस्टर अथवा विज्ञापन का ज़िक्र किया गया है वैसा कोई पोस्टर या विज्ञापन केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा तैयार अथवा जारी नहीं किया गया है।

श्रीलंका द्वारा उड़ीसा वन निगम से केन्दुपत्तों की खरीद

10188. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने उड़ीसा वन निगम से 1.25 करोड़ रुपये के मूल्य के केन्दू पत्तों की खरीद की पेशकश की है, यदि हाँ, तो किन शर्तों पर, और

(ख) यदि इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हाँ। श्रीलंका तम्बाकू इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन ने उड़ीसा वन निगम से 1973-74 के दौरान 3500 मे० टन केन्दु पत्ती खरीदने की पेशकश की है। उड़ीसा में किसी भी रेल हैड पर रेल पर कीमत 3150 रु० प्रति मे० टन निर्धारित की गई है। निर्यात का कुल मूल्य लगभग 1.10 करोड़ रु० होगा। औपचारिक करार पर हस्ताक्षर इस वर्ष मई-जून में श्रीलंका तम्बाकू इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन के प्रतिनिधियों के उड़ीसा में दौरे के पश्चात् किये जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भत्तों को तर्क संगत बनाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति की स्थापना

10189. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री के० मालन्ना :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने श्रमिक समस्याओं के प्रति नीति में एक-रूपता लाने तथा भत्तों को तर्कसंगत बनाने के लिए क्षेत्रीय समितियां स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं :

(ग) समिति में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(घ) ये समितियाँ कब तक काम करना आरम्भ कर देंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में की गई एक सिफारिश पर सरकार का निर्णय यह था कि यद्यपि सभी उद्यमों के लिए मजदूरी, वेतन तथा सेवा की शर्तों का एक सा ढांचा निर्धारित करना सम्भव नहीं होगा, फिर भी उद्देश्य हमेशा यह होना चाहिए कि जहाँ भी उन्हें युक्ति संगत बनाना सम्भव हो उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार ने यह सुझाव दिया था कि सरकारी उद्यमों की सेवा की शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उद्यमों को चाहिए कि वे समन्वय समितियों की स्थापना करे।

(ख) से (घ). यह उद्यमों पर छोड़ दिया गया है कि वे इस समितियों की स्थापना करें तथा वे प्रक्रिया, गठन सम्बन्धी जैसे मामलों पर निर्णय करें। इस प्रकार की समितियाँ, जिनकी स्थापना उन प्रदेशों के उद्यमों ने की हैं, पहले ही बंगलौर, हैदराबाद और राँची में कार्य कर रही हैं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the Table

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 260 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5040/73)

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 241, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 331, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5041/73)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महीषि) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 231 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण) :

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 270 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण :

(1)ख. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण :
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5042/73)

(2) अशोक होटल, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1972 को शेष राशियों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण तथा चौदह परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5043/73)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने में विलंब के बारे में मैंने आपको लिखा था। कल उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय की दृष्टि से मैंने मद संख्या 4(2), 5 तथा 6 के बारे में सूचना दी है। अतः वे पत्र नहीं रखे जाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : वे पत्र आ चुके हैं । आज उन्हें रखा जाने दीजिये । विलंब से रखे गये पत्रों के साथ विलंब के कारण बताने वाला विवरण भी रखा जाना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय मान्य रहेगा ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : श्री ए० सी० जार्ज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) खनिजों और अयस्क वर्ग 1 का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1123 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिजों और अयस्क वर्ग 2 का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1124 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) करी चर्ण का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1128 में प्रकाशित हुए थे ।

उपरोक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5044/73)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) (क) प्राजेक्ट्स एण्ड इक्युपमंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) प्राजेक्ट्स एण्ड इक्युपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5045/73)

(दो) (क) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5046/73)

(तीन) (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5047/73)

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5048/73)

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के ग्यारह विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 30	सांतवा सत्र, 1969
(दो) विवरण संख्या 29	आठवां सत्र, 1969
(तीन) विवरण संख्या 27	नौवां सत्र, 1969
(चार) विवरण संख्या 30	दसवां सत्र, 1970
(पांच) विवरण संख्या 20	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(छः) विवरण संख्या 21	दूसरा सत्र, 1971
(सात) विवरण संख्या 13	तीसरा सत्र, 1971
(आठ) विवरण संख्या 12	चौथा सत्र, 1972
(नौ) विवरण संख्या 6	पांचवां सत्र, 1972
(दस) विवरण संख्या 4	छठा सत्र, 1972
(ग्यारह) विवरण संख्या 2	सातवां सत्र, 1973

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5049/73)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to draw your attention to page No. 741 of Practice and Procedure of Parliament written Shri Shakdhar wherein it is stated that the Assurances Committee wanted to ensure the implementation of the assurances given by the Ministers and also to fix responsibilities in case of delay therein. The Committee, for this purpose, made certain amendments in its rules and regulations but those rules and regulations have not been implemented. Let the Minister of Parliamentary Affairs explain in this behalf. I have raised this matter here so as to make the hon. Members aware of what is happening in the country because of committed courts, Committed bureaucracy, committed Parliament etc.........*(interruptions)*. How painful it is to see on page 2 of the Report that "the Committee have decided to drop a large number of pending assurances pertaining to the Fourth Lok Sabha which have been pending for the last two or three years as the information promised in such assurances has lost their public importance...."

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हैं। यदि आप आश्वासनों की क्रियान्विति के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो उसकी सूचना दीजिये। यह अवसर इस संबंध में चर्चा करने का नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जब आश्वासन समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने आयेगा तब इस पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: जब वह प्रतिवेदन पेश होगा तब इस संबंध में विचार किया जा सकता है। सभा पटल पर पत्र रखते समय तो यह संभव नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निम्न 184 के अधीन इस पर सुगमता से विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन समिति गठन इसी उद्देश्य से हुआ था कि वह यह देखे कि सरकार अपने आश्वासन पूरे करती है अथवा नहीं। यदि वे पूरे नहीं होते तो सभा को सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का अवसर मिलना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : What has been happening for the last two years ? You kindly give me five minutes. The assurances lose their importance after such a lapse of time. I will not allow the Government to overawe the House.

अध्यक्ष महोदय: कोई भी नहीं होने देगा। परन्तु हम किसी भी विषय पर चर्चा नियमानुसार कर सकते हैं। इस चर्चा के लिये यह उचित अवसर नहीं है। आप इस हेतु अलग से सूचना दे सकते हैं। यह प्रतिवेदन अभी सभी तो पेश हुआ है। इस पर चर्चा के अनेक अवसर हो सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I stage a walk out from the House on this issue.

इसके पश्चात् श्री मधु लिमये सभा से उठकर चले गए।

SHRI MADHU LIMAYE THEN LEFT THE HOUSE.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसरण में सूचनायें दिया करता था परन्तु अब एक शुद्धि पत्र जारी करके वे प्रावधान पुस्तिका से हटा दिये गये हैं और मैं ऐसे मामले उठाने में वंचित हो गया हूं। यदि आप स्वीकार करें--नियम 184 के अधीन सूचना दी जा सकती है कि सभा श्री शंकरानन्द के वक्तव्य के बारे में पूरी चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ऐसे प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखे जाने पर हम में से कुछ सदस्यों ने सूचना दी थी कि अमुक आश्वासन क्रियान्वित नहीं किये गये। इस पर चर्चा के लिये कोई मार्ग निकाला जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा किसी सूचना के प्राप्त होने पर हो सकती है सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के समय नहीं। प्रतिवेदनों के बारे में सदस्यों में यदि परस्पर मतभेद है तो मैं इसकी जांच करूंगा। तथापि इस पर चर्चा के लिये सभा-पटल पर पत्रों के रखे जाने का समय न होकर कोई अन्य अवसर खोजा जाना चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस दृष्टिकोण के लिये मैं आपका आभारी हूं। यह एक गम्भीर बात है कि तथा सभा के प्रति असम्मान की बात है कि यहां आश्वासन देकर उसे अनिश्चित समय तक के लिए भुला दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया बनायें कि एक बार दिए गए आश्वासनों को रद्द न किया जाये तथा सभा में स्पष्ट किया जाय कि उक्त

आश्वासनों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा सका। साथ प्रत्येक सत्र में दिए गए आश्वासनों की सूचना दी जाये तथा उन्हें सभापटल पर रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस प्रतिवेदन को वापस आश्वासन समिति को भेज दूं। ठीक है मैं यह लिखकर भेज देता हूं कि इसमें अमुक आपत्तियां हैं तथा वह मुझे इस संबंध में सलाह दें। आश्वासनों को सभापटल पर रखने के प्रश्न की मैं जांच करूंगा।

श्री समर गुह : (कन्टाई) मैं आप का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि केवल इसी सत्र के दौरान ऐसे प्रश्न बड़ी संख्या में एकत्रित हो गये हैं जिनके बारे में उत्तर दिया गया है कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है"। और कि अनेक मास गुजर जाते हैं तथा उक्त जानकारी प्राप्त करने का महत्व ही समाप्त हो जाता है तब तक भी हमें उक्त जानकारी प्राप्त नहीं होती अतः हमें मार्गदर्शन ही दीजिये कि क्या करें?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक आश्वासन समिति की बात है आप विश्वास रखिये कि मैं पूरे न किये आश्वासनों के बारे में सभा को अवगत कराने हेतु चर्चा के लिये कोई अवसर ढूंडना चाहता हूं। अन्यथा तो इस समिति के गठन का कोई अर्थ नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस समिति के गठन का यही उद्देश्य है कि वह इसका ध्यान रखे।

अध्यक्ष महोदय : इसका हल यही है कि सूचना मिलने पर इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये परन्तु उस समय नहीं जबकि सभापटल पर पत्र रखने की औपचारिकता की जाती है। श्री मधु लिमये ने जल्द बाजी से काम लिया है उन्हें दूसरों की बात भी तो सुननी चाहिये थी।

इस्पात और खान (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973

Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1973

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं लोहा और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 को, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 214 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा के सन्देश

Messages from Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देता हूं:—

(एक) कि राज्य सभा ने 9 मई, 1973 को अपनी बैठक में बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973, दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को, जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य, अर्थात् :–

(1) श्री टी० वी० आनन्दन्

(2) श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी

(3) श्री मनोरंजन राय

(4) श्री जी० ए० अप्पन

(5) श्री वी० एन० मण्डल

(6) श्री यू० के० लक्ष्मण गौडा
(7) श्री एन० एच० कुम्भारे
(8) श्री नृपति रंजन चौधरी
(9) श्री एच० एस० नरसिंह
(10) श्री एन० पी० चौधरी
(11) श्री टी० जी० देशमुख
(12) श्रीमती सीता देवी
(13) इब्राहिम कलानिया
(14) श्री नन्दकिशोर भट्ट
(15) श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

और लोक सभा के 30 सदस्य होंगे, सौंपने का प्रस्ताव पास किया है तथा सिफारिश है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

(दो) कि राज्य सभा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक 1973 के सम्बन्ध में जो लोक सभा द्वारा 7 मई, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयक पर अनुमति
Assent to Bill

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति
Committee on Private Members, Bills and Resolutions
22वीं से 27वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री जी० जी० स्वेल (स्वायत्त जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 22वीं से 27वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :

विशेषाधिकार समिति
Committee on Privileges
चौथा प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम): मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
Committee on Government Assurances
पांचवां प्रतिवेदन

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

10वां प्रतिवेदन

श्री सी० डी० गोतम (बालाघाट) : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 10 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं 14, 15 तथा 16 मई, 1973 के लिए सभा में सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :—

(1) आज की कार्य सूची के शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार

(2) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1973

(विचार तथा पास करना)

(3) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर **मंगलवार 15 मई, 1973** को चर्चा।

(4) प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में **मंगलवार, 15 मई, 1973** को चर्चा।

(5) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

(प्रवर समिति को सौंपना)

(6) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973

(विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव)

(7) भारतीय रक्षा निर्माण कार्य अधिनियम, 1903 के उपबन्धों तथा इसके अधीन जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर **बुधवार, 16 मई, 1973** की चर्चा।

यदि समय हुआ तो निम्नलिखित मदों को भी लिये जाने का विचार है :—

(क) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(आगे विचार तथा पास करना)

(ख) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या होगा ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है और आपने सभा को आश्वासन दिया था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श होगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगू सराय) : मूल्यों के बारे में चर्चा होगी अतः मेरा सुझाव है कि सरकार नवीनतम मूल्य स्थिति के बारे में एक सांख्यिकी-टिप्पण परिचालित करे तथा वह चर्चा आपेक सिद्ध हो सके ········ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन्हें ही बोलने को कहूंगा जिन्होंने सूचना दे रखी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पर चर्चा करने हेतु भारी मांग है। इस पर चर्चा होनी चाहिये तथा अन्य भी कई मामले अनिर्णीत पड़े हैं :

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमें कार्य सलाहकारी समिति तथा यहां भी आश्वासन दिया गया था कि दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। अब इसके लिये समय निकाला जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आज सभा को स्थगित हो जाना था परन्तु इस सत्र की अवधि तीन दिन बढ़ायी गई है फिर भी बहुत सी मदें शेष रह गई हैं। इस का मात्र हल यही है कि अगर सत्र शीघ्र ही तथा अधिक से अधिक जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाना चाहिये तथा उसे 5 सप्ताह के स्थान पर 6 सप्ताह तक भेजना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा की जानी चाहिये। संसदीयकार्य मंत्री ने मुझे बताया था कि क्योंकि वित्त मंत्रालय ने अभी इस बारे में अपना कोई मत निर्धारित नहीं किया है इसलिये वे तैयार नहीं हैं। परन्तु सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है। अतः इस पर चर्चा होनी ही चाहिये। भले ही सरकार इस पर अपना निर्णय व्यक्त न करे परन्तु हमें तो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये। यह 43 लाख सरकारी कर्मचारियों का मामला है। आप कृपया इस पर चर्चा की अनुमति दीजिये। हमें कर्मचारियों को जवाब देना है।

दूसरे शिक्षा मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक वक्तव्य दें। 7500 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

श्री समर गुह (कंटाई) : मंत्री महोदय ने एक माननीय सदस्य श्री गोपाल के बारे में वक्तव्य दिया था। अब समाचार है कि सरकार ने प्रबंध-पूल को भंग करने का निर्णय किया है और इस बारे में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री किदवई ने आपत्ति की है। यह कहा जाता है कि उक्त निर्णय उनसे सलाह लिये बिना ही किया गया। यह गंभीर बात है तथा नौकरशाहों की ज्यादती है। मैं कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेज कर इस बारे में आप का ध्यान दिलाना चाहा था। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है आप मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करें तथा मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने को कहें।

दूसरे तेहरान में, पाकिस्तान तथा ईरान के बीच गंभीर चर्चा हो गई है तथा ईरान को अमरीका से 3 बिलियन डालर के मूल्य के शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। यह बात भारत की सुरक्षा से संबंधित है तथा शिमला करार के विरुद्ध है। विदेश मंत्री अथवा रक्षा मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : इसकी गुंजाइश नहीं है। श्री चन्द्रिका प्रसाद :

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : There have been quite a big number of fire accidents in U.P. and in Rai Bareilli etc. The Godown of the F.C.I. turned into ashes and also many cattles as well as men lost their lives. There has been a loss of crores of rupees and many people have been rendered homeless. But no relief measures have been taken up. 50 House of the Harijans were

gutted in Balia District Headquarters and most wonderful fact is that there is no Fire Brigade machinery in the District Headquarters. In our country 80 percent of houses are the huts which are always prove to fire. The same is the position in respect of Khalihans, I suggest that arrangements should be made to provide the people with fire-proof housing material. Also immediate steps should be taken to provide relief to the five victims.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस्पात संयंत्र में उत्पादन मामला भी बड़ा महत्वपूर्ण है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं सोमवार को यह मामला फिर उठाउंगा । मुझे आपके आदेशों की प्रतीक्षा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन् वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा होनी ही चाहिये । (**व्यवधान**) :

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया था कि पंचवर्षीय योजना और दण्ड प्रक्रिया संहिता पर चर्चा स्थगित कर दी जायेगी ताकि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा सके । अब न जाने क्यों उक्त प्रतिवेदन पर चर्चा को टाला जा रहा है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : श्री पीलू मोदी ने जो कुछ कहा है वह सुझाव मात्र था । इस सम्बन्ध में मैंने वित्त मंत्री से बातचीत की थी और उनके विचार में वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि सरकार स्वयं इस मामले पर विचार कर रही है ।

श्री पीलू मोदी : कार्य मंत्रणा समिति में उक्त प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये काफी जोर दिया गया था और मेरे विचार में इस चर्चा को स्थगित करना उचित नहीं होगा ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने 403 प्रक्रिया संहिता विधेयक पर सामान्य चर्चा और खण्डवाद विचार स्थगित करना स्वीकार कर लिया था ताकि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सके । अब यदि वे ऐसा नहीं करते तो हम इसे सहन नहीं करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (**कानपुर**) वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में हम वित्त मंत्री महोदय को वचन देने पर बाध्य नहीं करना चाहते परन्तु हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि किसी आयोग के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया जाये और सरकार उस पर विचार कर रही हो और उन्होंने सिफारिशों को पूर्ण रूप से अथवा आँशिक रूप से स्वीकार न किया हो तो क्या इस सुझाव को सरकार ने कोई निर्णय किया हो या नहीं, उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इन बातों का कुछ उपयोग है तो आप ऐसा करते रहिये । मंत्री महोदय के के पास समय भी तो होना चाहिए (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : हम वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहते हैं । श्री रघुरामैया ने ठीक ही कहा है कि संसद सदस्यों को इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये भी समय चाहिये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में पीठीसीन अधिकारी को बाहर चला जाना चाहिये । यदि आप सब आपस में वार्तालाप करके निर्णय करना चाहते हैं तो ठीक है । (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब सरकार प्रतिवेदन पर विचार करके निर्णय कर लेगी तब वह हमारे तर्कों पर कोई ध्यान नहीं देगी। इस लिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने विचार प्रकट करने का अभी अवसर दिया जाये ताकि सरकार ठीक निर्णय कर सके।

Shri Madhu Limaye (Banka) : There is acute shortage of drinking water and in view of this I want to know whether some emergeting steps would be taken to ease the situation ? I want you to allot half an hour for this purpose.

My second point is that Hindustan Aluminium (Hindalco) has not paid its electricity bill and therefore its electricity supply has been stopped. I would like to draw the attention of the Government towards resultant problems. I want to know whether Government would take any action under company basis Act and make a statement thereon ?

Thirdly, I support the demand made by several members that we should be allowed to discuss the Pay Commission report in the House.

श्री एस० एम० बनर्जी : 7 मई, 1973 के बुलेटिन संख्या 1164 में नियम 189 के अधीन एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है कि यह सभा तीसरे वेतन आयोग के (खण्ड I–IV) प्रतिवेदन पर विचार करती है जो 2 अप्रैल 1973 को सभा-पटल पर रखा गया। इस विषय में आधे घण्टे की जो चर्चा स्वीकार की गई है उसके लिये एक घण्टे का समय भी पर्याप्त नहीं होगा। अतः मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस चर्चा के लिये समय बढ़ा दिया जाये अथवा हम एक दिन और बैठने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं सोमवार उन से पूछूंगा कि उनके पास कुछ समय है या नहीं।

श्री के० गोपाल संसद सदस्य की एक आंख की दृष्टि समाप्त हो जाने के बारे में वक्तव्य

Statement re : loss of vision in an eye of Shri K. Gopal, M.P.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कुछ दिन पूर्व मुझे श्री गोपाल का दिनाँक 9 अप्रैल, 1973 का पत्र मिला था कि वह जी० बी० पन्त अस्पताल में अपनी आँख का इलाज करवा रहे हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति दी जाये। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया था और उस समय इस मामले की गम्भीरता अथवा किसी डाक्टर द्वारा कोई भूल किये जाने का मुझे कोई ख्याल न था।

आज प्रातः जब मैं वापस लौटा तो मैंने सभा की कार्यवाही को पढ़ा था। प्रो० ए० के० किस्कू के आग्रह पर अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक ने ग्राम्य स्वास्थ्य सेवा आयुक्त डा० पी० धीश के साथ मिल कर इस मामले की जाँच आरम्भ कर दी है। मैंने संस्थान निकाय की बैठक तुरन्त बुलाने का अनुदेश दिया है ताकि इस जॉच के आधार पर उचित कार्यवाही की जा सके। चिन्ता की सब से बड़ी बात यह है कि क्या श्री गोपाल की नजर में कोई सुधार हो सकता है या नहीं मैंने सुप्रसिद्ध नेत्र विज्ञानियों के बोर्ड की बैठक आयोजित करने का निर्णय किया है जो हमें इस सम्बन्ध में अपनी सुविचारित राय देगा। इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि श्री गोपाल को इतनी कम आयु में एक आँख की दृष्टि खोनी पड़ी है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको एक फाइल के खो जाने के बारे में लिखा था जो श्री एल० एन० मिश्र को भेजी गई थी। इस पर राज्य सभा में चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में इस पर चर्चा हुई थी, इसे यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि हमें राज्य सभा से कोई जानकारी मिलती है तो क्या हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ? क्या यह नियम है ?

अध्यक्ष महोदय : आप को कोई रोक नहीं सकता। इस सभा में यह प्रथा है कि यदि कोई ऐसी बात है तो उसे प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उसे मंत्री महोदय को भेजा जा सके।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

Coal Mines (Nationalisation) Bill

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "कोयला श्रोतों का देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप युक्ति-युक्त, समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने कि ऐसे श्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के हाथ में हो और उनका ऐसे वितरण हो कि उससे सर्वसामान्य का हित सिद्ध हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों का पुनर्गठन और पुर्निर्माण करने की दृष्टि से कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण तथा उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि कोयला स्रोतों का देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप युक्ति-युक्त, समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के ऐसे स्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के हाथ में हो और उनका ऐसे वितरण हो कि उससे सर्वसामान्य का हित सिद्ध हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों का पुनर्गठन और निर्माण करने की दृष्टि से कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण तथा उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

श्री मोहन कुमार मंगलम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER CONTROL 377

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, में समाचार प्रकाशित हुआ है कि आज से समस्त देश में सभी रेलवे के गार्डों ने 'नियमानुसार' कार्य करने का निर्णय किया है। क्या मैं मंत्री महोद से पूछ सकता हूं कि गार्डों के इस निर्णय के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वेतन आयोग की सिफारिशें भी प्राप्त हो चुकी हैं पर हम चर्चा करने के लिये बहुत उत्सुक हैं। मंत्री महोदय इस बारे में कुछ बतायें :

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : यह समचार मैंने पढ़ा है परन्तु रेलवे की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस निर्णय को वास्तव में क्रियान्वित किया गया है या नहीं। परन्तु मेरे पास काँग्रेस के मुख्य सलाहकार श्री अतर सिंह आहूजा का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि समस्त देश में 18,000 गार्ड 10 जून से नियमानुसार कार्य करेंगे और इससे देश में रेलवे का काम ठप्प हो जायेगा। इस सभा को पता है कि इस समय भारी मात्रा में अनाज की ढुलाई का काम किया जाना है, अतः मैं गार्डों से अनुरोध करूंगा कि इस संकट काल में वे यह आन्दोलन न करें।

जहाँ तक वेतनमानों में संशोधन का सम्बन्ध है, वेतन आयोग ने इस पर भली भान्ति विचार किया है। अब यह मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

लोकसभा संकल्प की क्रियान्विति के मामलों को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव

Motion to refer to committee of Privileges matters reg. implementation of Lok Sabha Resolution

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इस्पात और खान मंत्री द्वारा 25 अप्रैल, 1973 को सभा में दिये गये वक्तव्य, सदस्यों द्वारा उस पर उठायी गयी बातों तथा 2 दिसम्बर, 1970 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत किये गये संकल्प, अर्थात् 'कि अपराध की गम्भीरता के विचार से सरकार श्री एस० सी० मुकर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दण्ड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दें' के उत्तर भाग के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के उपरांत, संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ;

यह सभा यह निदेश भी देती है कि समिति सभा को 16 अगस्त, 1973 तक प्रतिवेदन दे।"

इस्पात और खान मंत्री ने कल विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की थी और निर्णय किया गया था कि इस प्रस्ताव को चर्चा किये बिना पास कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा इस्पात और खान मंत्री द्वारा 25 अप्रैल, 1973 को सभा में दिये गये वक्तव्य, सदस्यों द्वारा उस पर उठायी गयी बातों तथा 2 दिसम्र, 1970 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत किये गये संकल्प के उत्तर भाग, अर्थात्, 'कि अपराध की गम्भीरता के विचार से सरकार श्री एस० सी० मुकर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दण्ड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दें' के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के उपरांत, संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये;

यह सभा यह निदेश भी देती है कि समिति सभा को 16 अगस्त, 1973 तक प्रतिवेदन दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

Statutory Resolution Re: proclamation in relation to the state of Manipur and Manipur State Legislature (Delegation of Powers) Bill

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सांविधिक संकल्प गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित के नाम में है। यदि वह लोक सभा में आने की अपेक्षा धन एकत्र करना अधिक आवश्यक समझते है तो हम श्री पन्त को सुनने के लिये तैयार नहीं है, उन्हें सभा में बुलाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार एक ही मंत्रालय में एक मंत्री दूसरे के स्थान पर बोल सकता है। परन्तु इस मामले में यह प्रस्ताव श्री उमाशंकर दीक्षित के नाम में है और मुझे यह नहीं बताया गया कि उनके स्थान पर श्री पन्त इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। मैं श्री पन्त को अनुमति देता हूं परन्तु पीठासीन अधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दी जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir, we cannot show any concessions to a person who does not care to discharge his responsibilities and is abusing the office of the Home Minister and tries to collect a fund of Rs. 2 crore for the elections in Uttar Pradesh. In view of this I would suggest that this discussion should be adjourned.

श्री वयालार रवि (चिरायंकील) : श्री उमाशंकर दीक्षित दूसरे सदन के नेता भी हैं। इस तरह की बातें करने के बजाय यह पता लगाया जाना चाहिये कि क्या वह दूसरे सदन में हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि नियमों के अनुसार ऐसी कोई रुकावट नहीं है परन्तु ऐसी करने की मुझे जानकारी दी जानी चाहिये थी।

गृह मंत्रालय राज्य में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं आप की बात मानता हूं। किसी अन्य काम के कारण मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हो सके। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्यवाही को आगे चलने दें।

Shri Mamhu Limaye : Shri Dikshit must express regret in writing.

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : ऐसा नहीं किया गया है परन्तु कार्यवाही को रोकने के बजाय हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ मैं यह लेता हूं कि श्री पन्त लिखित की बजाय मौखिक अनुरोध कर रहे हैं।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि वे ऐसा पहले करते तो ठीक था परन्तु यदि इन परिस्थितियों में आप उन्हें इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देते हैं तो यह बहुत ही अनुचित बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पन्त ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है और उन्हें श्री उमाशंकर दीक्षित के स्थान पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि भविष्य में किसी मंत्री को बिना पीठासीन अधिकारी को सूचना दिये ऐसा नहीं करना चाहिये। अब क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से इस कार्य को एक निश्चित तिथि से पहले करना है, मैं समझता हूं कि सभा मेरे विचार से सहमत होगी। मैंने यह पहले ही कह दिया है श्री दीक्षित को सभा का अधिक आदर करना चाहिये। संसदीय लोक तन्त्र में ऐसा करना बहुत आवश्यक है। अतः अब मैं इस बात को निश्चित मानता हूं कि सभा मेरे विचारों से सहमत है और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री पन्त को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाये।

माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह संख्या 18 और 19 मणिपुर से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों मदों पर एक साथ चर्चा की जायेगी या अलग अलग ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में दोनों पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिये।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मुझे दोनों मदों पर एक के बाद दूसरा अर्थात् लगातार दो भाषण देने होंगे। एक सांविधिक संकल्प पर और दूसरा विधेयक पर।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यद्यपि आप ने और सभा ने मुझे इस कार्यवाही को चलाने की अनुमति दे दी है परन्तु आपको उन आरोपों की ओर ध्यान देना चाहिये इस चर्चा के दौरान किये गये थे क्योंकि वे बहुत अनुचित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने स्वयं कहा है कि वे संगत नहीं थे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 को जारी की गई घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

सदन को स्मरण होगा कि भूतपूर्व मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में 24 सितम्बर, 1969 को श्री एम० कोइरेंग सिंह की सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था जिससे वहां 16 अक्तूबर 1969 से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था जो 21 जनवरी, 1973 तक चला । आम चुनाव होने तक वहां का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सका, अतः राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत इस कार्य के लिये उद्घोषणा जारी की तथा 21 जनवरी 1973 से वहां के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया ।

आम चुनावों के बाद 20 मार्च, 1972 को श्री अलीमुद्दीन के नेतृत्व में "युनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी" की सरकार बनी । मणिपुर के राज्यपाल का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जा चुका है जिसमें वहां की राजनीतिक की घटनाओं का पूरा ब्यौरा है । उसमें संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तगत उद्घोषण की आवश्यकता का भी हवाला दिया गया है । वहां विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए तथा वैकल्पिक सरकार बनाए जाने की सम्भावना के अभाव को देखते हुए यही निर्णय किया गया कि उक्त उद्घोषणा जारी की जाए । राज्यपाल ने विधान-सभा को भंग किये जाने तथा नए चुनाव कराए जाने के बारे में भी विचार व्यक्त किए थे ।

विधान सभा भंग किये जाने के औचित्य में यह भी कहा जा सकता है कि वहां पर बनाई गई संयुक्त सरकार में बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कई बार दल बदले हैं तथा इस प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं भी कोई स्थाई सरकार नहीं बनाई जा सकती । यह वहां की जनता का कर्तव्य है कि वह चुनावों में निश्चित दृष्टिकोण अपनाए ।

आशा है यह सदन मणिपुर राज्य के बारे में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के औचित्य की सराहना करेगा तथा 28 मार्च 1973 को जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोपणा को/ हृदय से अनुमोदित करेगा ।

महोदय । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को मणिपुर राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने का शाक्त प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

सभा को पता है कि उक्त उद्घोषणा में मणिपुर राज्य के लिये विधियां बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है । किन्तु दोनों सदनों की व्यवस्तता को देखते हुए संसद् के लिये यह कठिन है कि वह वहां के लिये आवश्यक विभिन्न अविलम्ब विधान बना सके । अतः इस विधेयक में वही सामान्य व्यवस्थाएं की गई हैं जो राष्ट्रपति शासन के दौरान की जाती है । इसमें परामर्शदात्री समिति की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है । मनीपुर के लिये एक सलाहकार समिति बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें सभी दलों के नेताओं को सम्मिलित किया जाएगा । राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानूनों से संसद्-द्वारा संशोधन करने का निदेश देने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति को मणिपुर राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम): यह दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत आना पड़ा। मणिपुर में अन्य राज्यों की भांति कांग्रेस का बहुमत नहीं हो सका जिसके कारण वहां दल बदल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके लिये केवल मणिपुर की जनता को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

यह देखा गया है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला वहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। मेरा अनुरोध है कि मणिपुर में यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिये।

पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना के समय इस क्षेत्र की जनता को बड़ी आशाएं दिलाई गई थीं। मणिपुर में कोई रेलवे लाइन नहीं है। ज्ञात हुआ है कि पूर्वोत्तर परिषद् ने इस क्षेत्र के विकास कार्यों को कोई महत्व नहीं दिया।

मणिपुर में शीघ्र ही रेलवे लाइन, तथा उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके तथा जनता को रोजगार मिल सके। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्र-पति शासन के दौरान इस परिषद् तथा सलाहकार समिति आदि के बीच क्या समन्वय होगा। मणिपुर की जनता को यह संदेह है कि सरकार नहीं चाहती कि वहां उनकी विधान सभा हो तथा वहां की जनता अपना स्वयं प्रशासन चलाए। मणिपुर में नागा समस्या जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति शासन यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि मणिपुर का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विकास किया जाए। सरकार को अपना यह दृष्टिकोण भी त्याग दना चाहिये कि वहां तभी चुनाव कराये जाएं जब परिस्थिति सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के अनुकूल हो जाए। क्या सरकार उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा आदि राज्यों में मध्यावधि चुनाव करायेगी जिससे वहां की जनता की भावनाओं का आदर किया जा सके।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर): मैं संकल्प और विधेयक का समर्थन करता हूं। मणिपुर बजट पर चर्चा के दौरान सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त किये थे तथा मणिपुर में विद्यमान परिस्थितियों का उल्लेख किया था। किन्तु आज सी० पी० एम० के सदस्यों के विचार कुछ पृथक हैं। श्री ज्योतिमय बसु ने मणिपुर को एक बहुत छोटा राज्य बताया। खेद है वह राज्यों के क्षेत्र के हिसाब से उनको महत्त्व देते हैं।

मेरा मुख्य आशय यह है कि हमारा देश विकास कर रहा है तथा विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न धन राशि खर्च करने की आवश्यकता है। किसी क्षेत्र पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता है और किसी पर कम। माननीय सदस्यों को यह रवैया त्याग देना चाहिये कि अन्य क्षेत्र के लिये धनराशि खर्च की जा रही है। अपने पराये की भावना से ही विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः केन्द्रीय सहायता देते समय किसी राज्य की जनसंख्या और उसके क्षेत्र को आधार नहीं बनाया जाना चाहिये।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है मेरा विचार है कि श्री मुहम्मद इस्माइल की सरकार के कुकृत्यों का परदाफास हो चुका है। उस सरकार ने जनता का भारी नैतिक पत्तन किया तथा वहां की राजनीति को भ्रष्ट कर दिया। चर्चा के दौरान हमने यह मांग की थी कि उक्त

सरकार के कुकृत्यों की उच्चस्तर पर जांच कराई जाए। आशा है प्रधान मंत्री लोक निर्माण विभाग की पूरी-पूरी जांच कराएंगी।

श्री मनोरंजन दाजटा (आराम बाग) : महोदय गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बैल बजाई जाए······अब गणपूर्ति है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : महोदया मैं निवेदन कर रहा था कि लोक निर्माण विभाग में गम्भीर भ्रष्टाचार किये गये तथा मंत्रियों ने अपने व्यक्तियों को ठेका दिलवाकर उन्हें भारी लाभ पहुंचाया। वहां इस समय जो चीफ इंजीनियर है उसकी नियुक्ति के बारे में जनता में भारी रोष है। सभी स्थानीय समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि उक्त व्यक्ति भूतपूर्व सरकार की पार्टियों को भारी आर्थिक सहायता दी थी जिसके फलस्वरूप उसे चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। जब तक उक्त व्यक्ति को उस पद से नहीं हटाया गया तब तक वहां भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता।

शिक्षा मंत्रालय का भी यहां उल्लेख करना आवश्यक है। सुना है एक दिन एक गरीब शिक्षक ने वहां के शिक्षा मंत्री को प्रणाम नहीं किया जिसके फलस्वरूप सभी स्तर के अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया गया। यूनाइटिड लैजिस्लेचर पार्टी की सरकार ने पदोन्नति, भर्ती आदि के मामले में राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया तथा सम्पूर्ण शिक्षा विभाग का राजनीतिक हथकंडे के रूप में उपयोग किया गया। मेरे पास इसकी भर्त्सना के लिये उपयुक्त शब्द भी नहीं हैं।

इन दो विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी राजनीतिक कारणों से अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जो अधिकारी उक्त सरकार से सांठ-गांठ रखते थे उनको समय से पहले पदोन्नति दी गई है। इसीलिये मेरा यह अनुरोध है कि इन मामलों की पूरी-पूरी जांच कराई जाए।

कुछ मामलों में हमारे राज्य की भारी उपेक्षा की गई है। वहां कोई उद्योग नहीं है अतः जनता कृषि पर ही आश्रित रहती है। गत वर्ष वहां सूखा पड़ा तथा इस वर्ष भी वैसे ही लक्षण हैं। सरकार छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुछ धनराशि देती रही है किन्तु उनका दुरूपयोग हुआ है। जो धनराशि सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये दी थी उसका अन्यत्र उपयोग किया जाता रहा है तथा इस प्रकार वहां की भूतपूर्व सरकार ने अनुचित लाभ उठाया।

इसका आशय यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के दौरान धनराशि खर्च न करे। अब तो सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्र के हाथों में है। अतः वहां पर्याप्त धनराशि खर्च करनी चाहिये तथा उचित रूप से खर्च करनी चाहिये जिससे उक्त राज्य का विकास हो सके। आश्चर्य की बात है कि उस राज्य में सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई जबकि वहां पर्याप्त वर्षा होती है। वहां की जनता को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो सका। यह सब वहां की सरकार की अकार्य कुशलता के कारण हुआ। उस स्थिति में पानी की अस्थाई व्यवस्था की जा सकती थी।

राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार को तीन उपाय करने चाहिये। पहला, वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। इसमें कुछ समय लग सकता है। आर्थिक विकास के लिये वहां उद्योगों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। मणिपुर में संसाधन तथा जन शक्ति दोनों विद्यमान हैं किन्तु फिर भी वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किये गये।

दूसरा उपाय यह है कि वहां के कर्मचारियों का नैतिक उत्थान करने के लिये विभिन्न विभागों की पूरी जांच कराई जाए। लोक संघ आयोग में मणिपुर पीपुल्स पार्टी के एक हारे हुए उम्मीदवार को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार विधि आयोग का चैयर मैन इस पार्टी का कुंठाग्रस्त नेता है। यह सभी नियुक्तियां राजनीतिक उद्देश्यों से की गई। अतः सामान्य जनता तथा वहां की नई पीढ़ी को उचित लाभ दिलाने के लिये पूरी-पूरी जांच कराई जाए।

पर्यटन के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं किन्तु वहां के पर्यटन स्थलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 'कीबुललमजाओ' नामक वन्य पशु शरणस्थल विश्व में सुन्दरता स्थल हैं जहां पशुओं की दुर्लभ नस्लें विद्यमान हैं किन्तु उसका उपयुक्त विकास न किये जाने के कारण पशुओं की ऐसी नस्लें समाप्त होती जा रही हैं। अत सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

मणिपुर में मत्स्यपालन केन्द्रों की भी कमी नहीं है तथा उनमें मछली भी पर्याप्त संख्या में हैं फिर भी हमें विदेशों से मछली का आयात करना पड़ता है। झूम की खेती के नाम पर हम पेड़ों को निर्दयता से काटते जा रहे हैं जिससे वहां की आबोहवा खराब हो जाएगी क्योंकि उनके स्थान पर नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : We have people of different culture and different languages in our country and all of us live as brothers.

I would like to say that due respect has always been given to the culture of Manipur in the Country. But unfortunately people of Manipur are poor. Actually the exploitation of the common people of Manipur by the landlords has not ended even after the independence. Now Government should see that this evil is removed from there.

In view of the fact that Manipur is a sensitive area Government should pay special attention to the development of the entire eastern region.

Central Government should also take concrete steps to develop the forests there because it is the main source for economic developement.

So far as the imposition of President's Rule in Manipur is concerned, there are certain doubts in the minds of the people. I, personally, do not think that Government had explored all the possibilities to form alternative Government there. I think Government should aviod such steps of imposing President's Rule in any state so far as possible because it would hurt democratic systems.

श्री पाओकाई हाओकिम (बाह्य मणिपुर) मैं संकल्प तथा विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री एन० टोम्बी सिंह ने तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत करते हुए वहां की भूतपूर्व सरकार की पूरी जांच करने की मांग की है। मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वहां की समस्याओं का समाधान करने में सरकार सफल नहीं रही। किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है तथा जनता को अब अधिक शांति प्राप्त है। किन्तु खेद की बात यह है कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकार वहां के प्रशासन को अधिक सशक्त करे। वहां के गरीब वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठाए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सेवा में उचित स्थान दे।

दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 900 वर्ग मील के क्षेत्र में से केवल 700 वर्गमील क्षेत्र मैदानी है यद्यपि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आबादी 1,30,000 है परन्तु चुनाव के दिनों में पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए बहुत समय लगता है, इस प्रकार उसके लिए सभी मतदाताओं से मिल पाना असंभव है।

अत: मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को साथ वाले क्षेत्र में मिला दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शायद उस समिति के सदस्य हैं जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जांच कर रही है। अत: आप अपनी बात वहां कह सकते हैं।

श्री पाओकाई हाओकिम मैं अपनी मांग सभा में रखना चाहता था।

इन शब्दों के साथ ही मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Ratan Sharma (Banda) : I do not know why the Bill to end defection has not so far been brought where there had been a long standing demand here as well as in the states and in principle no legislator has a right to continue after he defects to any other Party when he was intially elected on a particular programme of a particular party.

It is unfortunate that reigns of power are in the hands of these who say one thing and do another this shall have to be removed first of all.

I would urge that President's Rule should not be clamped as a rule. Take the case of Orissa, Andhra and before that in U.P. in 1969 where shameful attempts were made to topple non-Congress Coalition Governments and President's Rule was resorted to. It is an irrefutable fact that everywhere defection was prompted and brought about by the Ruling Party. I am sorry to say that it is the calculated policy of the Ruling Party to see that no part of the country attains full development so that the masses may continue to depend on them and vote them to power. Perhaps, that is why no satisfactory road/rail and satisfactory telecommunication links have been provided in a centrally-administered area like Manipur. You cannot blame the opposition for such state of affairs, because the responsibility in such cases lies equally on the Ruling Party.

Now that Manipur is being brought under President's Rule, efforts should be made to bring about economic, educational and social regeneration of the people of that area as not even a single industry has been established there uptil now and its cultural haritage has been neglected all alone

I therefore disapprove of this action of Government and accuse them of acting only on the advice of Governor with exploring the possibility of any other Party forming in alternative Government there..

In the end I would request Government to improve the cultural, political and economic status of Manipur upto all-India level.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion re : Twenty Seventh Report of the Committee on Private Members, Bills and Resolutions

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं श्री अमरनाथ विद्यालंकार की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 9 मई, 1973 को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : खेद है मैंने श्री विधालंकार को नहीं देखा इसलिए श्री गोमांगों को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 9 मई, 1973 को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में संकल्प

Resolution re: Industrial Development of Eastern Region.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 27 अप्रैल, 1973 को श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। श्री एम० राम गोपाल रेड्डी भाषण कर रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्री पाणिग्राही का आशय संकीर्णता का द्योतक नहीं है अपितु पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। ये अविकसित क्षेत्र अधिकाधिक पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि विकसित क्षेत्र अधिक तेजी से प्रगति कर रहे हैं और पिछड़े क्षेत्रों का धन और प्रतिभा भी विकसित प्रदेशों की ओर आकर्षित होता रहा है—यही हमारा भाग्य है।

(श्री के० एम० तिवारी —**पीठासीन हुए**)

(Shri K. N. Tiwari—*in the chair*)

1,25,000 लघु उद्योगों में से 80,000 कलकत्ता, बम्बई, लुधियाना जैसे महानगरों में हैं, और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार न होने के कारण लोग बड़े शहरों में आ जाते हैं और वहां गंदी बस्तियां बन जाती हैं जिन्हें हटाना कठिन हो रहा है यदि नगरों में उपलब्ध सुविधाओं पर व्यय होने वाला धन पिछड़े क्षेत्रों में व्यय किया जाए तो लोग नगरों की ओर भागना बन्द कर देंग।

यद्यपि हम सदा यही अनुरोध करते रहे हैं कि असंतुलन समाप्त किए जाएं परन्तु सच तो यह है कि प्रत्येक योजना के बाद इन में वृद्धि ही हुई है। किसी गंभीर प्रयास न किए जाने से पिछड़े क्षेत्र पिछड़े हुए ही रह गए हैं। जहां हमारे कुछ नगरों की तुलना लंदन और वाशिंगटन से की जा सकती है वहां कुछ क्षेत्र अफ्रीका की तरह पिछड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय जहां 150 से 600 रुपये तक है वहां गांवों में यह केवल 40 पैसे ही है अतः सरकार को बिना राज्यों के भेदभाव के सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहिये।

खेद है कि अनेक राज्यों को इस विकास के लिए दिया गया धन सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर खर्च कर दिया गया है और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बहुत गम्भीर बात है अतः केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिये कि यह राशि विकास पर ही खर्च हो अन्यथा इसके लिए उसे अपनी एजेंसी बनानी चाहिये।

***श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : मैं इस संकल्प का पूरा पूरा समर्थन करता हूं। खेद है कि आज 25 वर्ष के बाद भी पिछड़े क्षेत्र उपेक्षित ही रहे हैं जिनमें पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उड़ीसा बिहार , उत्तर प्रदेश असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बंगाल और उड़ीसा तथा बिहार जैसे राज्यों में सामान्य से कहीं अधिक है और जहां देश के 41 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे के हैं वहां इन राज्यों में ये 71 प्रतिशत हैं और ये सभी राज्य पूर्वी क्षेत्र में हैं।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version of English translation of speech delivered in Bengali.

इन स्थितियों के बावजूद स्वयं केन्द्र ने इस क्षेत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया है।

जहां बम्बई पत्तन पर माल लाने ले जाने की गति 2 1/2 गुना बढ़ी है वहां कलकत्ता में यह अति स्थिर बनी रही है 1969-70 और इसके बाद तो यह गति धीमी होती गई है। इससे न केवल बंगाल बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था पंगु हो गई है। दुर्भाग्य से कलकत्ता पत्तन में पानी की कमी हो गई है और यद्यपि अस्थायी कदम उठाए गए हैं, फिर भी कोई स्थाई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के दूसरे पत्तनों जैसे हल्दिया और पारादीप का भी शीघ्र विकास किया जाना चाहिये।

बांकुरा, बीरभूम और पुरुलिया राज्य के पिछड़े क्षेत्र होते हुए भी खनिज सम्पदा सम्पन्न हैं। अत: खनिज विकास निगम को इस ओर विशेष ध्यान देकर इनका विकास करना चाहिये। इन क्षेत्रों में रेलों का जाल भी बिछाया जाना चाहिये।

एकाधिकारी-गृहों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अपेक्षा स्वयं सरकार को अपने क्षेत्र में वहां उद्योग लगाने होंगे क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया प्रोत्साहन के बावजूद अनुकूल नहीं है ।

उत्तरी बंगाल के बारे में शीघ्र ही वृहत योजना बना कर लागू की जानी चाहिये।

मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने राजनीतिक मतभेद भुला कर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पर संसद् में ही नहीं, इसके बाहर भी अपना प्रभाव डालें।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : श्री पाणिग्रही का यह संकल्प उड़ीसा के लोगों का क्षोभ व्यक्त करता है जो वे आर्थिक विकास न होने के कारण अनुभव कर रहे हैं, विशेषकर हरिजन और आदिवासी जो अपने को असहाय अनुभव करते हैं। यदि देश में क्षेत्रीय असमानताएं दूर नहीं हुईं तो यह गम्भीर हो सकती हैं।

उड़ीसा को भारत का 'रूहर' कहा जा सकता है जहां 8 प्रतिशत मेंगनीज और 35 प्रतिशत क्रामाईट के खनिज हैं। इसके साथ ही डोलोमाईट, बाक्साइट, चीनी मिट्टी और कोयला अपार मात्रा में उपलब्ध है—फिर भी वहां उद्योगों का अभाव है। यहां के 13 जिलों में से 7 जिले आदिवासी हैं और वहां जंगल संपदा अपार है—वहां बांस और फर्नीचर उद्योग लगाने की काफी गुंजाइश है। योजना आयोग को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। 250 मील लम्बे तट के होते हुए भी वहां कोई तटीय विकास नहीं हुआ है। मछली उद्योग से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

डा० लोकनाथन ने उड़ीसा का दौरा करने के बाद सुझाया था कि वहां मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने की अच्छी संभावनाएं हैं। लघु उद्योग भी स्थापित किए जाने चाहियें। उड़ीसा में दो जूट मिलें लगाई जानी थीं जैसा कि सरकार ने स्वयं चाहा था जबकि वहां जूट का उत्पादन किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। अत: इन्हें शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिये।

अनेक अन्य प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं जिनका अनुमोदन शीघ्र किया जाना चाहिये ताकि उड़ीसा के आदिवासियों और ग्रामीणों का भविष्य संवर सके।

*__श्री जे० माता गौहर__ (नीलगिरि) : प्रस्ताव द्वारा देश के पुर्वी क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। मैं प्रस्ताव का पूर्णत: समर्थन करता हूं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

देश के पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक और राजनैतिक असंतोष इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की द्योतक है। केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

उड़ीसा के कुल 46 000 गांवों में से 25 वर्षों के दौरान केवल 5000 गांवों में बिजली पहुंचायी गयी है। देश का 80 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है। उड़ीसा के तीन लाख शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। सरकार वहां के लोगों की आशायें तथा भक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। राज्य सरकार चाहते हुये भी केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना आर्थिक पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकती।

मनीपुर की स्थिति भी ठीक ऐसी नहीं है। 25 वर्ष की अवधि में वहां एक इंच लम्बी रेलवेलाईन भीनहीं बनी। रेलवे लाइन का बिछाना केन्द्रीय सरकार का काम है। राज्यों के हर मामले के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष 1971–72 के दौरान पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को दी गयी कुल वित्तीय सहायता का 25 प्रतिशत भाग दिया गया। पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों की केन्द्रीय सरकार हमेशा सेअपेक्षा करती आ रही है।

केन्द्रीय सरकार के पूर्वी क्षेत्र के महत्व को नहीं भूलना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री अर्जुन सेठी (मद्रक) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उड़ीसा के 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और इसकी पैदावार देश भर में सब से कम है। उड़ीसा हर प्रकार से पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में कृषि उद्योग सिंचाई तथा बिजली का विकास करके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये गये।

राज्य सरकार ने दो बहुद्देश्यीय सिंचाई योजनायें केन्द्रीय सरकार की तकनीकी स्वीकृति के लिये भेजी है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति देने के लिये आग्रह करती आ रही है लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

उड़ीसा में रेलों के प्रसार की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिससे वहां के प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं किया जा सका। इससे उद्योगों के विकास में भी बाधा पड़ी है।

पारादीप पत्तन के विकास हेतु अनिवार्य सुविधायें प्रदान करने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उड़ीसा के निकल कारखाने का मुख्य कार्यालय अब दिल्ली लाया गया है। इस निर्णय के कारण न जाने क्या है? मुख्य कार्यालय वापस उड़ीसा को बदला जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to congratulate my friend Shri Panigrahi for moving this resolution. Orissa and Bihar are the poorest states in India. The per capita income of Punjab is Rs 1000/- as compared to Rs. 400/- in Orissa and Rs. 402/- in Bihar.

It is surprising that Bihar received lowest average assistance of Rs. 99/- per capita during the first 17 years of national planning.

There is a great irrigation potential in Bihar but the same has not been utilised. Bihar is backward in all the respects as compared to other states.

There is no proper arrangement for giving financial assistance to the poor farmers of eastern region. There are no sufficient number of banks in Bihar and Orissa to cater to the financial requirements of the farmers.

It is good that the Government has started to realise the problems of easter region. Some scheme for the all around development of eastern region should be included in the Fifth five year plan.

श्री सुरेन्द महन्ती (केन्द्रपाड़ा): यह प्रस्ताव योजना मंत्री से सम्बन्धित है। यह बात आश्चर्यजनक है कि योजना मंत्री अनुपस्थित है।

सभापति महोदय : औद्योगिक विकास मंत्री इसके प्रभारी हैं। उनके उपमंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : इस प्रस्ताव के देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण तथा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कई विदेशी ताकतें घुसपैठ करना चाहती हैं। यह क्षेत्र विभिन्न सांस्कृतिक तथा भाषाओं का क्षेत्र है।

'नेफा' की सीमा चीन से लगती है। नेफा के विकास के लिये अब तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नेफा में बिजली खान और वन सम्पदाओं की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। यहां खान निक्षेपों की खुदायी करने पर देश का नक्शा बदल सकता है।

आसाम चाय और तेल पैदा करता है। इसके बावजूद भी आसाम एक गरीब राज्य है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इसने आसाम में उद्योगों का जाल बिछाने में रुचि दिखायी है।

आसाम के विकल्प हेतु योजना, औद्योगिक विकास तथा रेल जैसे सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल होना चाहिये। देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सभी सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच तालमेल होना चाहिये।

इस क्षेत्र के विकास हेतु एक उचित और विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिये।

श्री सुरेंद्र महन्ती . उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य नहीं बल्कि दिल्ली ही उसे पिछड़ा तथा दबा हुआ रख रही है। किसी भी राज्य के पिछड़ेपन के दूर करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि क्षेत्रीय असमानता न हो।

उड़ीसा में अब भी 90 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। 70 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं।

उड़ीसा में कारखानों की संख्या कम होती जा रही है। वर्ष 1968 में वहां 1129 कारखाने थे जो वर्ष 1971 में कम होकर 938 रह गये। यह जानते हुये भी कि उड़ीसा म 70 प्रतिशत लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर पर रह रहे हैं, सरकार उद्योगों के लिये आशयपत्र तथा लाइसैंस क्यों नहीं देती हैं। हमने नई रेल लाइनें बिछाने की भी मांग की थी परन्तु सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। उड़ीसा में केवल 1700-1800 किलोमीटर रेल लाइन है। हमने दूसरे इस्पात संयंत्र के लिये मांग की क्योंकि हमारे पास सभी आवश्यक कच्चा माल और साधन उपलब्ध हैं परन्तु राजनैतिक कारणों से इस्पात कारखाने अन्यत्र लगाये जा रहे हैं। उड़ीसा के मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं इसलिये जो लोग पहले उड़ीसा में कारखाने लगाने का विरोध करते थे अब वहां नये कारखाने लगाने की बात कह रहे हैं। कारखाने लगेंगे अथवा नहीं यह तो भविष्य ही बता सकता है।

पहली पंचवर्षीय योजना में यह आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्रीय असंतुलन का सूचकांक तैयार किया जायेगा और उसी के आधार पर असंतुलन दूर करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। योजना आयोग ने अभी तक भारत के विभिन्न भागों के विकास की दर के आंकड़े तैयार नहीं किये हैं।

यह बात बिल्कुल ठीक है कि उड़ीसा में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु सार-गर्भित आयोजन की कमी है। विजीय संस्थानों से भी महाराष्ट्र जैसे धनी राज्यों को ही अधिक धनराशि

मिलती है जबकि उड़ीसा को उसका उचित भाग भी नहीं दिया जाता है। इसलिये उड़ीसा के लोग यह कहते हैं कि दिल्ली में भारत सरकार का अभी भी उपनिवेश वादी रवैया है। जिसके अन्तर्गत उड़ीसा को ब्रिटिश शासन काल में हानि उठानी पड़ी थी। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिय जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हों और केवल उड़ीसा ही नहीं अपितु समस्त पूर्वी क्षेत्र, जिससे अधिकांश विदेशी मुद्रा की आय होती है। भारत के विकसित क्षेत्र के समतुल्य आ सके।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : भारत के पश्चिमी भाग में भ्रमण करने वाला भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि देश प्रगति कर रहा है। परन्तु पूर्वी भाग में ऐसी बात नहीं है। वहां विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हमें पश्चिमी भाग के विकास से ईर्ष्या नहीं है परन्तु क्या उनके पास वे उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं जिनसे उद्योगों का विकास संभव है। पश्चिमी भाग में कोयले तथा लौह अयस्क की बहुत कमी है। परन्तु फिर भी इस भाग का प्रतिदिन विकास हो रहा है। भारत सरकार लाइसेंस देने की नीति से भी पश्चिमी भाग में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। पूर्वी भाग को नकदी फसल अर्थात् पटसन से देश को विदेशी मुद्रा की आय होती है। पटसन की ऊंची कीमत बनाये रखने के लिये कुछ नहीं किया गया है। भारत सरकार पटसन के निर्यात पर उत्पादन शुल्क लगाती है। इससे होने वाली आय को इस क्षेत्र के विकास पर नहीं लगाया जाता है। यदि देश के एक भाग में प्राकृतिक साधन उपलब्ध है तो उस भाग को विकसित किया जाना चाहिये। क्या इस मामले में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार किया गया है। बड़े शर्म की बात है कि आसाम में एक भी उद्योग नहीं है। यह देश एक साथ किस प्रकार विकास कर सकता है। यदि एक क्षेत्र की कीमत पर दूसरे को विकसित किया जाता है तो लोगों के मस्तिष्क में यह धारणा बनती है कि दूसरे लोगों के लाभ के लिये उनका शोषण किया जा रहा है। भारत की जनता के लाभ के लिये भेदभाव की नीति समाप्त की जानी चाहिये तभी क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। हमें आशा है सरकार ऐसी ही नीति का अनुसरण करेगी।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Sir, there is a revolutionary urge in backwardness. This urge may prove a blessing as well as a curse. If revolutionary urge is created for development purposes it would do immense good to the country. But it this urge is held by reactionary forces then the very independence of the country would be in peril. Therefore, the Government is required to pay more and more attention towards the development of backward areas.

I think we may take the following three steps for the development of backward areas. Firstly, revolutionary land reforms should be carried out, secondly, we must have rapid industrialisation in backward areas and thirdly, we should try to provide transport and communication facilities urgently.

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : ठीक है कि देश ने विभिन्न दिशाओं में प्रगति की है, परन्तु इस समय देश बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है और उसके सामने बहुत सी समस्यायें हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की समस्या खतरनाक बनती जा रही है। वर्ष 1970 की अपेक्षा 1972 में इस समस्या में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे 40 प्रतिशत लोग निर्धनता से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे हैं। खाना, कपड़ा मिलना कम हो गया है क्योंकि कृषि और उद्योग के क्षेत्र में धीमी प्रगति चल रही है। विकास के मामले भी अभी भी क्षेत्रीय असंतुलन है। कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास के मामले में भी बहुत भारी क्षेत्रीय असंतुलन है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्य आगे बढ़ गये हैं तथा कुछ पिछड़ गये हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा पर्वतीय प्रदेश, जैसे राज्य, जो देश के पूर्वी आंचल में हैं, बहुत पिछड़े हुये हैं। इन राज्यों में खनिजों के निक्षेप तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं फिर भी ये राज्य पिछड़े हुये हैं। जिन राज्यों में खनिज सम्पदा उपलब्ध भी नहीं है

उन्होंने तीव्रगति से विकास किया है। इसका कारण यह है कि ये राज्य पंचवर्षीय योजनाओं तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की सहायता से लाभान्वित हुये हैं।

आसाम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और चाय यहां का प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग में अधिक सुधार नहीं किया गया है यद्यपि इसमें विकास की बहुत गुंजाइश है। आसाम में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भण्डार हैं। कच्चे तेल की आसाम में 1950 में खोज की गई थी और पहले तेल शोधन कारखाने, गोहाटी तेल शोधन कारखाने को स्थापित करने में पूरे 10 वर्ष लगे हैं। अब गोहाटी तेल शोधन कारखाने की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये। बोंगाईगाम में अब एक पेट्रोरसायन समूह है, उस समूह की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये।

वित्तीय संस्थानों से आसाम को प्राप्त हुई सहायता को देखें तो पता चलता है कि भारतीय विकास बैंक ने आसाम को केवल 0.10 प्रतिशत सहायता दी है। कृषि पुनर्वित्त निगम ने 2.87 प्रतिशत और औद्योगिक वित्त निगम ने 2.28 प्रतिशत सहायता दी है। यह बहुत थोड़ी धनराशि है जो इन संस्थानों से आसाम को प्राप्त हो रही है।

संचार, रेलवे, विद्युत् जैसे आधारभूत ढांचे के मामले में आसाम राज्य को न्यनतम प्राथमिकता दी गई है। जब तक सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में व्यापक रूप से सहायता नहीं करती तब तक वे पिछड़े रहेंगे। देश के सभी भागों का समान रूप से विकास होना चाहिये और समान रूप से उन पर ध्यान देना चाहिये ताकि कोई भेदभाव न रहे।

यह जानकर संतोष हुआ कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के महत्व को महसूस किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद् स्थापित की है। जब तक परिषद् को पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती उस क्षेत्र के विकास के लिये केवल परिषद् की स्थापना करने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। अतः मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई): यह संकल्प केवल उड़ीसा के संकट को ही नहीं अपितु समस्त पूर्वी क्षेत्र के संकट को अभिव्यक्त करता है। पूर्वी क्षेत्र से मेरा तात्पर्य उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल तथा नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों से है।

यह क्षेत्र देश की आय में सर्वाधिक योगदान करता है। परन्तु इसे केन्द्र से अपने योगदान के अनुदान में वित्तीय तथा अन्य सहायतायें नहीं मिलती हैं।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 69 लाख बेरोजगार शिक्षित युवकों में अकेले बंगाल में इनकी संख्या 14.7 लाख है। समूचे पूर्वी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या 37 लाख है। किन्तु दुर्भाग्यवश रोजगार के द्रुतकार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र को 20 प्रतिशत सहायता भी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिकायत की है कि पिछले तीन वर्षों में 800 करोड़ रुपये की पूंजी पश्चिम बंगाल से बाहर गई है। पश्चिम बंगाल से बहुत से उद्योग अन्य राज्यों को स्थानांतरित हो गये हैं। मेरे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 160 इंजीनियरिंग तथा अन्य कारखानों में क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। इस अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाने के स्थान पर ऐसे ही उद्योगों के लिये अन्य राज्यों में लाइसेंस दिये गये हैं। देश में 16 विदेशी कम्पनियां ऐसी हैं जिनमें 50 प्रतिशत साम्य पूंजी लगी है और ये सभी कम्पनियां बम्बई में हैं।

जहां तक ग्राम्य विद्युतीकरण का प्रश्न है इस दिशा में भी पूर्वी क्षेत्र में नाममात्र का कार्य हुआ है। 31 अक्तूबर 1972 को पश्चिम बंगाल में 234 औद्योगिक कारखाने बन्द पड़े थे जिन्हें चालू करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। विकास बैंक से भी इस क्षेत्र के राज्यों को बहुत कम वित्तीय सहायता

मिली है । वित्तीय सहायता संस्थानों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये जो रियायती दर पर वित्तीय पोषण किया है उसके अन्तर्गत भी पूर्वी क्षेत्र में बहुत कम उद्योग स्थापित किये गये हैं ।

आवास योजना के लिये 1972–73 में विभिन्न राज्यों को जो अनुदान दिये गये वे इस प्रकार हैं । उड़ीसा 2.10 लाख, पश्चिम बंगाल 4.85 लाख, बिहार 11.45 लाख, गुजरात 76 लाख, केरल 2.05 लाख, महाराष्ट्र 41 लाख तथा मैसूर 59 लाख । इस पर टिप्पणी करना निरर्थक है । इसी प्रकार अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों ने इस क्षेत्र के किसानों को अग्रिम राशि के रूप में आम राज्यों की अपेक्षा बहुत कम राशि दी है । कृषि पुनर्वित्त निगम ने भी इस क्षेत्र को बहुत कम राशि दी है विकास के लिये भी राज्यों से जो पिछड़े क्षेत्र चुने गए हैं, वे इस प्रकार हैं । आंध्र में 11 क्षेत्र, आसाम में 22, महाराष्ट्र में 17, मध्य प्रदेश में 14, गुजरात में 37 तथा उड़ीसा में 2, उत्तर प्रदेश में 10 और पश्चिम बंगाल में केवल एक ।

जैसा कि मैंने बताया है कि देश की आय में पूर्वी क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्वी क्षेत्र को समान लाभ देने की ओर ध्यान दें । देश में आय, अवसर और लाभों का सद्भावपूर्ण, संश्लिष्ट और समान वितरण होना चाहिये ।

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य (गिरिडीह) : गत 20 वर्षों में धनी और अधिक धनवान हुए हैं और गरीब और अधिक गरीब । परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र यह महसूस नहीं कर रहा है कि देश के विकास में भी सम्मिलित हैं । इसमें स्वयं प्रगति करने की भावना समाप्त हो रही है, निराशा तथा अलगाव की भावना बलवती हो रही है।

समान अनुदान देने की नीति खतरनाक है । यदि कोई राज्य 20 करोड़ रूपये देता है, तो योजना आयोग भी 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा । धनी राज्यों को सदैव अधिक अनुदान मिलता है जबकि गरीब राज्यों को कम अनुदान दिया जाता है । समान अनुदान देने की नीति से क्षेत्रीय विकास में असमानता उत्पन्न होती है ।

छोटा नागपुर क्षेत्र में लोगों की दशा बड़ी दयनीय है। वहां प्रति एकड़ आय 30 से 40 रुपये के बीच है । यहां कुछ क्षेत्रों में लोग पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रह रहे हैं ।20 वर्ष की आयोजना से इस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं पहुंचा है । जब तक सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक भारत अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में सदस्यों तथा सरकार के दृष्टिकोण में विशेष अन्तर नहीं है । जो आंकड़े दिये गये हैं मैं उन्हें चुनौती देना नहीं चाहता परन्तु फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं उनमें दिये गये आंकड़ों की अपेक्षा अन्तर है ।

यदि हम यह सोचना आरम्भ कर दें कि एक क्षेत्र का विकास दूसरे की कीमत पर हुआ है तो यह बड़ा खतरनाक होगा । बहुत से सदस्य भी इस बात को बता चुके हैं कि अनेकों ऐसे पिछड़े हुये क्षेत्र हैं जिनके समीपवर्ती क्षेत्र औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं यदि हम इस प्रकार का तर्क देते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के व्यय से पश्चिमी क्षेत्र का विकास हुआ है तब पूर्वी क्षेत्र के तो राज्यों को इस तर्क को काटना कठिन हो जायगा कि दूसरे क्षेत्रों के व्यय पर पूर्वी क्षेत्र का विकास किया गया है

नि:संदेह पिछड़े क्षेत्रों की समस्यायें हैं । उनके समाधान के लिये चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है । पांडे समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है और उनका विभिन्न अभिकरणों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है उनकी औद्योगिक क्षमताओं, आर्थिक विकास आदि के लिये अर्वेक्षण किया गया है।

उड़ीसा में आदिम जातीय लोगों की बड़ी संख्या है । उनके क्षेत्रों के विकास के लिये 35.5 करोड़ रुपया चौथी योजना में आवंटित किये गये हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये एक निगम का गठन किया गया है जिसने राज्य बजली बोर्डों का, उन उद्देश्यों के लिये रियायती शर्तों पर धन दिया है । कमजोर वर्गों के लिये विशेष योजनायें लागू की जा रही हैं । सड़कों के समेकित कार्य क्षेत्रों के लिये, 54 सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

कुछ औद्योगिक कारखानों को पिछड़े क्षेत्रों में लगाना ही क्या पर्याप्त होगा ? यदि हम देश के आर्थिक विकास का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि साम्राज्यवादी शासन में कुछ ही क्षेत्रों का विकास हुआ है । यह कहना कि इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है, उचित नहीं है । कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्रों की अवहेलना हुई है । यहां तक कि साम्राज्यवाद का नाम भी लिया गया है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय केवल उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करें जिनको उठाने वाला सदस्य उपस्थित हैं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : बिहार में केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में 1300 करोड़ रुपये लगे हुए हैं ।

केंद्रीय स्रोतों से योजना कार्यों के लिये आवंटन करने में भेदभाव नहीं बरता जाता है । वर्ष 1973-74 में बिहार को 77.78 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है जबकि राज्य के श्रोतों से 55.26 करोड़ रु० जुटाए गये हैं । उड़ीसा को 37.03 करोड़ रुपया दिये गये जबकि राज्य का अपना योगदान 28.57 करोड़ रुपये था। पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्रमश: 50.89 तथा 40.97 करोड़ रुपये है पिछड़े घोषित किये गये 87 जिलों में जिन्हें 10 और अब, 15 प्रतिशत राज सहायता प्राप्त करने का हक है, पूर्वी क्षेत्र के जिलों की संख्या इस प्रकार है, बिहार 6, उड़ीसा 8 पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हावड़ा और 24 परगना को छोड़कर सभी 13 जिले । वर्ष 1970-72 के दौरान उड़ीसा को 15, बिहार को 64, और पश्चिम बंगाल को 178 लाइसेंस दिये गये हैं ।

राज्यों के उद्योग निदेशालय के पास पंजीकृत फैक्ट्रियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

बिहार : 600-1961 में तथा 16,395-1972 में; उड़ीसा 1400-1961 में तथा आंध्र 2967; पश्चिम बंगाल में 3022, 1961 में तथा इस समय 29,137।

अनुसूचित बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिये अनुदानों के आंकड़े इस प्रकार हैं । आसाम—1968 में 141 कारखानों के लिये 2.06 करोड़ रुपये और 1972 में 1118 कारखानों के लिये 7.95 करोड़ रुपये बिहार—1968 में 355 इकाइयों के लिये 4.54 करोड़

रुपये तथा 1972 में 2178 इकाइयों के लिये 18.36 करोड़ रुपये; पश्चिम बंगाल 1968 में 1636 इकाइयों के लिये 25.08 करोड़ रुपये तथा 1972 में 7026 इकाइयों के लिये 77.85 करोड़ रुपये ।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े एवं संकट ग्रस्त कारखानों के लिए भारत का औद्योगिक पुन-निर्माण निगम स्थापित किया गया है। उक्त निगम को आबंटित किये गए धन का 95% पश्चिम बंगाल को मिलता है।

मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे देश के और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार पिछड़े क्षेत्रों में बिजली, सड़कों और औद्योगिक बस्तियों का निर्माण कर रही है। यदि सभी राज्य ऐसा करें तो अच्छा होगा।

योजना सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना के लिए $\frac{2}{3}$ खर्चा केन्द्र देता है ।

भारत सरकार की पिछड़े क्षेत्रों के विकास में गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री चिन्तामणि पाणीग्राही : इस संकल्प पर सदस्यों ने जो रुचि दिखाई है मैं उसके लिए आभारी हूं। मैंने सोचा था कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी । सरकार इस समय उड़ीसा के विकास के लिए प्रस्ताव रख ससकती थी।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में पिछड़े क्षेत्रों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

वर्ष 1969 से 1971 उड़ीसा में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 80 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से केवल 15 स्वीकृत किये गए। सीमेंट का कारखाना खोलने का उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव 4-5 वर्ष से सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास पड़ा है । भारत सरकार इसमें पर्याप्त रुचि नहीं ले रही। विदेश व्यापार मंत्री ने उड़ीसा में एक पटसन मिल की स्थापना का वचन दिया था उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए । आशय पत्रों के लिए उड़ीसा के 31 आवेदन सरकार के पास बकाया हैं। श्री धारिया तथा श्री धर-उपमंत्रियों ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपए की राशि का उल्लेख किया है। परन्तु पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में उसका उल्लेख नहीं है। इस राशि को 8000 करोड़ रुपया किया जाना चाहिए। पांचवीं योजना की अनुमानित राशि 51000 करोड़ है जिसके 61000-71000 करोड़ रुपया तक पहुंचने की सम्भावना है।

मैं इस आशा के साथ अपने संकल्प को वापस लेता हूं कि पांचवीं योजना के अन्त तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आयोजना का लाभ नहीं पहुंचता।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The resolution was, by leave, withdrawn

RESOLUTION RE : PEASANT DOCTORS

ग्रामीण डांक्टरों के बारे में संकल्प

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : म निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"यह सभा किसान डाक्टरों को ग्रामीण जनता की सेवा करने की योजना का स्वागत करती है और सरकार से आग्रह करती है कि इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठाये जावें"

पिछले दो-तीन वर्षों में इस बारे में हुई प्रगति का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अगली बार जारी रख सकते हैं।

पांचवीं योजना के तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों का सहयोग

***PEOPLE'S PARTICIPATION IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF FIFTH PLAN**

श्री समर गुह (कंटाई) : श्री लेनिन को आयोजना का आरम्भ करने के लिए सदा स्मरण किया जाता रहेगा।

भारतीय आयोजना के उद्भव का श्रेय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को है।

मैंने नेताजी के भाषणों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहीं भी राष्ट्रीयकरणशब्द का प्रयोग नहीं किया है। अपितु सामाजीकरण शब्द का ही उपयोग किया है। समाजीकरण का अर्थ है आयोजना से लोगों का संबद्ध किया जाना।

सरकार यह स्वीकार करती है कि हमारे देश के 40 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से भी नीचे निर्वाह कर रहे हैं। इसलिये मुझे आयोजना के परिणामों पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता था कि चार आयोजनाओं के अनुभव के पश्चात सरकार उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करती। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है।

{**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुए**
Shrimati Sheila Kaul in the Chair.}

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध कार्यों में भाग लेने का सरसरी तौर पर उल्लेख किया गया है। पांचवी योजना के तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों का कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं।

श्री समर गुह : राष्ट्रीयकरण और सामाजीकरण में पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है अधिकारीतंत्र अर्थात् समस्त आर्थिक शक्ति का सरकार के हाथों में केन्द्रित होना। जबकि समाजीकरण का अर्थ है लोगों को योजना के तैयार करने तथा उसकी क्रियान्वितिसे संबद्ध करना। हमारी योजना में इस बात का नितान्त अभाव है।

पांचवीं योजना के दृटिकोण पत्र के अवलोकन से पता चलाता है कि युवकों, कृषकों, एवं श्रमिकों को योजना से संबद्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि 25 वर्ष का स्वतंत्रता के बाद हमने समग्रवादी आयोजना को अपनाया है। यदि सरकार योजना में सफलता चाहती है तो यह अनिवार्य है कि योजना नीचे से तैयार हो। गांधी जी का समाजवाद राज्य से नहीं जनता से प्रारम्भ होता है।

दूसरे ग्राम लोगों की पहल शक्ति के निर्माण की भी आवश्यकता है।

---

*आध घन्टे की चर्चा।

*Half An-Hour Discussion.

सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के पूर्ण अवसर मिलने चाहिएं।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं अपने मित्र श्री समर गुह से सहमत हूं कि गांधी जी आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से संबद्ध करने के पक्ष में थे । जब तक देश के करोड़ों लोग यह अनुभव नहीं करते कि योजना से उन्हें कुछ लाभ है तब तक उनकी रुचि जागरित नहीं हो सकती।

एक मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में जन तांत्रिक आयोजना है? क्या आयोजना का लक्ष्य जन कल्याण है? यदि लोगों को महत्व प्राप्त है तभी वे इस से सम्बद्ध हो सकते हैं। निर्णय लेने और क्रियान्वित में वे कहां तक योगदान दे सकते हैं।

आज लोगों की योजना में इसलिए रुचि नहीं है कि यह उन पर ऊपर से लादी गई है । क्या लोगों की स्वीकृति एवं इच्छा जानने की चेष्टा की गई है?

यह आवश्यक है कि जनतांत्रिक योजना के लिए हम अपनी भूलों का सुधार करें और विशेषज्ञों असंबद्ध लोगों को परामर्श के लिए आमंत्रित करें उन्हें विश्वास में लें, और उनकी इच्छाओं को जानें। यदि हम ऐसा करेंगे तो परिणाम संतोषप्रद रहेंगे और जनता योजना से अपने को अधिक सम्बद्ध करेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे श्री समर गुह के भाषण से आश्चर्य सा है । उन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया और समाजीकरण का पक्ष लिया।

उन्होंने सरकार पर रूस की पद्धति का अनुसरण करने का आरोप लगाया।

यह दुखःद है कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपना कर हम समाजवाद के पक्ष से भ्रष्ट हो गये हैं ।

श्री समर गुह : : मैंने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि सरकार वास्तव में समाजवाद चाहती है तो उसे इस ओर बढ़ना होगा । सभी स्वीकार करेंगे कि रूस में बेरोजगारी नहीं है।

क्या सरकार जन-प्रतिनिधियों को योजना से संबद्ध कर रही है ।

मैं श्री मावलंकर का पूर्ण समर्थन करते हुए मिश्रित-अर्थ-व्यवस्था का विरोध करता हूं । हम निश्चित रूप से समाजवादी अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं । हमें समाजवादी रूस का अनुकरण करना है, अमरीका का नहीं जहां बेरोजगारी बढ़ रही है ।

श्री अर्जुन सेठी : योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उसके तैयार करने तथा क्रियान्विति से जनता को संबद्ध किया जाये ।

योजना के दृष्टिकोण पत्र में खपत में कटौती तथा बचत में बढ़ोतरी की बात कही गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह कटौती और बढ़ोतरी स्वेच्छा से होगी अथवा अनिवार्य होगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें ।

श्री अर्जुन सेठी : जिला योजना सैलो एवं राज्य योजना बोर्डों के निर्माण का जो प्रस्ताव है उसके लिये केंद्र किस प्रकार की सहायता देगा ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : योजना से जनता को संबद्ध करने पर हमने पर्याप्त विचार किया है और पांचवीं योजना तैयार करते समय हमने जनता को योजना के तैयार करने तथा उसके क्रियान्वित करने में अधिक से अधिक संबद्ध करने का निश्चय किया है । योजना विभाग की परामर्श दातृ समिति में हमने इस मामले पर कई बार विचार किया है । कुछ विरोधी दलों से बातचीत की गई है अन्य दलों से बातचीत की जायगी । देश के अर्थ-शास्त्रियों के साथ दो बैठकें हुईं थीं परन्तु हम योजना की क्रियान्विति में उनका पूरा सहयोग चाहेंगे ।

विश्वविद्यालय और कालेज स्तर पर भी चर्चायें की जाती हैं ।

श्री समर गुह : इस बात को कि नेताजी भारतीय योजना के पिता तथा गांधी जी योजना के वास्तविक पिता हैं मैं इस अन्तर को समझ नहीं पाया हूं ।

श्री समर गुह : मैंने कहा था कि गांधी जी स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र के दार्शनिक थे ।

श्री मोहन धारिया : जब सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब योजना समिति का गठन हुआ था और गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू ने, जो उसके अग्रणी थे देश को इस दिशा का ज्ञान कराया ।

योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था से हम देश में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का ढांचा तैयार कर पायें हैं । क्या यह सच नहीं है कि पिछले 25 वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 5 करोड़ टन से 10 करोड़ टन हो गया है । गर्व की बात है कि भारत का स्थान परमाणु ऊर्जा तैयार करने वाले आठ देशों में है । 1950 में केवल 2.25 करोड़ छात्र स्कूलों और कालेजों में जाते थे जबकि आज उनकी संख्या आठ करोड़ है । देश में राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग है, 13 राज्यों में योजना बोर्ड है और जिला स्तर पर योजना सैलो के निर्माण की चेष्टा की जा रही है । कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मुझे पता चला है कि संसद सदस्यों एवं विधान सभा के सदस्यों को योजनाओं से संबद्ध किया जाता है । हम सभी योजनाओं को यथार्थवादी बनाना चाहते हैं ।

हमने देश की विभिन्न राजनीति पार्टियों एवं विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत करने की चेष्टा की है ।

हमारी योजना अभाव के लिये नहीं वरन् उसे समाप्त करने के लिये है । यह न्याय के लिये है । यह न्याय इसका लक्ष्य गरीबी हटाना एवं आत्म-निर्भरता करना है । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि 51,000 करोड़ रुपये की योजना में से 36,000 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी क्षेत्र का होगा ।

श्री समर गुह : सरकारी प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को किस सीमा तक संबद्ध किया जायेगा ।

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य बीच में बाधा न डालें ।

हमने राज्य सरकारों को बहु सूत्रीय योजनायें तैयार करने को कहा है । देश में आयोजित अर्थ व्यवस्था के होते हुए यह जनता के प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य है कि इसके लिये जनमत जागृत किया जाये । हमने आधारभूत कार्यक्रमों को हाल में लिया है । देश में कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा । जिसके 1.5 कि० मी० के भीतर पाठशाला न हो तथा 1500 जनसंख्या वाला कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें सभी मौसमों के योग्य सड़क न हो । 80000 से एक लाख जन संख्या वाले क्षेत्र में सार्व जनिक स्वास्थ्य केंद्र होगा । ग्रामीण जनसंख्या के 40 प्रतिशत को बिजली उपलब्ध कराई जायगी पिछड़े क्षेत्र के बेघर लोगों के आवास के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

यह योजना जनता के लिये है । इस लिये इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है । गांधीजी और नेताजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें सभी प्रकार की वास्तविकताओं पर ध्यान देना है । यदि इन समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जाती तो प्रजातंत्र को ही खतरा पैदा हो जायगा ।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार 14 मई, 1973/17 वैसाख 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, May 14, 1973/Vaisakha 17, 1895 (Saka).

---

400 LSS/73